राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २४वां दिवस [संख्या १६

शुक्रवार, दिनांक १८ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, खाद्य, पंचायत, शिक्षा, सहकारी, कृषि जिला परिषद्, विकास, उद्योग, योजना, नागरिक रसद खनिज तथा राजनीति-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

(विराम)

डॉ॰ बहादुरसिंह।

महाराजा जयपुर की व्यक्तिगत जायदाद

४६४. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या महाराजा जयपुर की व्यक्तिगत जायदाद (Personal Property) का फैसला हो चुका है?

(ख) अगर हां, तो सरदार पटेल मार्ग डिस्पेन्सरी अपने अहाते सहित तथा उससे संबंधित चिकित्साधिकारी, कम्पाउन्डरों व भंगी का निवास स्थान मय अहाते तथा रेज़ीडेन्सी मिडिल स्कूल भी क्या उसी सम्पत्ति का भाग है?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल।

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील में हरिजनों के कल्याणार्थ कार्य

४६५. श्री जयचन्द मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) चित्तौड़गढ़ जिले की कुल जन संख्या क्या है और उसमें हरिजनों का क्या अनुपात है?

(श्री जयचन्द मोहिल)

(२) जिले की प्रत्येक तहसील की कुल जन संख्या क्या है और उसमें हरिजनों का क्या अनुपात है ?

(३) सरकार द्वारा उक्त जिले की किस किस तहसील में अब तक हरिजनों के कल्याणार्थ क्या क्या कार्य किये अथवा किये जा रहे हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) चित्तौड़गढ़ जिले की कुल जन संख्या ५,८७,१४३ है और इसमें ८३,४०२ हरिजन हैं । इनका अनुपात १०००:१४२ है ।

(२) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयचन्द मोहिल : यह संख्या किस सन् की गिनती के आधार पर है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो लास्ट सेन्सस के बेसिस पर है ।

श्री जयचन्द मोहिल : किस सन् की गिनती के आधार पर है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गत जनगणना के अनुसार ।

श्री जयचन्द मोहिल : क्या इस सन् तक कोई बहुसंख्यक अनुसूचित जाति की लिस्ट से छूटी हुई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सारी जानकारी आप सेंसस रिपोर्ट से देखें तो उचित होगा । आपने सवाल पूछा पोपुलेशन के बारे में, उसका मैंने जवाब दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

मैसर्स भगवानसहाय नारायणसहाय ठेकेदार किशनगढ़ रैनवाल द्वारा लिए गए अनाज तुलाई के ठेके की बकाया की अदायगी

४६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सन् १६५० में मेसर्स भगवानसहाय नारायणसहाय ठेकेदार किशनगढ़ रैनवाल ने अनाज तुलाई आदि का ठेका लिया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस समय के उनके ८५१।) रु० बकाया हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि हर अधिकारी को व मंत्री महोदय को करीब ६ वर्ष में ३३ पत्र दिये गये, मगर कतई ध्यान नहीं दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्रीजी देंगे ।

उप-वित्त मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : हां, मैं दे रहा हूं ।

(क) जी हां ।

Page No.3

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) रेकॉर्ड देखने से ज्ञात होता है कि इनका क्लेम ७५१ रु० ६ आ० का है जिसमें २०० रु० सिक्योरिटी के भी शामिल हैं, विभाग के विचाराधीन है।

(ग) विभाग को पार्टी ने कुछ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। क्लेम्स की पूर्ति करने के लिए जिलाधीश, जयपुर, द्वारा तहसीलदार फुलेरा को लिखा हुआ है। वहां से उत्तर आने पर उचित क्लेम्स के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामकरणसिंह : १० साल का अर्सा हो गया और इस अर्से में जिस धीमी गति से चला है उसी तरह से चलेगा या अब जल्दी हो जायेगी?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब जल्दी होने की आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

धोबलाई (सींगोद) पंचायत के सरपंच द्वारा चार्ज दिलवाना

५६७. **श्री भैरोंसिंह** [(श्री माधोपुर श्री शिवचरणदास (माण्डल) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोबलाई (सिंगोद) के सरपंच पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान चुने गये हैं?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रधान ने धोबलाई (सिंगोद) सरपंच का चार्ज नहीं दिया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक चार्ज उनसे दिला दिया जावेगा?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां।

(२) नहीं, चार्ज दे दिया गया है।

श्री शिवचरणदास : क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया, चार्ज दे दिया है।

प्रश्न संख्या ४६८

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६६

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७०

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ज द्वारा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बीकानेर, के दो डाइरेक्टरों को हटाया जाना

४७१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक बीकानेर, के दो डाइरेक्टरों को जो कि सन् १६५८-५६ में चुने गये थे बिना कोई नोटिस दिये हटा दिया ? यदि हां, तो किस नियम के मातहत ?

(२) यह कार्यवाही किसकी दरख्वास्त पर हुई ?

(३) क्या जिन्होंने दरख्वास्तें दीं वे स्वयं बोर्ड के डाइरेक्टर्स थे ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। हटाया नहीं गया, बल्कि उनका चुनाव अवैधानिक रूप से हुआ था और जब बैंक को यह पता लगा तब उसने पुनः नियमानुसार चुनाव कराये जिसमें यह नहीं चुने गये।

(२) यह पुनः चुनाव की कार्यवाही श्री अर्जुनलाल प्रतिनिधि जसूसर बास मेघ पादुका उत्पादक सहकारी समिति लि० बीकानेर की दरख्वास्त पर हुई।

(३) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या जो डाइरेक्टर्स इस प्रकार से थे क्या वे बैंक में डाइरेक्टर की हैसियत से काम करते थे, मीटिंगों में हाज़िर होते थे और सभी काम करते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो हटाये गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके तो चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद कामकाज कुछ किया नहीं। किसी ने रिप्रेजेन्ट किया जो कि दूसरी सहकारी समिति ने, कि जो चुनाव हुआ है वह गैरवाज़िब तरीके से हुआ है उसकी वापिस इन्क्वायरी हुई और जो बैंक के डाइरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि यह चुनाव गैर वाजिब तरीके से हुए हैं, उस पर हमने रजिस्ट्रार को लिखा और रजिस्ट्रार ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से इन्क्वायरी कराई। यह साबित हो गया कि यह वैधानिक तरीके से चुनाव नहीं हुए और फिर दुबारा चुनाव कराये लेकिन वह नहीं चुने गये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो डाइरेक्टर ६ महीने तक रहे और अध्यक्ष का चुनाव आया उसके पहले दोनों को हटाया गया और हटाया भी गया तो क्या उनको शो कॉज़ नोटिस दिया गया है कि तुम्हारे चुनाव अवैधानिक हुए ? क्या आपने इस प्रकार की जांच की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले ही कह दिया है कि जांच की है। रजिस्ट्रार ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से जांच करवाई जिससे चुनाव अवैधानिक पाये गये इसलिए दुबारा चुनाव कराये।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दोनों डाइरेक्टर्स को जांच के लिए बुलाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर बुलाया गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि नहीं बुलाया....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात सही है कि वहां के बैंक के डाइरेक्टर्स हैं उन्होंने रेफर किया कि इनके चुनाव गलत हुए हैं तो रजिस्ट्रार ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से इसकी इन्क्वायरी कराई कि इसकी वैधानिकता को देखा जाये और उसने यह कहा कि चुनाव बिल्कुल अवैधानिक हुए हैं इसलिए चुनाव दुबारा होने चाहिए।

श्री भीमसेन : इस चुनाव में क्या अवैधानिकता बरती गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो जनरल मीटिंग कॉल करके कार्यवाही करनी चाहिए थी वह तरीके से नहीं की गई। डाइरेक्टर्स को प्रोपर नोटिस नहीं होने की वजह से चुनाव ठीक तरह से नहीं हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : किसने इस प्रकार से ऑब्जेक्शन किया कि यह गैरकानूनी चुनाव हुए हैं जब कि ६ महीने तक डाइरेक्टर्स रहे, बाद में अध्यक्ष पद के लिए दूसरे नहीं चुने जायें और दोनों को अवैधानिक कर दो; इसलिए अध्यक्ष का पद प्राप्त करने की इस तरह से कोशिश की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको नाम दिया है आपने सुना नहीं। फिर दुबारा सुन लीजिए, श्री अर्जुनलाल प्रतिनिधि जसूसर बास मेघ पादुका उत्पादक सहकारी समिति लि०, बीकानेर, ने शिकायत की।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है इसके संबंध में ६ महीने तक डाइरेक्टर्स रहे....

श्री उपाध्यक्ष : वह आपने फरमा दिया।

(विराम)

आपने कहा कि वह चुनाव अवैधानिक थे।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि नोटिस दिया और मैं कहता हूं कि नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो प्रश्न पूछने का कोई महत्व नहीं। सवाल पूछे जायें और इस प्रकार से जवाब दिये जायें....

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

मंत्रीगणों द्वारा प्रवास काल में हरिजन बस्तियों में ठहरना

४७२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार के पास केन्द्रीय सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हैं कि मंत्रीगण अपने प्रवास काल में हरिजन बस्तियों में ही ठहरा करें ?

(२) यदि हां, तो क्या राज्य मंत्री इसका पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.6

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या अछूतोद्धार के लिए आवश्यक है कि वहां ठहरा जाये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई चीजें आवश्यक हैं। जहां जरूरत हो ठहरा जाये जरूरत न हो तो न ठहरें। यह नहीं है कि इससे ही अछूतोद्धार हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह।

भीम में पिछड़ी जातियों के निर्धन विद्यार्थियों हेतु आवासगृह

४७३. मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : Will the Social Welfare Minister be pleased to state :

Is the Government running a hostel for the poor students of the backward classes at Bhim ? If yes, the details regarding the number of students admitted and the amount spent by the Government for the years 1956-57 to 1959-60 may be placed on the Table of the House.

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : No hostel is being run at Bhim by the Government. However, it is run on a voluntary basis under the control of the Education Department.

मेजर श्री फतहसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग काफी संख्या में रहते हैं इसलिए वहां पर सरकार की ओर से होस्टल चलाना आवश्यक है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि वहां पर होस्टल चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए नहीं कह रहे हैं, जनरलाइजेशन उत्तर चाह रहे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह होस्टल चल रहा है तो दूसरा चलाने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

मेजर श्री फतहसिंह : सरकार प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना खर्च करती है इस होस्टल के लिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जितने भी स्टूडेन्ट्स एडमिटेड हैं और जो ग्रान्ट इन एड दी गई है उसकी सूची मेरे पास है १९५६-५७ में १५२२.१२ न.पै., १९५७-५८ में २०७६.१३ न.पै., १९५८-५९ में ३५९८-०५ न.पै. और १९५९-६० में ४१०८.४६ न.पै.

मेजर श्री फतहसिंह : मैंने पूछा था कि प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना खर्च करती है ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पर इयर बता दिया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नम्बर ऑफ स्टूडेन्ट्स भी दे देता हूं। १९५६-५७ में ६०, १९५७-५८ में १८, १९५८-५९ में २०, १९५९-६० में २१. आप इसके हिसाब से अनुपात लगा लीजिए।

मेजर श्री फतहसिंह : मैंने एक इन्फोर्मेशन चाही थी वह अभी तक नोटिस

(मेजर श्री फतहसिंह)

ऑफिस में नहीं पहुंची है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रति विद्यार्थी कितना खर्च होता है, मैं मैथेमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने नम्बर ऑफ स्टूडेन्ट्स बता दिया और कुल खर्च भी बता दिया, तो अब हिसाब निकाल लीजिए।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या यह सही है कि ४० रुपया प्रति विद्यार्थी माहवार खर्च होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सही है कि २० रु. प्रति विद्यार्थी खर्चा किया जाता है ?

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : २५ विद्यार्थियों को जो एड दी गई है वह ४१०८ रु. है, इसके अनुसार आप हिसाब लगालीजिये कि क्या खर्चा आता है।

वर्तमान एवं भूतपूर्व राजस्थान के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी

४७४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(क) जब वर्तमान राजस्थान बना तब कुल कितने गजटेड सरकारी कर्मचारी थे और आज उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) उस समय गजटेड अधिकारियों को कितनी रकम तनख्वाह के रूप में चुकानी पड़ती थी और आज कितनी ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) वर्तमान राजस्थान १-११-५६ को बना पर आंकड़े ३१-१२-५६ के मिल पाये हैं। दिनांक ३१-१२-५६ को राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की संख्या ३५८२ थी और दिनांक ३१-१२-५८को ५०३६। इन दो वर्षों में १४५४ राजपत्रित सरकारी कर्मचारी बढ़े है, जिनका विवरण निम्न है :

(१) कृषि एवं पशुपालन विभाग	३५२
(२) शिक्षा विभाग	३७६
(३) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	४४०
(४) सिंचाई विभाग	३४
(५) निर्माण विभाग (भवन व पथ)	१६
(६) सहकारी विभाग	१३
(७) कन्सोलिडेशन एवं कोलोनाइजेशन	१५
(८) खनिज एवं भूगर्भ विभाग	६
(९) जन-रक्षा एवं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग	१९३

(ख) दिनांक ३१-१२-१९५६ को इनको दी जाने वाली तनख्वाह लगभग १४,६४,००० रुपये थी तथा दिनांक ३१-१२-१९५८ को लगभग २०,०५,००० रुपये।

Page No.8

श्री मूलचन्द डागा : जिस अनुपात से इनकी वृद्धि हुई है क्या वह वृद्धि आगे भी चालू रहेगी या रुकी रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि देखने में आया होगा आम तौर पर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के अन्दर ही वृद्धि हुई है। जो वृद्धि हुई है उसको तत्काल कम करने का प्रश्न नहीं है, काम कम होंगे तो कमी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बढ़ती की तरफ ही रुख होगा।

एक माननीय सदस्य : इस संख्या में हरिजन कितने हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी नहीं चाही गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह वृद्धि ५८ के बाद भी हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निरंतर होती है।

सांडो की खरीद

४७५. श्री भैरोंसिंह [(श्रीमाधोपुर) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया क्या कृषि मन्त्री मिम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष लगभग १००० सांड खरीदने के लिये सरकार द्वारा टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो कब २, किन २ के और किस २ दर के टेन्डर्स आये ? कृपया टेन्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से तीन टेन्डर्स एक ही टाइम से टाइप किये हुये, एक ही सील से मुहरबन्द किये हुये, एक ही स्याही से अलग अलग नामों से दस्तखत किये हुये थे ?

(३) क्या यह सही है कि इन टेन्डर्स की स्क्रुटिनी के लिये एक स्क्रुटिनी कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो उसके कौन २ सदस्य थे ?

(४) क्या यह सही है कि इस कमेटी ने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर से भी सलाह ली।

(५) ये टेंडर मन्जूर क्यों नहीं किये गये ?

(६) सांडों (हरियाना) की एप्रूव्ड रेट्स क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) ; (१) जो हां, तीन टेंडर्स ता० १०–१२–५६ को निम्नांकित सज्जनों से प्राप्त हुए :

	दर पंजाब	दर राजस्थान
(अ) श्री अब्दुल जब्बरखां	६७५)	१०००)
(ब) श्री गनपतिसिंह	८७५)	६००)
(स) श्री रामसिंह	६५०)	६७०)

टेन्डर नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) तीनों टेन्डर हिन्दी में टाइप किये हुये हैं, तीनों पर सीलें भी लगी हुई हैं और अलहदा हस्ताक्षर किये हुये हैं । यह नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहा जा सकता कि ये एक ही टाइप से, एक ही सील से व एक ही स्याही से लिखे हुये हैं।

(३) जी हां, कमेटी के सदस्य निम्नांकित थे :

(१) श्री एस० एल० पटेल

(२) श्री पी० डी० माथुर

(३) श्री बी० एल० छाबड़ा

(४) जी नहीं।

(५) दरें ऊंची थीं।

(६) सांडों की एप्रूव्ड रेट नहीं हो सकती।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जो टेन्डर खोले गये थे उनमें तीनों व्यक्तियों के पते वगैरह सब अलग लिखे हुये थे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब अलग अलग थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये एक्सेप्ट नहीं किये गये तो किस दिन खोले गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस दिन तारीख थी खोलने की उसी दिन खोले गये थे, १० दिसम्बर, १९५९, को दिन के २ बजे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि सील एक ही थी इन लिफाफों पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सील अलग अलग लगी थी। उसमें क्या था, यह मैंने नहीं देखा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार का कितने में खरीदने का इरादा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखा हमने यह था कि अच्छा बैल हो तो हज़ार रुपये तक भी दे सकते हैं, लेकिन यह रेट आम तौर से आई नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने कैसे अन्दाजा लगाया कि बुल्स अच्छे नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने यह तरीका ठीक नहीं समझा क्योंकि पंचायत समितियां अलग अलग हो चुकी थीं और वहां के लोग खुद समझदार थे, इसलिये अलग अलग एरिया में जिस तरह की जरूरत हो उसी तरह के खरीद लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने टेन्डर नोटिस में लिख दिया था : "These rates will be notified to the Panchayat Samitis whose representatives along with a representative of the Animal Husbandry Department, will visit the place and select the bulls इसमें ही यह चीज़ साफ कर दी गई है कि पंचायत समितियों के रिप्रेजेन्टेटिव रहेंगे, एनिमल हस्बेन्ड्री विभाग के रिप्रजेन्टेटिव रहेंगे, ये लोग मिलकर निर्णय कर लेंगे। पंचायत समिति के बारे में जो बात आप कहते हैं उसका सवाल खड़ा नहीं होता।

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर नोटिस अलग अलग दें और फिर खरीदें पर यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करने की आवश्यकता नहीं थी। अलग अलग पंचायत के लोग एनिमल हस्बेन्ड्री के एक्सटेन्शन ऑफिसर के साथ हरियाना ब्रान्ड के जैसे सांड चाहिए वैसे खरीद सकते हैं, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं समझी।

पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के भत्ता नियम

४७६. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पुतली) : क्या मंत्री, जिला परिषद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में पंचायत समिति व जिला परिषद का २ अक्टूबर, १६५६, से कार्य आरम्भ हो गया था ?

(ख) क्या सदस्यों के भत्ता नियम २१ नवम्बर, १६५६, से लागू हुये हैं ?

(ग) २ अक्टूबर से २० नवम्बर, १६५६ तक की अवधि में सदस्यों को भत्ता किन नियमों के अंतर्गत दिया जावेगा ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इन्हीं नियमों को जब से पंचायत समितियां बनी हैं उस दिन से लागू करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री रामकरणसिंह : ये आदेश जारी कब किये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहला २८ जून को और दूसरा मार्च में।

श्री रामकरणसिंह : दो दफा ऑर्डर देने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहला २१ नवम्बर से जारी करना था, पर बाद में यह मालूम हुआ कि २ अक्टूबर से किया जाय इसलिये बाद में यह ऑर्डर दिया गया।

श्री रामकरणसिंह : जिसके लिये प्रधान मन्त्रीजी आवें और उद्घाटन करें और उसके बाद में भी डिपार्टमेंट से भूल हो कि १६ नवम्बर से दिया जाय और २ अक्टूबर की तारीख याद नहीं रहे यह किसकी गलती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो गलती हुई उसकी दुरुस्ती कर दी गई।

श्री रामकरणसिंह : यह गलती किसकी थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गलती हो जाती है तो उसकी दुरुस्ती ही करनी चाहिये, वह करली गई।

विकास योजना सम्बन्धी जयसमंद में एम. पीज. का आयोजित कैम्प

४७७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक ३. ११. ५६ को जयसमन्द में देश के सारे

Page No.11

(श्री मुरलीधर व्यास)

एम. पीज़. का विकास योजना संबंधी कोई कैम्प का आयोजन किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इस कैम्प में कुल कितने मेम्बर्स आये तथा इसके लिये कुल कितना खर्च मंजूर किया गया था व कितना खर्च हुआ ?

विकास मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां जयसमन्द में विकास योजना सम्बन्धी एक कैम्प का आयोजन किया गया था। इस कैम्प में देश के सारे एम. पीज़. नहीं बुलाये गये थे। सिर्फ पार्लियामेंट की इन्फोर्मल कन्सलटेटिव कमेटी की एजुकेशन और ट्रेनिंग सब कमेटी के सदस्य व राजस्थान में सामुहिक विकास योजना संबंधी इन्फोर्मल कन्सलटेटिव कमेटी के सदस्य व राजस्थान के सारे एम. पीज़. बुलाए गये थे।

(ख) इस कैम्प में कुल ६ एम. पीज़. आये थे। कैम्प में अंदाजन खर्चा २४०००रु. हुआ है पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या २३ हज़ार रुपयों का जो खर्चा हुआ वह सिर्फ ६ एम. पीज़. पर हुआ या और किसी पर भी किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां पर ८० प्रतिनिधि आये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन ६ एम. पीज़ में से राजस्थान के कितने थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार थे।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें राजस्थान के एम. एल. एज़. भी आमंत्रित किये गये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने एम. एल. एज़. आये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १५ आये थे।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सब को आमंत्रित किया गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सब को आमंत्रित किया गया था, लेकिन १५ आये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सूचना शायद गलत है, सबको नहीं बुलाया गया था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सबको नहीं आमंत्रित किया गया, पहले कहने में भूल हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कुछ को तार दिया था कि वहां पहुंचना चाहिये ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां, कुछ को दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो उस केटेगरी में आते हैं उनको तार दिया था या सबको।

Page No.12

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं, पर कुछ को तार दिया था।

महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा तथा किशनगढ़ और विजयनगर की कपड़ा मिलों में सरकार की बकाया रकम की वसूली

४७८. श्री भैरोंसिंह [(श्रीमाधोपुर) श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा तथा किशनगढ़ और विजयनगर की कपड़ा मिलों में सरकार की कितनी कितनी तथा किस किस प्रकार की रकम, कब कब से बाकी है ?

(ख) इस उपरोक्त रकम का भुगतान किस प्रकार से और कब कब होना चाहिये था और समय पर भुगतान कराये जाने के सरकार की ओर से क्या क्या प्रयत्न किये गये ?

(ग) क्या इसका भुगतान न करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ? यदि हां, तो अब तक यह कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? यदि यह कार्यवाही की गई है तो वह किस स्टेज़ पर है तथा कब कब से ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) इन मिलों की बकाया का विवरण निम्न प्रकार है :

१.	महादेव कॉटन मिल लि. भीलवाड़ा।	रॉयल्टी के सन् ४६-५० से ५१-५२ तक।	बकाया रकम ३७,६१३-११-६ पा. है लेकिन यह रकम अन्डर डिस्प्यूट है।
२.	किशनगढ़ मिल।	मकानके किराये की रकम दिनांक २४.२.५६ से २४.१.६० तक।	१७२५० रु.
३.	विजयनगर मिल।	कोई रकम बकाया नहीं है।	

(ख) रॉयल्टी की रकम की हर साल और किराये के रकम की हर माह भुगतान होनी चाहिये थी। महादेव मिल की रकम जमा कराने बाबत समय समय पर लिखा गया। इस मिल के खिलाफ पी० डी० आर० एक्ट द्वारा वसूली के लिये रिक्वीज़िशन भी भेजा गया। परन्तु सन् १६५५ में सरकार द्वारा रॉयल्टी की वसूली स्थगित करने के आदेश प्राप्त हो गये इस कारण वसूली नहीं की जा सकी।

किशनगढ़ मिल लिक्वीडेशन में है, इसलिए किराये का क्लेम ३७५ रु० माहवार के हिसाब से लिक्वीडेटर के पास किया गया है।

(ग) रॉयल्टी की रकम कानूनन वसूल करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। किराये के रकम की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मगर यह मामला अभी लिक्वीडेटर के विचाराधीन है इसलिये कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर,) : इसे वसूली को स्थगित करने का आदेश कब, किसने और क्यों दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १९५५ में सरकार के द्वारा स्थगित करने का आॅर्डर हो गया, इसलिए वसूली नहीं हुई । अभी तक यह सरकार के विचाराधीन है कि आया जो कन्सेशन की इनको पहले ग्रान्ट दी गई थी वह रहे या नहीं, रॉयल्टी वसूल की जानी चाहिए या नहीं।

श्री शिवचरणदास : क्यों दिया यह आॅर्डर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह इसलिए कि जो कन्सेशन पहले दिया गया वह कन्सेशन खत्म हो गया था और जब कन्सेशन खत्म हो गया तो वह रॉयल्टी इन व्यू आॅफ दोज़ कन्सेशन्स इसलिए अब लेना वाजिब है या गैर वाजिब है, सरकार के सामने यह मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या ४७६

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

नवयुग द्वारा प्रकाशित लोकतांत्रिक विशेषांक की खरीद

४८०. **श्री भैरोंसिंह** [(श्री माधोपुर श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नवयुग द्वारा प्रकाशित 'लोकतांत्रिक विशेषांक' की प्रतियां सरकार ने खरीदीं हैं ? यदि हां, तो कितनी और किस दर से ?

(ख) इस सम्बन्ध में कितना कितना रुपया, कब कब दिया गया तथा कितने कितने ऐसे अंक कब कब, किस किस द्वारा प्राप्त किये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि इस विशेषांक की कुछ प्रतियों में चार्ट्स व मैप्स नहीं हैं जो स्पेसीमैन की प्रति में थे ? यदि हां, तो क्यों और कितनी प्रतियों में ?

(घ) ये विशेषांक किस कार्य के लिये खरीदे गये थे तथा किस कार्य में इनका उपयोग हुआ है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां । विकास विभाग द्वारा ढाई रुपये फी प्रति की दर से १३६ विकास खंडों के लिए १२प्रति फी खंड के हिसाब से १६६८ प्रतियों का आॅर्डर दिया गया था । इसी प्रकार पंचायत विभाग द्वारा भी इसी दर से १३०० प्रतियों का आॅर्डर दिया गया था ।

(ख) नवयुग प्रेस ने विकास खंडों की समस्त प्रतियां वी. पी. द्वारा सीधी भेजी थी और पंचायत विभाग की प्रतियों की सप्लाई यहीं जयपुर में की गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्पेसीमैन कॉपी इस विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी ।

Page No.14

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (घ) विकास कार्यों के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा विकेन्द्री-करण की योजना की गांव के लोगों को जानकारी कराने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bhim Sen, I will be taking your question after this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सारी प्रतियां अभी तक उन स्थानों पर नहीं पहुंची ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी नहीं है। प्रतियां वी. पी. से भेजी गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि एडवान्स पेमेन्ट नहीं किया गया है प्रतियां खरीदने के सम्बन्ध में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी नहीं है। प्रतियां बी० पी० से भेजी गई, तो एडवान्स पेमेन्ट का सवाल पैदा नहीं होता। १३०० प्रतियों का पेमेन्ट जयपुर में हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : विशेषांक की प्रतियां खरीदीं, वह बिना देखे खरीदीं, बिना देखे ही ऑर्डर दे रखा था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'बिना देखे' से मतलब ?

श्री दयाकृष्ण विजय : स्पेसीमैन कॉपी नहीं देखी कि इसमें चित्र नहीं थे, यह नहीं था....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्पेसीमैन कॉपी से मतलब है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : स्पेसीमैन कॉपी को बिना देखे ऑर्डर दे दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो विशेषांक निकलता है तो पत्रकार एप्रोच करते हैं। वैसे गवर्नमेंट भी पसन्द करती है कि अमुक विशेषांक निकाला जाय। इसके बाद बातचीत होती है, निगोसियेशन्स होते हैं। इसके लिए स्पेसीमैन कॉपी देखी जाय, यह जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., बीकानेर को जिला उद्योग अधिकारी द्वारा प्राप्त सहयोग

४७६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर्स को बुनकर सहकारी समितियों अथवा संघों को उनके मार्ग मे आने वाली दिक्कतों को दूर करने हेतु मार्ग-दर्शन करना चाहिए ? अगर हां, तो केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., बीकानेर, को रिबेट प्राप्ति में डी. आई. ओ. बीकानेर ने क्या मार्ग-दर्शन एवं सहयोग दिया ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी हां। जिला उद्योग अधिकारी ने रिबेट क्लेम को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने में संघ को मार्ग-दर्शन एवं सहयोग दिया।

Page No.15

श्री भीमसेन : क्या सहयोग दिया है आपने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सहयोग यह दिया कि कपड़ों के ऊपर मोहर लगाने और अन्य कार्य करने में जो उनको अड़चन आती थी, उनके सामने कठिनाई थी, उनके सम्बन्ध में उनके पास गये हैं और जाकर बराबर उनकी कठिनाइयों के बारे में परामर्श किया है, उनको निपटाने की कोशिश की है।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस संघ को आपने नियम, रिबेट को कन्सीडर करने आदि के रूल्स की कॉपी नहीं दी गई। बराबर संघ ने पूछा कि क्या नियम हैं, किस आधार पर रिबेट स्वीकार किया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे पास जो कुछ सूचना है उसके आधार पर निवेदन किया है कि जिला उद्योग अधिकारी वहां पर कपड़े के ऊपर स्टाम्पिंग करने के बारे में और कठिनाइयों के बारे में परामर्श देने के लिए बराबर गये हैं। ऐसी सूचना मुझे देते हैं तो मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। ऐसी बात होगी तो उस पर एक्शन लिया जायगा।

श्री भीमसेन : मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : कब और किसके पास गये, यह सूचना दे सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है, किस रोज कहां गये, किसके पास गये, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

पी. एस. सी. द्वारा चयन किए गये हाथ–कर्घा निरीक्षकों की योग्यताओं के नियम में रिलेक्सेशन

४८१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या हाथ–कर्घा निरीक्षकों का जो चयन पी. एस. सी. से दिनांक २१।३।५६ को हुआ था, उस समय उनके लिये क्या योग्यता निधारित की गई थी ?

(२) क्या किसी केस में योग्यता का नियम रिलेक्स किया गया ?

(३) यदि हां, तो किन किन के केसेज़ में तथा क्यों ? इन व्यक्तियों की योग्यताएं क्या थीं ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जन सेवा आयोग द्वारा हाथ कर्घा निरीक्षकों के चयन के लिए निम्नांकित योग्यता निर्धारित की गई थी। मैट्रिक तथा किसी प्रमाणित टैक्सटाइल संस्था का बुनाई व रंगाई में डिप्लोमा प्राप्त और किसी राजकीय संस्था एवं किसी हाथ कर्घा–फैक्ट्री में २ वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त।

(२) जी नहीं।

Page No.16

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(३) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो इन्सपेक्टर्स सिलेक्ट किये गये पी.एस.सी. द्वारा, इनमें एक केदारनाथ शर्मा और दूसरे हरिश्चन्द्र वर्मा मैट्रिक्युलेट नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आये हैं, इनमें हरिश्चन्द्र वर्मा और केदारनाथ शर्मा दो हैं। मैं समझता हूं कि जो क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड थीं, उसके अनुसार इनको सिलेक्ट किया है। मैं यह जानकारी नहीं दे सकता कि वे मैट्रिक्युलेट हैं या नहीं। डिप्लोमा विथ मैट्रिक होना चाहिये। यह क्वालिफिकेशन्स इनमें जरूर होनी चाहिए तभी पी. एस. सी. ने इनको सिलेक्ट किया। हमने क्वालिफिकेशन्स में रिलेक्सेशन नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स रिलेक्स नहीं किये और पी. एस. सी. ने इनको सिलेक्ट किया है, तो क्या यह माना जाय कि दोनों व्यक्ति मैट्रिक हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नतीजा यही निकलना चाहिए। मैंने निवेदन किया, जो क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब करके भेजी थीं, जो एडवर्टाइज़मेंट हुआ था, वह उन क्वालिफिकेशन्स के साथ हुआ था। उनका सिलेक्शन करके पी. एस. सी. ने भेजा है, उसको मंजूर किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानकारी दे दूं कि केदारनाथ शर्मा दो साल से हाई स्कूल में बैठ रहे हैं और फेल हो रहे हैं। इस साल भी बैठने वाले हैं। आप जांच करवा लीजिये। यही हाल हरिश्चन्द्र वर्मा का है। आप मालूम कीजिये कि पी. एस. सी. के साथ फ्रॉड किया गया है या क्या किया गया है ? मैं निश्चित जानकारी आपको दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे कहें, वे जांच करेंगे क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने नोट कर लिया है, मैं जानकारी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मुख्य अध्यापकों के पदों के लिये आंमत्रित आवेदन पत्र व परिपत्र

४८२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गत वर्ष मार्च माह में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मुख्य अध्यापकों के पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए संचालक, शिक्षा विभाग, की ओर से कोई परिपत्र निकाला गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या उसके आधार पर चुने गये व्यक्तियों में से कुछ को सुरक्षित सूची (Reserved list) में रखा गया था ?

Page No.17

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(३) यदि हां, तो उक्त सूची में कितने और किन किन के नाम थे ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जाये ।

(४) क्या इस सूची में वर्णित कुछ व्यक्तियों को नियुक्त भी कर दिया था ? यदि हां, तो कितने और किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(५) क्या यह सही है कि उक्त सूची के पूरे प्रत्याशियों को नियुक्त न करके गत जुलाई मास में एक और परिपत्र उन्हीं पदों के लिये आवेदन पत्र भेजने के सम्बन्ध में निकाला गया था ? यदि हां, तो क्या उस परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि पूर्वोक्त मार्च मास के परिपत्र के अनुसार जो प्रत्याशी योग्य समझ लिये गये हैं, उनको दुबारा आवेदन भेजना आवश्यक नहीं है ?

(६) क्या यह भी सही है कि पहली सुरक्षित सूची के पूरे प्रत्याशियों को पहले नियुक्त न करके दूसरी सूची के प्रत्याशियों को तरज़ीह दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के अनुसार ?

(७) यदि किसी अधिकारी की गल्ती से ऐसा हुआ है, तो क्या इस सम्बन्ध के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दोषी अधिकारी को दंड देने की उचित व्यवस्था की जायेगी ?

उप मंत्री-शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां । उच्च व उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्रधान अध्यापकों के पदों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ।

(२) जी हां । जब तक उपरोक्त पदों के लिये अन्तिम चुनाव न हो जायं अस्थाई तौर पर नियुक्ति के लिये एक अंतरिम रिज़र्व लिस्ट रखी गई थी ।

(३) रिज़र्व लिस्ट में ३२ नाम थे । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) इस लिस्ट में नम्बर १ का अध्यापक पहले से ही एक प्राइवेट स्कूल में डेपुटेशन पर प्रधानाध्यापक के स्थान पर काम कर रहा था । नं.२ से २२ तक के अध्यापकों को अस्थाई तौर पर फाइनल लिस्ट प्राप्त न होने तक होने वाले रिक्त स्थानों पर प्राधानाध्यापक नियुक्त कर दिया गया था । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) जी हां । योग्यता में छूट देने के कारण माह जुलाई १९५९ में पुनः प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे । उसमें कहा गया था कि जिन अध्यापकों का साक्षातकार पहले ही हो चुका है उन्हें दुबारा प्रार्थना पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो....

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (६) जी हां, चुने हुए अध्यापकों की जब फाइनल लिस्ट तैयार हो गई और चुने हुए अध्यापकों की सीनियोरिटी तैयार हो गई तब से आगे रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति फाइनल लिस्ट में से सीनियोरिटी के आधार पर की गई ।

(७) इसमें किसी अधिकारी की गलती का प्रश्न ही नहीं है । अतः दंड देने का प्रश्न

Page No.18

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह प्रश्न संख्या चार के उत्तर में बतलाया है कि सूची में कुल नाम ३२ थे, जिसमें २२ तक थे उनको ले लिया गया । दूसरों को उसके बाद नहीं लिया गया । उसके लिए दूसरी लिस्ट बनाई, जिसमें फिर से लिया गया । मैं जानना चाहूंगा कि २२ तक लिये गये वे और उसके बाद जो नहीं लिये गये, उनमें क्या अन्तर था ? २२ तक लिये गये स्थाई तौर पर और उसके बाद सूची बदल गई और दूसरों को लिया गया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जवाब में साफ आ चुका है । ऐसा था कि पहले एडवर्टाइज़मेंट निकला था, प्रार्थना पत्र मांगे, उसमें क्वालिफिकेशन्स और थी यानी एस. डी. आई. और मिडिल स्कूल के हैड मास्टर थे, वे एलीजिबल नहीं होते थे । वैसे वास्तव में एस. डी. आई और मिडल स्कूल के हैड मास्टर इसके लिये योग्य थे । अतः योग्य व्यक्ति वंचित रहते थे क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब्ड थीं, उनके कारण इसलिए दूसरे प्रार्थना-पत्र मांगे गये । जो ३२ की सूची मांगी गई, वह इन्टेरिम रिज़र्व लिस्ट थी । तो पहले वंचित रह गये थे, उनके बीच में आने से दूसरी लिस्ट आ गई, वे लोग ऊपर आ गये और स्थान ज्यादा नहीं रिक्त थे, इसलिये बचे हुए लोग पीछे रह गये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरी यही तो आपत्ति है कि २२ तक आपने लिया तब तक तो उनकी क्वालिफिकेशन ठीक मानी गई और २२ के बाद २३ वें का नम्बर आया तो उसमें रद्दोबदल कर दिया गया !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, उस वक़्त तक दूसरा इन्टव्यू हुआ था वह लिस्ट भी तैयार हो गई थी, इसलिये दोनों लिस्टों को एमलगेमेट करके बनाया गया और बाद में जो सीनियर हुए, ज्यों ज्यों स्थान रिक्त होते रहे त्यों त्यों एपोइन्टमेंटस होते रहे । २२ तक कर चुके, तब बाद में वह दूसरी लिस्ट आई, इसलिये जो जुनियर थे वे वंचित रह गये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : २२ की लिस्ट को डिस्टर्ब किया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो जो सीनियर थे उनको उस उस जगह रखा गया । २२ में से यदि कोई आदमी ४ नम्बर पर था और दूसरी लिस्ट आई उसमें कोई सीनियर आदमी था और सीनियोरिटी के लिहाज़ से उसका ४ नम्बर पर नाम आना चाहिये था तो उसको ४ नम्बर पर रखा गया और जो २२ तक की लिस्ट में ४ नम्बर पर था, उसका नाम नम्बर ५ पर आ गया ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा मतलब यह है कि २२ तक जिनको हैड मास्टर बनाया गया उनमें से किसी को दूसरी लिस्ट आने पर हटाया कि नहीं

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है पर कोई सीनियर आदमी वंचित नहीं रहा है, सीनियर को पीछे रख कर किसी जूनियर को लगा दिया हो, ऐसी बात नहीं हुई है ।

Page No.19

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत यह है कि २२ तक जो सौभाग्यशाली थे, लगे, बाद में जो दुर्भाग्यवान् आये उनको नहीं लिया गया । बाद में १० और लेने थे उनको नहीं लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपके पास यदि ऐसी लिस्ट हो जो हमारी दोनों लिस्टों को जोड़ कर बनाई गई है और उसमें यदि किसी सीनियर को पीछे रख दिया हो तो बतायें ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं चाहूँगा कि दोनों लिस्टें दें और यह बतायें कि २२ प्रोवाइड किये, उनमें से किसी को हटाया है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, २२ आ गये, इसके बाद दूसरी लिस्ट आई, उसमें से ४ व्यक्ति ऐसे हैं जो सीनियोरिटी के लिहाज़ से उन २२ के ऊपर या भीतर पड़ते हैं, तो उस सूरत में बाद में जगह खाली हुई तो उन्हीं में से एपोइन्ट करेंगे । २२ के बाद में जितने एपोइन्ट होंगे तो पहले उन लोगों को एपोइन्ट करेंगे । हटाने का प्रश्न नहीं उठता । हटाने का प्रश्न तब उठता जब कि सीनियर एग्ज़ोस्ट नहीं होते और वे २२ ही बने रहते । इस तरह कोई व्यक्ति वंचित रह गया हो तो बतायें ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय खुद कहते हैं कि पहले तो क्वालिफिकेशन थी वह २२ को ले लेने के बाद रिलेक्स की....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं ऐसा नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : In one year, how it is administratively desirable to hold two selections for the same post. Did the Government not visulise the requirements and hold this selection at a time instead of hol ding it twice?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There were no two selections. There was only one selection and because we require so many teachers in the beginning of the year, so an interim list was prepared and as it was found reasonable that certain persons who were not found eligible previously, they were made eligible. No fresh applications were called from those persons who had already appeared before the Board.

श्री पी० के० चौधरी : Is it also correct that in certain meetings of the Selection Board the Chairman of the Public Service Commission did not attend and as such the entire Selection Board's proceedings stand vitiated?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is a separate question, because this does not relate to this question and it is not a valid supplementary. The Hon'ble Member can put a separate question regarding the validity or otherwise of the proceedings of Selection Board.

Page No.20

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न के पांचवें भाग का उत्तर ही यह है : "जी हां"। योग्यता में छूट देने के कारण माह जुलाई १९५९ में पुन: प्रार्थनापत्र मांगे गये थे, जिसमें कहा गया था कि जिन अध्यापकों का साक्षात्कार पहले ही हो चुका है उन्हें दुबारा प्रार्थनापत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार उन गरीबों का दुबारा नाम नहीं आया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह रिज़र्व लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। रिज़र्व लिस्ट इसलिये बनाते हैं कि उसमें चैंज कर सकते हैं। रिज़र्व के लिये स्थान रखते हैं। सिलेक्शन नहीं होता है और स्थान रिक्त होता है तो उन लोगों को रखा जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रिजर्व में से लिये जायं....

श्री उपाध्यक्ष : Next Please. Shri Moolchand Daga.

जिला पुस्तकालय पाली

४८३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पाली शहर की पाली जिला पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं ?

(ख) सन् १९५७, ५८ व ५९ में कितनी कितनी पुस्तकें पाठकों को पढ़ने के लिये दी गई ?

(ग) इस पुस्तकालय और वाचनालय का वार्षिक खर्चा कितना होता है ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सन् ५८-५९ के अन्त में १७८२ थीं व इस समय करीब २३८१ हैं।

(ख) सन् १९५७-५८ में ४१२७ तथा १९५८-५९ में ६२५४ पुस्तकें पाठकों को पढ़ने के लिये दी गई।

(ग) सन् १९५९-६० का वार्षिक बजट ५५५० रु० स्वीकृत किया गया था तथा २०५० रु० विशेष अनुदान किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

जयपुर शहर में शक्कर के राशन कार्ड देना

४८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state:

1. How many sagar ration cards have been issued so far by the Civil Supplies Department in Jaipur City ?

2. Will the Government place on the Table of the House a statement showing the names of the licenced dealers in the city and the number of ration cards registered with each one of them ? What is the quantum of sugar supplied to each of these licenced dealers every month during the last six months ?

नागरिक रसद मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. 81918 Sugar ration cards have been issued in Jaipur City.

Page No.21

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

2. The list is placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that out of these 5 lakhh people for which ration cards have been issued about 1½ lakh do not exist at all ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : आपकी लिस्ट है उसमें बताया गया है कि ५,२१,००० राशन कार्ड जयपुर शहर में इश्यू किये हैं। तो क्या यह सही है कि ५,२१,००० में से २,००,००० एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका मतलब है कि आदमी एग्जिस्ट नहीं करते ?

श्री पी० के० चौधरी : जी हां।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मैं जानकारी कैसे दे सकता हूं ! आपने पूछा कि कितने राशन कार्ड इश्यू किये जयपुर में, तो मैंने बता दिया कि ५,२१,००० राशन कार्ड जयपुर में इश्यू किये येग। अब जयपुर की पोपुलेशन ५ लाख है या ४ लाख है, यह मैं नहीं बता सकता।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं उनके अनुसार एक फेमिली का एवरेज ४ मेम्बर्स आता है, फोर मेम्बर्स पर फेमिली का रेशयो है। इस लिस्ट को देखेंगे तो ६ से ७ तक एक फेमिली के मेम्बर्स हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): ये स्टेटिस्टिक्स पुरानी हैं, अब तरक्की हो गई है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यह लिस्ट है I have calculated, the number of persons is 5 lakhs and the ration cards are 81,000, and almost invariably in 70 percent of the cases each family has got more than 6 members; whereas the average of family is 4 persons.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is a thickly populated city.

श्री पी० के० चौधरी : मैं स्टेटिस्टिक्स से बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : एवरेज फेमिली तो बच्चों से मान रहे हैं, कइयों के ज्यादा बच्चे हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, I have to put one more supplementary.

क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की जाय कि कुछ राशन कार्ड सपर लाइसेंस डीलर्स, रेगुलर इश्यू नहीं होने पर भी इश्यू किया दिखा देते हैं और they use that quota for themselves when it is not issued to the card holders.

Page No.22

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। इस मामले को कलेक्टर्स डील करते हैं; कलेक्टर ही परमिट देते हैं तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्टिक्युलर व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हो तो बता दें, इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : शिकायत करने पर इन्क्वायरी करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री पी०के० चौधरी : मैंने खुद ने शिकायत की थी पर कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। I have myself complained to the Collector, Jaipur.

पलाना की कोयला खान

४८५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पलाना कोयला खान ने सन् १९५७ : ५८ व ५८–५९ में कितना मुनाफा दिया ?

(ख) क्या इस खान से पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके, उसके संबन्ध में सरकार की कोई निश्चित योजना है ?

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस खान को ओपन केस सिस्टम से ओपरेट करने की योजना है ? अगर हां, तो इस संबन्ध में अब तक सरकार ने क्या कदम उठाया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(क) इसमें मुनाफा नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) ओपन कास्ट लिग्नाइट योजना को राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं दिया गया है।

श्री भीमसेन : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें पलाना कोयला खान के ओपन केस सिस्टम के लिये २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे हमारे प्रोपोज़ल थे। वे अलटीमेटली आग्यू होकर फाइनेलाइज़ नहीं हुए। इस बीच में भारत सरकार ने एक्सपर्ट की कमेटी मुकर्रर की कि ओपन केस सिस्टम में क्या किया जा सकता है और उस कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : तो आपने नहीं कहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने पूछा है कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस खान को ओपन केस सिस्टम से ओपरेट करने की योजना है? अगर हां तो इस संबन्ध में अब तक सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी आपने बताया कि विचाराधीन है। विचाराधीन क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : रिपोर्ट तो दे दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत सरकार की ओर से रिपोर्ट आ चुकी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

कैटल ब्रीडिंग फार्म, बस्सी में दाने की खरीद

४८६. श्री भैरोंसिंह [(श्री माधोपुर) श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० में कैटल ब्रीडिंग फार्म, बस्सी में दाना खरीदा गया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का और कितने मन ?

(२) क्या दाने की खरीद के लिये टेन्डर्स मांगे गये थे ? यदि हां, तो टेन्डर नोटिस कब दिया गया ? किस किस के, किस २ दर के टेन्डर्स आये तथा किसका टेन्डर मंजूर किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि लोएस्ट टेन्डरर का टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) किस अधिकारी ने टेन्डर नोटिस निकाले थे और किनके द्वारा मंजूर किये गये ?

(५) क्या यह सही है कि ऊंची दरों पर दाना खरीदने से सरकार को ढाई हज़ार के लगभग रुपयों की हानि हुई है ?

(६) क्या यह सही है कि यह दाना ठेकेदार (टेन्डर्स) की शर्तों पर ही खरीदा गया ? यदि हां, तो क्यों तथा वह शर्त क्या थी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, रु० ६२,६२५, २५ न० पै० का ४,०३६ मन २७ सेर ।

(२) जी हां, १३.७.५९ को संचालक, जन सम्पर्क विभाग को टेन्डर नोटिस भेजा गया था जो कि २६. ७. ५९ को स्थानीय दैनिक पत्रों में छपा ।

निम्नांकित फर्मों से टेन्डर्स प्राप्त हुए :

(१) श्री अब्दुल करीम एण्ड ब्रॉदर्स, जयपुर ।

(२) श्री रामसहाय रामगोपाल, जयपुर।

(३) श्री हरियलदास खानचंदानी, जयपुर ।

(४) श्री खन्डेलवाल एण्ड को०, अलवर ।

(५) श्री राधेश्याम दालवाला, जयपुर ।

(६) श्री विजयलाल भगवानसहाय, बस्सी ।

(७) श्री बच्चुमल पमनदास, जयपुर।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिन्सों की दरें संलग्न स्टेटमेंट में हैं।

श्री हरियलदास खानचन्दानी का टेन्डर मंजूर किया गया।

(३) जी नहीं।

(४) सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैटिल ब्रीडिंग फार्म, बस्सी की ओर से टेन्डर निकाले गये थे। संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा दरें मन्जूर की गयीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह आपने जो सूचना दी है वह दाने की खरीद के लिये दी है। दाने में, मैं समझता हूं, खाखला नहीं आता। आपने 'जी नहीं' का जवाब कैसे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि ये टेन्डर एक साथ सारी चीजों के लिये दिये थे। आपने केवल दाने का ही पूछा था और खाखले का नहीं पूछा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों के टेन्डर्स अलग अलग मांगे जाने चाहिये थे। आपने खाखले का ६,००० मन, वीट ग्रेन १,४४० मन बतलाया।

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि लोएस्ट रेट से क्या टेन्डर मन्जूर किया गया ? आप देखेंगे कि श्री हरियलदास खानचंदानी की रेट है व्हीट ६.७५ न० पै० और खन्डेलवाल की है ८.७२ नये पै० दोनों की रेट में एक रुपया, ३ न० पै० का अन्तर आता है।

प्रश्न दोनों के लिये है। मगर आपके डिपार्टमेंट ने किया क्या है कि दोनों को एक साथ मिला कर यह बता दिया है कि दो हजार रुपये कम आई है इसलिये उसका टेन्डर मंजूर किया गया। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आप केवल इतना ही बता दें कि आपने इसमें लोएस्ट रेट्स को मंजूर किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको कहा कि टेन्डर एक साथ सब के मांगे गये थे और ७-८ लोगों ने टेन्डर दिये। उसमें ४ या ५ ने कहा कि सारी चीजें एक साथ लेंगे तो इस रेट से सप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस हिसाब से फिर जो टेन्डर आये उसको साल भर के वेल्युएशन की टोटल निकाल कर जो वह आती है उसकी खरीद साल भर के लिये करने के लिये जिसका टेन्डर कम था उसको मंजूर किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐसा मान लें कि सभी टेन्डर्स देनेवालों ने ये शर्तें लिखत में दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब ने लिख कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि अलग अलग आइटम्स के लिये अलग अलग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टेन्डर्स इन्वाइट करते, जिससे किसी के नीचे कुछ रेट का फर्क रहता और ऑन दी होल सरकार को १० या ५ हजार की बचत हो सकती थी। किसी चीज़ की रेट बच्चुमल की लोएस्ट थी तो किसी में खंडेलवाल की लोएस्ट थी। इस तरह से यदि करते तो १० हजार की बचत हो सकती थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो एक ही टेन्डर है। इसमें सब की कीमतों को लगावें तो भी उसकी रेट सबसे कम है। आपको इसकी दरें सबसे कम ५७ हज़ार मिलेगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक आदमी से सारी चीजों में डील करने में सहूलियत भी होती है और कॉम्पलीकेसीज़ पैदा नहीं होती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरकार ने टेन्डर मांगे तो क्या सरकार ने उसमें सूचना दी कि हम एक साथ ही जो सारी चीज़ें देंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार ने नहीं लिखा लेकिन टेन्डरर्स ने लिखा कि सब चीजें साथ लेंगे तो हम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४८७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जब सुपरिन्टेन्डेन्ट कैटल ब्रीडिंग फार्म बस्सी की ओर से टेन्डर ...

उपाध्यक्ष : Well, I have taken the other question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

उपाध्यक्ष : No, I have to adjust within time.

राजस्थान जन सेवा आयोग के स्थायी सभापति की नियुक्ति

४८७. श्री बी. एन. जोशी (चांदीकुई) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) Since when the office of the Chairman of the Rajasthan Public Service Commision has not been filled on a permanent basis and what steps has the Government so far taken in this direction ?

(b) Is the Government aware that continued absence of a permanent Chairman is likely to affect prejudicially the utility and efficiency of P. S. C. ?

(c) When names were suggested for this office last time by the State Government ?

(d) Why new names have not been suggested or recommended to the appropriate authority thereafter and when does the Government propose to do so now ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (a) Since 4th December, 1958.

(ii) Efforts are being made to secure the services of some distinguished and experienced person for this high post of responsibility.

(b) As the officiating Chairman was already a member of the P. S. C. there is no difficulty in the working of the P. S. C. and hence the question of the temporary absence of the permanent incumbent having any prejudicial effect on the efficiency of the P. S. C. does not arise. To provide further assistance, a temporary post of Member, P. S. C. was also filled in with effect from 1. 12. 1959.

(c) The appointment of the Chairman and members of the P. S. C. lies within the competence of the State Government and is made in accordance with regulation No. 7 (1) of the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1951.

(d) The question of suggestion to some other authorities does not arise.

श्री बी. एन. जोशी : I had enquired when it was last suggested. I could not get a clear reply to that.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सजेस्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । डिसिज़न का प्रश्न है ।

श्री बी. एन. जोशी : Am I to take it that the State Government is not required to make any suggestion to the Governor ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is implied. For so many appointments not only for P. S. C., we have to recommend to the Govenor, but the decision is to be taken by the Government.

श्री बी. एन. जोशी : So I want to know when the names were last recommended to the Governor ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Only one name was recommended, but the gentleman refused because he had already taken appointment somewhere else.

श्री बी. एन. जोशी : May I take it that besides that one name no other name was recommended ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Some more persons were recommended, but they did not agree to join.

श्री बी एन. जोशी : Whose name was recommended ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That would not be proper to disclose.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I will not allow that.

(विराम)

नेक्स्ट, श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जयपुर जिले की पंचायत समितियों को प्रदत्त धन-राशि

४८८. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर सु०)** : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जयपुर जिले की किस २ पंचायत समिति को ७५०) रु० प्रति परिवार सहायता दी गई ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को इस प्रकार की सहायता नहीं दी जाती ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) अमृतपुरी कॉलोनी, फतहटीबा कोलोनी और कोली कॉलोनी चौगान बस्ती में कितने परिवारों को ७५०) रु० के हिसाब से सहायता दी गई ? क्या ये कोलोनीज़ म्युनिसिपल क्षेत्र में नहीं हैं ?

(ङ) हरिजन कॉलोनी गांधीनगर के लोगों को सहायता नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जयपुर जिले की निम्न पंचायत समितियों को ७५०) रु० प्रति परिवार के हिसाब से सहायता दी गई :—

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	रकम
१.	सिकराय	११,२५०) रु०
२.	कोटपूतली	३,७५०) रु०

(ख) जी नहीं, दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये कोलोनियां नगरपालिका क्षेत्र में है।

(ङ) गांधी नगर में कोई ऐसी हरिजन कॉलोनी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सूची में बताया गया है कि गांधी नगर में कोई हरिजन कॉलोनी नहीं है, यह गलत है। मेरे ख्याल से आपको विभाग वालों ने यह जानकारी नहीं दी है। आप अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से तलाश करें तो आपको मालूम होगा कि गांधी नगर में गांधीनगर हरिजन कॉलोनी है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किसी ने नाम रख लिया होगा ।

(हंसी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : दूसरी बात यह है कि.......

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम

४८६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कोई नये नियम निर्धारित किये हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त नियमों से कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुंचा है ?

(३) यदि हां, तो किस किस जिले के किन किन व्यक्तियों को ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जाये।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) नियमों के अनुसार लाभ मिला है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : श्री किशन प्रसाद भटनागर करौली, जिला भरतपुर, यह गलत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्पष्ट है, गलत ही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दो को सिर्फ मिला है तो नये नियमों के अनुसार। क्या दूसरों के आवेदन-पत्र नहीं आये, जिन्होंने चाहा कि नये नियमों का लाभ उनको भी पहुंचे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आये होंगे, विचाराधीन होंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरे लोगों ने भी भेजे, जैसा कि कलेक्टर के मार्फत आना चाहिये, उन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है, ऐसे केसेज़ हों। उनके बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। जिनके लिए निर्णय लिया गया उनकी जानकारी मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सांगरिया विद्यापीठ को सरकारी सहायता

४६०. श्री भैरोंसिंह [(श्री माधोपुर) : श्री शिवचरण दास (माडल) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सांगरिया विद्यापीठ को किसी किसी तारीख को राजस्थान बनने से लेकर अब तक कितनी २ ग्रान्ट-इन-एड या शिक्षा सम्बन्धी अन्य सहायता सरकार द्वारा दी गई है ?

(ख) सांगरिया विद्यापीठ की ऑडिट रिपोर्ट किस किस वर्ष की, किस किस तारीख को सरकार के समक्ष पेश हुई ?

Page No.29

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) यह ऑडिट रिपोर्ट किन किन ऑडिटरों की है ? अंतिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) १९५०-५१ में	१०,०००) रु०
१९५१-५२ में	१८,०००) रु०
१९५२-५३ में	१८,६६०) रु०
१९५३-५४ में	२३,७६०) रु०
१९५४-५५ में	१८,६६०) रु०
१९५५-५६ में	२४,७५५) रु०
१९५६-५७ में	३२,७१२) रु०
१९५७-५८ में	२६,०२३) रु०
१९५८-५९ में	३३,५८७) रु०
१९५८-५९ में	१,००,०००) रु० नोन रेकरिंग ग्रान्ट
१९५९-६० में	३६,६८१) रु०

(ख) सहायता प्राप्त संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश नहीं होती, लेकिन अगले साल की सहायता देने से पहले पिछले साल के आय-व्यय के हिसाब की जांच विभाग द्वारा अपने अकाउन्टेन्ट द्वारा कराई जाती है और उसकी रिपोर्ट सहायता प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र के साथ ही पेश होती है।

(ग) सन् ५७-५८ में आय-व्यय के हिसाब की जांच श्री विद्याधर, असिस्टेन्ट ऑडिटर, द्वारा, सन् ५८-५९ में श्री रामजीलाल अकाउन्टेन्ट द्वारा तथा ५९-६० में श्री एस. एन. ओझा अकाउन्टेन्ट द्वारा की गई। अन्तिम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ग्रान्ट्स दी गई। आपने बताया कि रिपोर्ट ऑडिट द्वारा नहीं दी जाती। अकाउन्टेन्ट द्वारा जांच की जाती है वह अगली रिपोर्ट से पहले आती है। ५८. ५९ में ३३,५८७ की ग्रान्ट दी गई तो क्या पहले की रिपोर्ट आ चुकी थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिपोर्ट नहीं आती है। ऑडिट होकर अगले साल देनी होती है तो अकाउन्टेन्ट चैक करके विभाग में भेज देते हैं और ग्रान्ट-इन-एड देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ग्रान्ट दी ५८-५९ और ५९-६० की, तो जिन्हें रिपोर्ट चैक करना था वह चैक होकर विभाग के पास आ चुकी थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पर्सेन्टेज क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ७५ पर्सेन्ट।

प्रश्न संख्या ४६१

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६२

श्री लादूराम सुलाखिया।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी का विकास कार्य हेतु प्रदत्त धन-राशि

४६३. श्री बेनाराम गहलोत, (खारची): क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(श्री बेनाराम गहलोत)

(१) पाली जिले के देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्य हेतु विकास खंड शुरू होने से ३१ मार्च, १९५९ तक पंचायत बूसी के अधीनस्थ किन २ गांवों में, किन २ कार्यों के लिये, किस २ तारीख को, कितनी धनराशि दी गई और कौन २ से कार्य संपूर्ण हो गये हैं व कौन २ से कार्य बकाया हैं ?

(२) किन २ कार्यों में कितनी २ धन राशि जनसहयोग से प्राप्त हुई है और किन २ कार्यों का हिसाब पेश किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : This question is postponed.

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : रिप्लाई नहीं आया है इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I had already said that this question is postponed.

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

टौंक जिले की हाई स्कूलों की दसवीं कक्षा का मालपुरा में रखा गया परीक्षा केन्द्र

४६८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि इस साल टौंक जिले की कुछ हाई स्कूलों की दसवीं कक्षा का परीक्षा केन्द्र बजाय टौंक के मालपुरा में रखा गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : टौंक सेन्टर में लड़कों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रख कर मालपुरा में एक नया सेन्टर और स्थापित किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसको ध्यान में रख कर किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : टोडा रायसिंह, उनियारा, निवाई, मालपुरा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूं कि वहां पर निवाई भी है, देवली भी है। उनियारा, टौंक को इग्नोर करके मालपुरा में क्यों रखा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निवाई में रख देते तो भी आप कहते कि निवाई में ऐसी क्या खासियत है। हर एक जिले की कुछ न कुछ खासियत तो है ही।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दस बारह वर्षों से टौंक में एग्जामिनेशन होते थे अब तक पलटने की नौबत नहीं आयी, अब क्यों आ गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह तो स्पष्ट ही है।

(हंसी)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील के समाज कल्याण केन्द्र

४६९. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में किन किन जगहों पर समाज कल्याण केन्द्र कितने २ अर्सों से खुले हुए हैं ?

(ख) उन समाज कल्याण केन्द्रों में क्या २ कार्य होते हैं और क्या इन कामों का

(श्री मूलचन्द डागा)

निरीक्षण होता है ? यदि हां, तो किन २ के द्वारा, कब २ यह निरीक्षण हुआ और उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं ? किसी एक रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) पाली जिले में एक समाज कल्याण योजना चल रही है जिसमें निम्न केन्द्र चलाये जा रहे हैं :

केन्द्र का नाम	स्थापना तिथि
१. हेमावास	६. ८. ५७
२. गुन्दोज़	२. ६. ५७
३. खेरवा	२. ६. ५७
४. लाम्बिया	१६. १०. ५७

इन केन्द्रों पर बाल-वाड़ी, उद्योग, समाज शिक्षा, प्रसूति सेवायें, दुग्ध वितरण, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि प्रवृत्तियों का संचालन किया जाता है।

कार्य उचित रीति से सम्पन्न हो, इसके लिये योजना की अध्यक्षा के साथ योजना संचालन समिति के सदस्यगण समय समय पर इन केन्द्रों का निरीक्षण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया जाता रहता हैं। कभी कभी राज्य बोर्ड की अध्यक्षा द्वारा भी इन केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है। सन् १९५८–५९ में इस प्रकार से योजना का निरीक्षण किया गया है :

नाम निरीक्षण कर्त्ता	तिथि
१. श्री गोपालसिंह, निरीक्षक	१०. १२. ५८
२. श्रीमती गौरी पूनिया, सदस्या राज्य बोर्ड	१४. ६. ५९
३. श्री गोपालसिंह, निरीक्षक	२६. ७. ५९
४. श्रीमती सत्यवती जोशी, कल्याण अधिकारी	२९ व ३० सितम्बर, ५९
५. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया, अध्यक्षा, राज्य बोर्ड	७. ६. ५९

राज्य बोर्ड सदस्या श्रीमती गौरी पूनिया, एम. एल. ए. द्वारा इस योजना का निरीक्षण दिनांक १४. ६. ५९ को किया गया। रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ठ ८ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या इनमें से कुछ सदस्यों ने यह सिफारिश की है कि इन केन्द्रों को बन्द कर दिया जावे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : रिपोर्ट की जांच की उसमें यह सिफारिश की गई है कि धनाभाव से केन्द्र ठीक रूप से काम नहीं करते हैं इसलिये उनको धन राशि देनी चाहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिपोर्ट है वह प्रस्तुत है। इसमें केन्द्रों का काम बहुत अच्छा है, यह लिखा हुआ है। केन्द्र अच्छी तरह से चल रहे हैं।

श्री मूलचंद डागा : मैंने धनाभाव का कारण बताया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद थोड़े बहुत अभाव तो दिखाई देते हैं, जैसे कुछ सामान की कमी। इसके लिए रिपोर्ट की है कि कम सामान हो तो और खरीद लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

अजमेर शहर में नई खुली माध्यमिक शाला

४७० श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अजमेर शहर में कोई माध्यमिक शाला इस साल सरकार ने स्वीकृत की है ? अगर हां, तो क्या इसमें जिला विकास समिति की राय ली गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के उक्त स्कूल में छठे दर्जे के अलावा निरीक्षक, शिक्षा विभाग, अजमेर ने ७ वीं व ८ वीं दर्जे तक की पढ़ाई की आज्ञा दे दी है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) तीन माध्यमिक शालायें अजमेर के लिए स्वीकृत की गई हैं जिनमें जिला विकास समिति की राय ली गई थी ।

(ख) अजमेर की तीनों प्राथमिक शालाओं गांधी भवन, देहली गेट और मेयो कॉलेज में कक्षा ६ और ७ क्रमशः १९५७, ५८ व १९५९ में बड़ी समस्या के समाधान के लिए खोल दी गई थी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शिक्षक नहीं दिये गये थे । परन्तु अध्यापक कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ कर्मचारियों को दूसरी ऐसी शालाओं से जहां से शिक्षक हटाने पर पढ़ाई में कोई बाधा न पड़ती हो, हटा कर इन स्कूलों में लगाया गया था । क्योंकि १९५९-६० में कक्षा ७ के छात्रों को ८ वीं कक्षा में भर्ती करना आवश्यक था अतः इन स्कूलों को जिनमें बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कक्षा ६ व ७ चल रही थी माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिससे कि ८ वीं कक्षा चालू हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, ४९२ का जवाब दिला दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह जरूरी था ।

श्री उपाध्यक्ष : Written reply may be placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

१२. १०. म. प.

मांग संख्या ३२, सामुदायिक विकास परियोजनाएं

[उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत हुए]

श्री अनूपसिंह (बालोतरा):

That the Demand No. XXXII Major Head 63-B "Community Development Project be reduced by Re.1/— (To discuss inefficiency of the Department.) "

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में धन के दुरुपयोग को अविलम्ब बन्द करने हेतु)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को उसके क्षेत्र के राजस्व का सम्पूर्ण भाग विकास कार्यों हेतु प्रदान किये जाने पर विवाद करने हेतु)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को विकास तथा समाज कल्याण कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि के संबंध में विचार करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पाली में खंड खोलने पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की कमी पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा– सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जावे (एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की तनख्वाहों में जो डिसपेरिटी है उसे खत्म करने पर बहस करने हेतु)

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जावे (सामुदायिक विकास पर परियोजनाओं के एस्टेब्लिशमेंट पर होने वाले भारी खर्चे पर बहस करने हेतु)

श्री शंकरलाल (रायपुर)

That the Demand No. XXXII Major Head 63-B "Community Development Projects National Extension Service and Local Develoment Works" be reduced by Re 1/- (To discuss the inadequacy of funds for Local Development works).

That the Demand No. XXXII Major Head 63-B-" Community Development Projects, National Extension Service and Local Development works" be reduced by Rs. 100/- (For early conversion of Jaitaran and Pali Shadow Blocks into first Stage Blocks).

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १००) रुपये की कटौती की जाय (पीपायखूट पंचायत समिति क्षेत्र में विकास खंड खोलने हेतु विचार करने के लिए)

(श्री भोगजी भाई)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जावे (कुशलगढ़ विकास खंड की असफलता पर विचार करने हेतु)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जावे (पंचायत समितियों के प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने पर बहस करने हेतु)

श्री दलीपसिंह (बारां) :

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाये (पंचायत समिति की डिफेक्टिव चुनाव प्रणाली पर बहस करने हेतु)

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी)

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं में धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)]

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव "to discuss the inefficiency of the department" है।

इनएफीशियेन्सी काफी ब्रोड टर्म है। इस ब्रोड टर्म को कुछ तथ्यों के साथ विकेन्द्रीकरण के बाद जो हमारे सामने आये हैं वे मैं सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात जो देखनी पड़ेगी वह यह कि विकेन्द्रीकरण करने के बाद हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों का निर्माण किया उसमें विकास विभाग, पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी का क्या संबन्ध है, इनकी एक दूसरे की क्या डयुटी है तथा उसको किस हद तक सफल बनाने में और इस विकेन्द्रीकरण को सुचारू रूप से चलाने में कौन कितनी मदद कर सकता है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि जब से हमारे यहां विकेन्द्रीकरण का सिलसिला चालू हुआ उसके साथ साथ हमने यह देखा कि जो विकास अधिकारी हैं, जो यह समझते थे कि हम कुछ अपने इनीशियेटिव से काम कर सकते हैं, आज वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस इन्टरेस्ट के साथ इससे पहले विकास अधिकारी काम किया करते थे उस इन्टरेस्ट के साथ आज काम नहीं कर रहे हैं। अब उनमें यह भावना पैदा हो गई है कि जो प्रधान है उनके जिम्मे सब काम हैं वे जैसा सुझाव देंगे वैसा काम होगा, मेरा कोई काम नहीं। मैं मानता हूं कि यह जरूरी बात है विकास अधिकारी उसमें सुझाव पेश करें और वे अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी भी फील करें। अगर वास्तव में वे ऐसा नहीं समझते तो विकास के जो काम हैं वे केवल प्रधान नहीं कर सकता और उस रेस्पोन्सिबिलिटी से विकास अधिकारी को अलग भी नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं, यदि हमने इस प्रकार की रेस्पोन्सिबिलिटी को खत्म करके विकेन्द्रीकरण

(श्री अनूपसिंह)

किया हो तो विकास अधिकारी का क्या काम रहेगा ? Vikas Adhikari is the co-ordinating factor between the Development Deptt., Jila Parishad and the Panchayat Samiti. अगर उस हद तक काम करता है उसी पोज़ीशन में रह कर तब तो ठीक है । अगर वह समझता है कि प्रधान को पूछूं या न पूछूं, मैं अपने अधिकारों को काम में लूंगा, यह भी ठीक नहीं है । इसके साथ-साथ यह भी कि प्रधान की मन्शा को मालूम करे, पंचायत समिति की राय ले, पंचायत समिति प्रस्ताव पास करके जो कुछ कार्य करती है उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी उस पर है । अब देखने में यह आ रहा है कि विकास अधिकारी का हमारे यहां कोई काम नहीं, पंचायत समितियां करेंगी या प्रधान करेंगे इसके । साथ साथ यह भी हुआ है कि जहां प्रधान की इस प्रकार की भावना हुई है वहां विकास अधिकारी नहीं पूछता कि उसकी उसमें क्या राय है, बिना पूछे वह सुझाव क्यों दे ? इस तरह से जो आज काम हो रहा है उससे बड़ी भारी अड़चनें पैदा हो रही हैं । एक दूसरे को अपनी अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी फील करनी चाहिये आज इस तरह से काम नहीं हो रहा है । इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नजीरें भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ।

पंचायत समिति अगर कोई प्रस्ताव पास कर देती है और वह विकास अधिकारी को अच्छा नहीं लगता है तो वह उसको फॉर्वर्ड तक नहीं करता या करता भी है तो गलत-सलत तथ्य लगा कर फॉर्वर्ड कर देता है ताकि वह बात बन नहीं सके और विकास अधिकारी अपने ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी लेकर कोई काम करता है तो प्रधान मन्जूरी नहीं देता है । विकास अधिकारी, प्रधान और विभाग में बराबर समन्वय, सामन्जस्य होना चाहिये जिसकी वजह से हमारा विकेन्द्रीकरण सफल हो सकता है । जिस भावना से हमने इस विकेन्द्रीकरण को चालू किया है वह भावना पूरी हो । प्रधानों और पंचायत समितियों को अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी महसूस करने की आदत हो गई हो, यह बात नज़र नहीं आती।

मैं एक विकास अधिकारी के बारे में जिक्र करूंगा । हमारे बाली ज़िले में रानी पंचायत के एक विकास अधिकारी हैं, प्रधान हैं । जहां तक काबलियत का सवाल है दोनों बहुत काबिल आदमी हैं लेकिन दोनों में इस तरह की बातें चलती हैं कि वे एक दूसरे की बात को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते । कहीं पर प्रधान अपनी राय देता है तो विकास अधिकारी उसको उड़ा देता है और इसी तरह से विकास अधिकारी कोई बात कहता है तो वह प्रधान के नहीं जंचती । पंचायत समिति ने किसी प्रकार का प्रस्ताव पास किया । विकास अधिकारी उसको भेज देता है । उसके बाद जब पूछते हैं कि उस पर क्या कार्यवाही हुई, पता नहीं रहता । विकास अधिकारी दूर प्रोग्राम बनाता है प्रधान को पूछने की वह आवश्यकता नहीं समझता इधर उधर जीप को दौड़ा आये । इस तरह से प्रधान और विकास अधिकारी में कोई सामन्जस्य नहीं । रानी के विकास अधिकारी मि० दुबे हैं उनको किसी की परवाह नहीं । वे नहीं सोचते कि पंचायत का प्रधान है वह अफसर है उसकी राय ले लें प्रधान को अफसर नहीं तो बराबरी का काम करने वाला भी नहीं समझते, साथी भी नहीं समझते । कोई प्रोग्राम बनाते हैं या किसी चीज को आगे फॉर्वर्ड करते हैं

(श्री अनूप सिंह)

तो वे प्रधान से पूछने की आवश्यकता नहीं समझते। हमारे यहां पर वेटरनरी पोस्ट कायम किया जाय, इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया, प्रधान के कहने के बावजूद भी विकास अधिकारी ने उस चीज को आगे फॉर्वर्ड नहीं किया। वह पार्टी बना कर भी रखते हैं जो प्रधान के खिलाफ हों पंचायत समिति में ऐसे मेम्बर्स को अपनी तरफ कर रखा है ताकि प्रधान कुछ नहीं कर सके। इस तरह की जहां बातें होती हैं हमने विकेन्द्रीकरण जिस मकसद से किया वह मकसद क्या यही था? हम चाहते थे कि यह पॉवर आखिरी तबके तक पहुंचे, वह नहीं पहुंच पाई है। हमारे विकास अधिकारी और डवेलपमेन्ट अधिकारियों में इस प्रकार की भावना आये तब जाकर कहीं काम बन सकता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पंचायत विकास अधिकारी के पास आपके विभाग के पास फॉर्वर्ड करने के लिये भेजती है लेकिन उसका महिनों तक डिपार्टमेंट से जबाब नहीं आता किस वजह से नहीं आता है, यह हम नहीं कह सकते। आपका जो इस प्रकार ढिलमिल एडमिनिस्ट्रेशन रह गया है उसके कारण पंचायत समितियां जो कुछ अपने प्रस्तावों को कार्य रूप देना चाहती हैं वह दे नहीं पाती। विभाग सारे हैड्स बना कर देता है कि इस इस हैड में इतना इतना खर्च होगा, प्लान के एग्ज़ीक्यूट करने में किसी प्रकार की डिफीकल्टी होती है तो वे पूछते हैं लेकिन विभाग भी उसको पूरा करके नहीं बता सकता तब तक पंचायत समितियां अपना काम रोके बैठी रहती हैं। पंचायत समितियें और आपके ये डिपार्टमेन्टस इस तरह से चल रहे हैं कि मानो ये एक प्रकार से खेल कर रहे हों। जितनी जिम्मेदारी विकेन्द्रीकरण के बाद इनको समझनी चाहिये वह नहीं समझ रहे हैं! कहने को तो यह हो गया कि हमने तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया अब आपका काम है, यह इस तरह की चीज है किसी भी चीज़ से एस्केप करना हो। यह तो ऐसा हुआ कि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी थी वह दूसरों पर डाल दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज़ तो ऐसी हुई "We are putting a cart before the Horse," and not that we are harnessing the cart before the horse. घोड़े को गाड़ी के आगे रख दिया गया है। आप अगर किसी चीज़ को वाकई चलाना चाहते हैं तो गाड़ी और घोड़े दोनों का सामन्जस्य हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा।

जैसे सुमेरपुर का ब्लॉक है पाली जिले में। वहां के विकास अधिकारी पहले बहुत अच्छे थे। १६५२ के बाद से वहां पर न तो कोई स्टॉक रजिस्टर है न किसी तरह के खर्चे का हिसाब। इस बात की प्रधान ने कलेक्टर को इत्तला दी कि इस प्रकार से गड़बड़ी है अकाउन्ट मैन्टेन नहीं होता है। इस पर २५, २६ दिसम्बर को कलेक्टर ने वहां का मुआ-यना, किया उन्होंने क्या रिपोर्ट लिख कर दी, यह अभी तक पता नहीं चला। कलेक्टर जांच करते हैं उसकी रिपोर्ट तक का पंचायत समिति को पता नहीं चलता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : आप पाली जिले का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अनूपसिंह : सुमेरपुर ब्लॉक, पाली ज़िला। अब कलेक्टर के अलावा एक और डिपार्टमेंटहै डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट जिससे इसका सम्बन्ध है। वह भी कोई एक्शन लिये जाने

(श्री अनूपसिंह)

की फिक्र नहीं करता। आप कह सकते हैं कि प्लान तो ठीक है पर अभी शुरुआत है, आगे चलकर सब ठीक हो जावेगा। विकास अधिकारी के काम करने के ढंग अच्छे नहीं हैं। तो जब डिपार्टमेन्ट जिसको यह काम करने की पहली जिम्मेदारी सौंपी गई है वही नहीं काम करेगा तो कलेक्टर समझेगा कि मैं ही क्यों इसमें अपना दिमाग लगाऊं, जिसको करना है वह विकास अधिकारी करे। तो इस तरह से दोनों अपनी जिम्मेदारियों से हटने लगते हैं। तो इस तरह यह आपका क्या विकेन्द्रीकरण है, क्या केन्द्रीयकरण है ? विकेन्द्रीकरण और केन्द्रीयकरण किसी का भी पता नहीं।

बहुत से विकास खण्डों में प्रधान ऐसे आये हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, जिनको काम करने की लगन है, पर विकास अधिकारी ऐसे आये हैं कि जो समझते हैं कि यह प्रधान हमारे सिर पर कहां से आ गया। पहले तो हम अफसर थे अब इनके अन्डर में हो गये हैं। तो मैं समझता हूं कि ६० पर्सेन्ट जगह यह हालत है और इसके कारण आपका विकास रुका पड़ा है। मैं समझता हूं बहुत जगह विकास अधिकारी प्रधान से सहयोग नहीं करता, उनसे अपने कोएडजस्ट करके नहीं चलता।

अब जिला हैड क्वार्टर पर जो केबिनेट की मीटिंग होती है उससे कोई लाभ नहीं। उनको फुर्सत नहीं मिलती, फलाने के यहां दावत खानी है, दावतें करनी है, खाना, रिसेप्शन और उद्घटनादि से ही आपको फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन के लिये उस इलाके में आते हैं और इस दिन भी इन कामों से फुर्सत नहीं मिलती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : चाटन भी।

श्री अनूपसिंह : चाटन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी आदत नहीं है आपको। तो आपको कोई वक्त नहीं रहता। जिनसे मिलना चाहिये, मिल नहीं सकते। एक टूर करके पधार जाते हैं। मेमोरेन्डम पहले से ही आपके पास चले जाते हैं, मैं समझता हूं, इससे जनता को क्या लाभ मिला ? जैसे यहां मीटिंग होती है वैसे वहां हो जाती है। जो अतिरिक्त खर्चा हुआ उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। यह लाभ जरूर हुआ कि लोकल वालेन्टियर्स से, अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कॉन्टेक्ट करने का मौका मिल गया। अपनी पार्टी पर्पज़ से कुछ करने का मौका मिल गया।

श्री उपाध्यक्ष : Is it within the scope of the Cut motion with regard to the Community Development, I feel the Hon'ble Member will please confine to the cut motion only.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वहां रामराज्य है, साहब।

श्री अनूपसिंह : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह से इन केबिनेट मीटिंगों से फायदा क्या हुआ, क्या काम हुआ। फिर यह कौनसा फायदा है कि आपके कांग्रेस के जो प्रधान होते हैं वे आपकी केबिनेट मीटिंगों में हाजिर रहें ? मैं इस बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता।

Page No.38

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एज़ ए केबिनेट मेम्बर जब बैठते हैं तो इनमें से कोई नहीं रहता।

श्री अनूपसिंह : रहते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे तो पंचायत समितियों के साथ जब बैठते हैं तब रहते हैं।

श्री अनूपसिंह : इसमें तो रहना चाहिये। वहां तो सब रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Not that the Cabinet meetings after all...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फिर केबिनेट मीटिंग में तो उप मन्त्री भी नहीं रहते हैं।

श्री अनूपसिंह : पाली में तो रहे हैं। आपको फिर कभी अर्ज कर दूंगा इसके बारे में। तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि हमने जो कुछ भी किया है इस दृष्टि से किया है। अब आगे जनता का मकसद पूरा हो सकता है या नहीं, इसके लिये यह जरूरी है कि सबसे पहले वे निष्पक्ष होकर, अपनी पार्टी की बात अलग रख कर, यह ध्यान में रखते हुए कि जनता का हित सर्वोपरि है, यह समझ कर विकास अधिकारी और प्रधान भी काम करें, तो कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का मकसद पूरा हो सकता है।

आज तक जितना पैसा व्यय हुआ है इस पर उसका आधा हिस्सा तो इन लोगों की तनख्वाहों और भत्तों में ही चला गया है। इसके अलावा काम के लिये गांवों में जाकर पूछें तो ७५ फी सदी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे यहां तो कुछ नहीं हुआ हो सकता है अमुक इलाकों में कुछ हुआ हो। पर यह समझिये कि ऐसे स्थान पच्चीस पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं हैं और उनमें भी जितना होना चाहिये उतना नहीं, क्योंकि वहां भी पचास पर्सेन्ट तो तनख्वाहों में ही खर्च हो गया। तो आज आप अमेरिका से उधार लेकर और सेठ बन कर पैसा खर्च कर रहे हैं पर जब कल देना पड़ेगा तो पता लगेगा। फिर जिस तरह के हमारे डाइलेटरी टैक्टिक्स हैं वे और भी कठिनाइयां पैदा करती हैं। पंचायत-समितियां जिला परिषद् को पत्र लिखती हैं तो उनको जवाब मिलता नहीं। जिला परिषद् कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सरकार के किसी विभाग से कॉरेस्पोन्डेन्स करती है तो जवाब मिलता नहीं। मिलता है तो बाद में, जब तक काम बिगड़ना होता है बिगड़ चुकता है। जैसे एग्रीकल्चर विभाग से सल्फर मांगी जाती है फसल को बचाने के लिये। पर कॉरेस्पोन्डेन्स में ही वह टाइम निकल गया और सल्फर जब तक आई तब तक जो फसल को बर्बाद होना था हो चुकी और जो थोड़ी बहुत बची वह कट कटा गई। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि थ्योरी में आपके सब कुछ ठीक है पर हमारी मशीनरी में ऐसा लगता है कि कहीं ग्रिट है, खर्र खर्र कर रहा है, कहीं कुछ आपकी मशीन ठीक तरह से चल नहीं रही है। यह मेरे अर्ज करने का मतलब है। हम पी. डब्लू. डी. से स्पेसिफिकेशन किसी चीज के मांगते हैं तो समय पर वह मिलता नहीं। एक विभाग का दूसरे विभाग से सामंजस्य नहीं। इस वजह से शिड्यूल्ड टाइम पर काम पूरा नहीं हो पाता। आप पैसा खर्च करते जाइये। अमेरिका से कर्ज लेकर सेठ की तरह लगाते जाइये, आपको मालूम पड़ेगा जब देना होगा!

(श्री अनूपसिंह)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काम के ठीक समय पर ठीक तरह पूरा होने के लिये विभागों का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है ।

अब आप भी क्या करते हैं ? पहले आप टैक्स लगाते थे तो बदनामी से डरते थे । आपने अब क्या किया कि यह टैक्स लगाने का काम पंचायतों को सौंप दिया । आपने उनको हुक्म दे दिया टैक्स लगाने का क्योंकि आप समझते हैं कि आप टैक्स लगावेंगे तो जनता में बदनाम होंगे जनता आपके खिलाफ होगी । वह चीज़ आपने पंचायत समितियों को सौंप दी और उस पंचायत समिति को कह दिया कि तुम टैक्स लगाओ और अपना रेवेन्यू इकट्ठा करो । इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर की रेस्पोन्सिबिलिटी को हटाना चाहते हैं and you are putting the cart before the horse इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि आप पंचायत समितियों के ऊपर कोई बदनामी उठाने की चीज को न रखें । आप उन्हें मदद दें ताकि वे अपने आपको ऑर्गेनाइज़ कर सकें । आप अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को नहीं भुला सकते । आप नहीं कह सकते कि जनता को सारी पॉवर्स दे दीं । उस पॉवर का मतलब क्या निकला ? उनमें जब तक काम करने की फीलिंग नहीं होगी और उस भावना से कि जिस भावना से विकेन्द्रीकरण किया है और डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट ने जिसको चलाया है वह क्या पूरा होने का नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

(अनुपस्थित) ·

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है खास करके जो इसमें धन का दुरुपयोग होता है उसको किस प्रकार से....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा नाम उसमें पहले है ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री व्यास से) : You please continue. I will just enlighten you (Shri Daga.)

श्री मुरलीधर व्यास : सुधारा जा सकता है, उसके सम्बन्ध में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । राजस्थान में यह सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्य लम्बे अर्से से चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम कल आ गया ।

श्री मूलचन्द डागा : आज २२ नम्बर पर मेरा नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष : I will see to it. That right is said to have been waived.

श्री मुरलीधर व्यास : लम्बे अर्से से यह विकास योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हुआ और मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह कार्य सन् १९५२ में २ अक्टूबर यानि महात्मा गांधी जयन्ती के दिन से प्रारम्भ हुआ था

Page No.40

(श्री मुरलीधर व्यास)

और इसका प्रारम्भिक स्वरूप यहां तक ही रखा था कि ८ ब्लॉक्स हम खोलेंगे और ८ ब्लॉक्स को खोल कर उनका विकास करेंगे। धीरे धीरे इन ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा और मैं समझता हूं कि १६५६ तक यह संख्या करीब करीब ७५ ब्लॉक्स तक पहुंच गई थी और उसके बाद में फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ और उसके बाद में इसकी संख्या आज तक काफी तादाद में पहुंच गई है और यह भी निश्चय कर लिया गया है कि सारे राजस्थान के हर क्षेत्र को हम ब्लॉक्स के अन्तर्गत ले लेंगे। विकेन्द्रीकरण के बाद में तो यह स्पष्ट हो गया कि सारी विकास योजनाओं का कार्य ब्लॉक्स की मार्फत होगा। यह एक बड़ा भारी निर्णय लिया गया और इस निर्णय में हमारा पुराना अनुभव क्या है ? उसमें किस प्रकार से धन का जो हमने खर्चा किया उस खर्चे के करने का क्या फायदा हुआ ? किन किन ब्लॉक्स में जहां सन् ५२ से काम प्रारम्भ हुआ, नये ब्लॉक्स को, एक बार को हम छोड़ भी दें, लेकिन हम यह अनुमान लगायें कि जिन ८ ब्लॉक्स को ५२ में प्रारम्भ किया था उनके एरिया के अन्तर्गत जब कि आज ८ साल हो गए तो ८ साल में कितनी सफलता प्राप्त की ? उन ब्लॉक्स कि जो ८ साल से लगातार काम कर रहे हैं देखें और फिर यह तुलना करें कि ८ उन ब्लॉक्स में जिनमें काम प्रारम्भ किया है और दूसरे क्षेत्र जहां ब्लॉक्स नहीं हैं वहां वाकई उन्नति हुई है या नहीं ब्लॉक्स प्रारम्भ होने के बाद में जो हमारा मूल उद्देश्य था कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ायेंगे, यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा था और इसकी पूर्ति के पीछे सारी सामुदायिक विकास योजनाओं को अलग अलग क्षेत्रों में काम करना था। तो इसकी दृष्टि से हमने कितना पैसा खर्च किया और उसकी तुलना में हम यह देखें कि हमने लगातार एक एक ब्लॉक में बीस–बीस लाख रुपया खर्च कर दिया और उसमें उत्पादन इतने रुपये का भी हुआ या नहीं या जो काम हुआ वह कहां तक कामयाब हुआ, इसको गहराई के साथ देखना चाहिए।

मैंने कुछ पुराने ब्लॉक्स के बारे में अध्ययन किया है और उनके संबंध में छानबीन की और तुलना करने की कोशिश की तो ऐसा मालूम पड़ा कि उस क्षेत्र के अन्दर कुछ हलचल है, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं लेकिन जब हम मूल उद्देश्य की तरफ देखते हैं तो मुझे विशेष फर्क मालूम नहीं देता। मैंने उनका हिसाब–किताब जांच करने की कोशिश की और पता लगाया तो मालूम पड़ा कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार को हिसाब देना पड़ता है तो दस करोड़ का तो हिसाब ही पेश नहीं किया गया और वह इसलिए कि उसमें कोई हिसाब–किताब नहीं था, खर्चे की ठीक तरह से व्यवस्था नहीं थी और ऐसी हालत थी कि योजना का काम चलाना था और हिसाब–किताब होता रहेगा, यह व्यवस्था रही। आज भी जब हमने नये परिवर्तन कर दिए, मैं पुराने ढांचे पर इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि जो योजना मूल उद्देश्य को लेकर चलाई थी उसमें क्या खामियां रहीं उनको फिर से हमें देखना है। क्योंकि विकेन्द्रीकरण के बाद जो हमने लक्ष्य बनाया है सारे राजस्थान में सब जगह ब्लॉक्स करके योजना का विकास करना तो जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं, हमारा खर्चा किस किस मद में कहां

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहां हुआ और जो हमारा मूल लाभ होना चाहिए था वह कहां तक हुआ, उस दृष्टिकोण से देखना है। तो जो धनराशि ख़र्च की जाती है उसमें से अधिकांश राशि वेतन में जाती है, भत्तों में जाती है। फिर कर्मचारियों के भवन के निर्माण में खर्च कर देते हैं। ग्राम-सेवक के लिए एक कमरा, डेवलपमेन्ट ऑफिसर के लिए इतने कमरे, यह कृषि अधिकारी के लिए, यह शिक्षा अधिकारी के लिए इस प्रकार के भवन के निर्माण में पैसा लगा देते हैं और विकास का काम गांवों के लिए कुछ नहीं। प्रत्येक योजना में, अधिकारियों के लिए जिनकी कि संख्या बहुत बढ़ चुकी है भवन की व्यवस्था करने में लगा देते हैं तो यह ज्यादा जो खर्चा हम कर रहे हैं वह खर्चा अगर २५ पर्सेन्ट वेतन और भत्तों पर, २५ पर्सेंट निर्माण कार्य पर यानि अधिकारियों के रहने की व्यवस्था के अन्दर और फिर दूसरे जो काम होते हैं वह किसानों की दूसरी योजनाओं अन्तर्गत लगाते हैं तो वह पर्सेन्टेज कितना है? वह जहां तक मैं समझता हूँ काफी तादाद में हो गया है। जब विकेन्द्रीकरण हो गया है तो हमारा लक्ष्य दूसरा बनना चाहिए और यह बनना चाहिए कि विकास का काम जब पंचायत समितियों की मार्फत करना चाहते हैं तो खर्चा जो अधिकारियों के भवन के निर्माण में होता है उसका इतना महत्व नहीं है और अगर यह रुपया जो कि भवन के निर्माण में खर्च हो जाता है अगर जहां पानी नहीं मिलता वहां कुंए आदि खुदवाने में खर्च करें तो उसका एक महत्व होता है। हम कहना चाहते हैं कि विकास योजना के अन्दर लोगों को पानी की सुविधा प्रदान करने का एक लक्ष्य है तो हमको यह देखना चाहिए कि धनराशि हमें किस मद में ज्यादा खर्च करनी है जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। हम देखते हैं कि आज भी विकास अधिकारियों के ऑफिस म्युनिसिपल एरिया के अन्दर हैं। सारे ऑफिसर जितने भी रहेंगे वे म्युनिसिपल एरिया के अन्तर्गत होंगे और बस एक ग्राम सेवक को गांव में रख देंगे और जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी वे म्युनिसिपल एरिया के अन्दर बनेंगी। नर्सेज़ भी रखेंगे तो भी वहीं रखेंगे। तो यह जो आपका तरीका है कि काम तो हमें सामुदायिक विकास योजना का गांवों में करना है और अधिकारियों के रहने का स्थान है वह म्युनिसिपल एरिया चुनलिया है। ऑफिसर्स के पास कार और गाड़ियें रहती हैं और उन पर भी बैठ कर ऑफिसर्स जाते हैं। पहले सूचना दे देंगे ग्राम के सदस्यों को, ठीक है दे देंगे, आये बातचीत की और चल दिये। यह आजकल के ऑफिसर्स के काम करने का तरीका है। इस तरीके को वाकई काम की दृष्टि से करना चाहते हैं तो आपको अपना केन्द्रबिन्दु ग्रामों को बनाना पड़ेगा क्योंकि आप म्युनिसिपल क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो फिर केन्द्र बिन्दु गांवों को क्यो नहीं बनाते ? आपको सारा केन्द्र बिन्दु ग्रामों को बनाना पड़ेगा, ऐसे ग्राम जिनके आसपास के लोग वहां आसानी से आ जा सकते हैं वहां पर ये अधिकारी लोग रहें उनके रहनसहन, जीवन, शिक्षा और दूसरी चीज़ों का संपर्क उनसे होता है तो मैं समझता हूं व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है वर्ना लाभ नहीं होता। आपके खर्चे का २५ पर्सेन्ट इस प्रकार ऑफिसर्स पर चला जाता है और इस खर्चे का लाभ

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोगों को देना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा–हम उनके स्टेशन्स गांवों में रखें।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन खर्चों में भी कटौती करेंगे और एक ही लक्ष्य बनायेंगे। जो कुछ खर्चा कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है? आप कहते हैं कि हमारे अधिकारी, कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी ग्रामों में घूमते हैं, लोगों को राय देते हैं, लोगों को उनसे बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे कैसा बीज काम में लाना चाहिये, खड्डा कहां पर खोदना चाहिये, खाद किस तरह से देनी चाहिये, इस तरह की बहुत कुछ सूचना वे देते हैं, उसका लाभ उनको मिलता है। अधिकारियों के दौरे पर जो खर्चा होता है उसका लाभ मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जैसे किस मौके पर बीज देना, कहां खाद डालना आदि बातें किसान और वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सोचते हैं कि आपके अधिकारी ट्रेन्ड हैं और उनको अनुभव है, प्रक्टिकल अनुभव है इसलिये उनको वहां जाने से दूसरे लोगों का अनुभव बढ़ता है तो आप इस खर्चे को रखिये। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि डीसेन्ट्रलाइजेशन होने के बाद हमे गांवों में रहनेवाले लोगों को ही ट्रेन करना चाहते हैं तो वहां की जनता को हर मुद्दे पर ट्रेन्ड करदें और उनको अच्छा वेतन दें और वे यदि गांववालों को शिक्षा देना चाहें तो वे अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं और लोग भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा तरीका बना दिया हैं जिससे नौकरशाही का विकास होगा, खर्चा बढ़ता है। खर्चा इस प्रकार से बढ़ता है कि जिसका अन्दाज़ नहीं है। हम यह चाहते हैं कि १०-१५ साल तक योजनाओं के द्वारा किया विकास देखेंगे और तब लोग अपने आप विकसित होंगे और काम चलेगा। लेकिन जब आप पब्लिक ऑफिसर्स आदि के रहने के लिये वहां पर बंगले आदि बनाते हैं और उन पर खर्चा करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि स्थाई रूप से इस विभाग को रखना चाहते हैं और यह विभाग काम करेगा। मैं समझता हूं इस प्रकार का खर्चा जनता पर रखा गया या जनता पर इसका भार रहा तो यह भारस्वरूप होगा और हम जो चाहते हैं आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ावें और लोगों पर भार न पड़े तो इससे तो भार बढ़ता ही जायेगा। यह मैंने एक मुद्दे की बात कही।

अब मैं दो मिनट में छोटी सी बात और कहता चाहना हूं वह यह है कि विकास योजनाओं के लिये हमें दृष्टिकोण बनाना चाहिये, लेकिन विकास में हमने दृष्टिकोण नहीं रखा। मैं कहता हूं, गजनेर पंचायत क्षेत्र में है। वहां की पंचायत अच्छा काम करती थी, खास करके उसने विकास का काम काफी अच्छा किया। उसने ग्राम में रोशनी का प्रबन्ध करने के लिये खंभे तक खरीदे। बत्ती लगाने के लिये उन्होंने लिखा-पढ़ी की, कई पत्र लिखे, डेवलपमेंट कमिश्नर को लिखा कि बत्ती लगाने की इज़ाजत मिलनी चाहिये। लेकिन उनको इज़ाजत नहीं मिली। दो तीन साल तक कोशिश करते रहे लेकिन इजाजत नहीं मिली उन्होंने लिखा कि हम विकास का काम करते हैं इजाजत मिलनी चाहिए। आखिर में उन्होंने लिखा कि इजाजत नहीं मिलेगी तो हम त्याग पत्र दे देंगे। उनको

(श्री मुरलीधर व्यास)

देखना यह चाहिये था कि क्यों नहीं बत्ती मिल रही है और जब विकेन्द्रीकरण होने के बाद पंचायत समिति में चुनाव का मौका आया तब अधिकारियों ने देखा कि ये लोग पंच या सरपंच बन गये तो वे हमारी खिलाफत करेंगे इसलिये इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिये । आखिर में वहां पर बत्ती लगाने की इजाजत मिल गई थी इसलिये पंचायतवालों ने वापिस लिखा कि क्योंकि हमारे यहां बत्ती लगाने की इजाजत मिल गई है इसलिये हमारा त्याग-पत्र मंजूर नहीं किया जाय । उस समय चुनाव हो रहा था, ये लोग विकास का काम कर रहे थे उन्होंने खंभे खरीद लिये थे, २० हजार रु. पंचायत के खर्च किये थे, विकास का काम बराबर कर रहे थे इसका अधिकारियों ने कोई ख्याल नहीं रखा । नतीजा यह हुआ कि अधिकारियों ने सोचा कि ऐसे मौके पर पंचायत समिति में ये लोग आयेंगे तो तकलीफ देंगे इसलिये अधिकारी लोग विकास के काम में राजनीति को ले आये और उनका त्यागपत्र मन्जूर कर लिया । मैं समझता हूं इसकी जांच करनी चाहिये । पंचायत मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की छानबीन करें कि किस अधिकारी ने ऐसे मौके पर अच्छा काम करते हुए भी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया । ऐसा नहीं होना चाहिये । फिर भी ऐसे मौके पर किया तो ठीक नहीं है । इस प्रकार के काम विकास योजना के लिये कहां तक बाधक बनते हैं ! विकास के कामों से राज-नीति को परे रखना चाहिये, विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये । धन का दुरुपयोग रुक सके, विकास का काम गांवों में होता है उसमें रुचि लें, इस तरफ दृष्टि होनी चाहिये । इस दृष्टि से मैंने ये कटौती प्रस्ताव रखे हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है कि पंचायत-समितियों को उनके क्षेत्र में राजस्व का सम्पूर्ण भाग विकास कार्यों के लिये प्रदान करने के हेतु वाद विवाद किया जाय । मैं इस बात का यहां स्वागत कर सकता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार ने हमें विकेन्द्रित शासन के दर्शन कराये हैं । जो सत्ता आज प्रान्त में सीमित थी उसको ग्राम के लोगों तक पहुँचाया है । लेकिन मुझे दुःख इस बात का होता है कि जहां हमने सत्ता को विकेन्द्रित करने का निश्चय किया है वहां हमने सच्चे रूप में जन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता को विकेन्द्रित नहीं किया है, केवल चुने हुए पंचों को एक जगह आकर बैठने का और उनकी बातों को क्रियान्वित कर दिया जाय इतना भर है । यह विकेन्द्रीकरण नहीं है । जब विकास मंडल बने हुए थे उस समय भी ये बातें होती थीं । सरपंच लोग विकास मण्डल में बैठते थे, जिला स्तर पर जा सकते थे । आखिर जन प्रतिनिधियों के हाथ में शासन देना केवल इतना ही नहीं है कि जो रूप पहले से चला आ रहा था उसको वैधानिक रूप दिया जाय, लेकिन जैसा मैं समझता हूं उनके पीछे भावना थी कि उन लोगों के विचारों को उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा । लेकिन जब मैं देखता हूं कि इस प्रकार की विकास योजनाएं पंचायत क्षेत्र में आती हैं तो सबसे पहले मसला सामने यह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आखिर यह एक ऐसा अहम मसला है जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं मानता हूं अर्थ ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को गुलाम बना देती है। मनुष्य यदि कहीं गुलाम बन सकता है तो केवल इसका बन सकता है। हमारी स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद हमारे संघर्षकाल की बेड़ियां टूट गईं और हमने अपना शासन पा लिया, हमने विकेन्द्रित शासन करके जनता तक पहुंचा दिया लेकिन जनता के हाथ में आर्थिक सत्ता को नहीं सौंपें तो विकेन्द्रित शासन उसी प्रकार से सरकार मुखापेक्षी बना रहेगा जिस प्रकार पहले था। यदि हम चाहते हैं कि सच्चे अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो पंचायत समितियों के हाथों को आर्थिक दृष्टि से मज़बूत करना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से उन लोगों को संपन्न करना पड़ेगा ताकि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर वे नहीं देखती रहें। यदि सरकार अपने हाथों के अन्दर सारे काम ले लेगी और उनसे कहेगी कि हमारे इशारे के अनुसार काम करते रहो तो मैं समझता हूँ कि जनता को शासन सौंपना नहीं हुआ। आपने पंचायत समितियों के प्रस्तावों को निरस्त करने के अधिकार अपने पास रखे। आपने पंचायतों को निर्देश देने के अधिकार अपने पास रखे। आप पंचायत समितियों को निर्देश देंगे और अपने प्रस्ताव आपकी योजनाओं के अनुसार बनाकर चलें। तो यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया था कि राजा का अर्थ है प्रजा की रक्षा करे बाह्य आक्रमण से और जन प्रतिनिधि मिल कर समूचा शासन करते थे। हमारे यहां बाह्य आक्रमण का प्रश्न तो अलग है, मैं इस वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, रक्षा के समय तो पंचशील और अहिंसा याद आ जाती है, उस विषय में भी मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि राजा रक्षा का कार्य करता था। रक्षा की बात करते हैं तो हमारी सरकार रक्षा करने में यह कहेगी कि युवकों की भर्ती करेंगे। युवकों की भर्ती करके सारा काम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज सरकार केवल रक्षा करने के लिए कटिबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार आज व्यापार करने की योजना बनाती है, कृषि की बात है तो कृषि का आधिपत्य अपने पास में रखना चाहती है। सरकार व्यापारी बनना चाहती है। सरकार कृषक बनना चाहती है। फैक्ट्रियों के अन्दर शेअर्स रखकर मिल मालिक बन रही है। सारे काम अपने सिर पर लेकर जनता जिस काम को करती थी उसके हाथों से छीन रही है। जगह जगह केन्द्रित करने की प्रवृत्ति आज बन रही है लेकिन शासन देने का नाटक कर रहे हैं। वह नाटक मेरी समझ में सफल होगा या नहीं, यह शंकास्पद बात हो जाती है। मैं यही कहता हूं कि सारा प्रोग्राम बन गया है जिस पर बहुत खर्च कर दिया है, जिसके लिए विदेशों में भी नाम हुआ है उसको यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो हमारी पंचायत समितियों के हाथ आर्थिक दृष्टि से मज़बूत कीजिये। आप राजस्व में से केवल २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देते हैं। आखिर इस प्रकार का अनुदान पर्याप्त अनुदान नहीं है बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पंचायत समिमियों के क्षेत्र में नगर-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पालिका का एरिया आ जाता है, नगरपालिका का क्षेत्र आ जाता है तो बहु संख्या का बड़ा कस्बा है वह उससे निकल जाता है तो केवल जो शेष क्षेत्र है वह पंचायत समिति का क्षेत्र है वह बहुत अल्प रह जाता है और कितना उनको मिल पाता है।

यदि हम चाहते हैं कि जनता का विकास हो, गांव के अन्दर फिर से विकास हो तो हमने पंचवर्षीय योजना देखी। पहली पंचवर्षीय योजना देखी, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी देखी लेकिन सारे के अन्दर जाकर देखते हैं तो बड़े बड़े बान्ध, बड़ी बड़ी फेक्टरियां, बड़े बड़े शहरों के अन्दर डामर की सड़कें, बिजली लगना सभी देखते हैं लेकिन गांवों के अन्दर खुशहाली का अनुभव नहीं हुआ। दो योजनाएं बनने के बाद तीसरी योजना बनाई जा रही है लेकिन तीसरी योजना का आधार भी इसी प्रकार का है, हालांकि कृषि की बात की जाती है। यह ठीक है, लेकिन काश्तकारों और गांवों के लोग शिकायतें करते हैं। गांवों की शिकायतें इस बात की हैं कि गांव के अन्दर सड़कें बनाई जांय, धर्मशालाएं बनाई जाय, कुएं पीने के पानी के लिए बनाए जायं, वहां पर पाठशालाएं बनाई जायं, बिजली के छोटे छोटे उद्योग बनाये जायं ताकि काश्तकारों का फालतू समय लगा सकें। जो गांव की योजना है वह सरकार के सामने इस प्रकार से नहीं रखी जाती हैं। राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना गांवों के आधार पर बननी चाहिए। गांवों के विकास को लेकर चलना चाहिये। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधार गांव होना चाहिए। आज गांवों के विकास के लिए यदि ५ साल लगादें तो बहुत बड़ा आसमान नहीं गिर जायेगा। नगर के लिए और नगरों के विकास में सारा पैसा लगा दिया जाता है। हम देखते हैं कि यहां जयपुर शहर के जौहरी बाज़ार को चौड़ा करके उसको खोद कर बिजली के खम्भे बीच में लगाये जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि गरीब जनता का पैसा लगाना चाहते थे। गांवों में वह पैसा लगाना चहिए था। वह वाजिब बात थी। वह शहरों के अन्दर खर्च हो रहा है। शहरों को सजाया जाता है तो राजस्थान सरकार का पैसा है। दिल्ली की शान व शौकत पर खर्च होता है तो पैसा जयपुर से आता है। जयपुर को खूबसूरत बनाने में खर्च किया जाता है। गांवों के विकास के लिए पैसा नहीं है। यदि सरकार गंभीरता से विचार करे तो पंचवर्षीय योजना में पहला स्थान गांवों को मिलना चाहिए। गांवों के लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। खाने को नाज नहीं मिलता है, रहने को मकान नहीं हैं। बरसात में फूंस की झौंपड़ियां टूटी-फूटी हैं। केवल बड़े बड़े भाषण करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। उन सब में लाखों रुपया खर्च करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं लेकिन जिन लोगों की रकम है उन लोगों के विकास का स्थान नहीं है। जो लोग उनकी चिन्ता नहीं करते हैं उन लोगों को इस देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। आखिर इस चीज की ओर नहीं जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि विकास का काम पंचायत समितियों को दिया है, जनता के हाथों में राज्य दिया है। गांव की पंचायतों को छोटा करके १,५००, २,००० के आधार पर बनाना चाहते हैं। उनको जितना जल्दी हो सके बनाना चाहए। १३ वर्ष स्वतन्त्रता के बाद हमें यह विचार आ सकता है वह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

स्वागत के योग्य है। सही रास्ते पर अगर देर से आये हैं तो अच्छी बात है। कई दूसरी बातें सही रास्ता दिखा देती हैं। लेकिन इस सही रास्ते को मज़बूत बनाने का एक आधार है। वह आधार है कि संपूर्ण राजस्व पंचायत समितियां वसूल करें और उसको अपने विकास के लिए काम में लावें। सरकार चलाने के लिए पैसा कहां से आयेगा जब कि राजस्व को संपूर्ण रूप से उनको दे देंगे तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने नाना प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं और उन टैक्सेज़ के भार से जनता की कमर टूट रही है। सेन्टर ने भी टैक्सेज़ लगा रखें हैं, डेथ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एस्टेट ड्यूटी, न जाने क्या क्या टैक्सेज़ हैं। राजस्थान में सेल्स टैक्स, इन्कमटैक्स इतने सारे लगे हुए हैं। इन सारे टैक्सेज़ से जनता कितनी परेशान है! बल्कि आपके टैक्स का जो तरीका है वह इस प्रकार का है, इन्डाइरेक्ट तरीका है कि बड़े लोगों पर उसका आघात नहीं होता है, बड़े लोगों पर उसका प्रभाव नहीं आता है बल्कि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है जिनके जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर आपने टैक्स लगा रखे हैं। उनके खाने, पहिनने और लोहे की जो चीजें काम में आती हैं उन सारी चीजों पर टैक्स लगा रखा है। आखिर गांव वालों को आपने क्या सुविधा दी है? कल मैं एक रेडियो टॉक सुन रहा था। वह सुन कर बड़ा दुःख हुआ। वह व्यक्ति कह रहे थे कि आज किसानों पर टैक्स लगाने की बड़ी गुन्जायश है। यदि कहीं पर टैक्स लगाया जा सकता है तो किसानों पर ही लगाया जा सकता है। आज वह व्यापारिक फसलें पैदा करते हैं उसमें काफी आमदनी होती है। नहरें बन जाने से अधिक फसलें होंगी इसलिए और टैक्स लगाया जाय। मैं तो सोचता हूं और सब माननीय सदस्यों के सामने इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि आज काश्तकारों पर किसी भी प्रकार का नया टैक्स लगाना उनके साथ में धोखा है, उनके साथ में विश्वासघात है। उनके प्राण लेने की एक योजना है। काश्तकारों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय। काश्तकार पहले ही टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बेचारे अशिक्षित हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Is it in response to the Radio Talk ?

श्री दयाकृष्ण विजय : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Who is that fortunate man behind the Radio Talk ?

१. म. प.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उनका नाम बता सकता हूं, लेकिन जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं हैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता हूं केवल एक टॉक का जिक्र करता हूं कि वह ८ बजे से पहले हुई है। आज काश्तकारों पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है। उनके ऊपर पंचायत समिति एक्ट के अन्दर टैक्स लगेगा। उस पर किसी प्रकार का नहीं लगे, इतनी छूट दे देंगे तो वह लगान देता है तो लगान पर टैक्स लगेगा। यदि कोई काश्तकार किसी से जमीन जुतवाकर मुनाफा लेता है तो उसका टैक्स लगेगा। जमीन उनके पास में है तो जमीन पर टैक्सेशन किया है। नये नये कितने ही प्रकार के पंचायत के टैक्सेज़ उनके ऊपर लगे हुए हैं।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं बताना चाहता हूं कि काश्तकारों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगायें, यह अनुचित है। खैर, मैं इस प्रसंग में निवेदन करूं कि उनको राजस्व का सम्पूर्ण भाग सरकार देना तय करे तो भी सरकार उनसे काफी पैसा वसूल करती है, इसलिए जो सरकार की आपत्ति है कि हमारे पास पैसा नहीं आयेगा, यह निराधार आपत्ति होगी। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि पंचायत समितियों को उनकी आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें, उनको सरकार का मुखापेक्षी न होने दें, वे अपने विकास के लिए सरकार की तरफ देखती न रहें। यह सुनते हुए शर्म आती है कि एम० एल०ए० साहब विकास खंड खोलने की बात करते हैं। मैंने यह बात नहीं कही। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति और जिला विकास समिति यह तय कर देती कि विकास खंड इस स्थान पर खोलना चाहिए तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऊपर से मत चलाइये, पर नीचे से चलनेवाला जो नया तरीका बताया है उस तरीके को अधिक दृढ़ बनायें, मजबूत बनायें ताकि गांवों की जनता है, उसकी जो आवाज है वह ऊपर पहुंच सके। ऊपर की आवाज से जो घाणी के बेल की तरह हाका जाता है, उस तरह न हाका जाय। यह विकेन्द्रीकरण का मूल आधार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नीचे से आज योजनायें बनायें। तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाना चाहते हैं, उसका यह आधार होना चाहिए कि काश्तकारों पर और टैक्स न लगे, पंचायत समितियों के क्षेत्र में जो राजस्व इकट्ठा होता है वह वहीं के विकास कार्यों के लिए दिया जाय। मेरा यह एक कटौती प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं थोड़ा संकेत कर दूं कि हर कट मोशन के लिए पांच मिनट रखे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझे याद है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह समझ रहा था कि आप दोनों कट मोशन्य पर बोल रहे हैं। आपने एक कट मोशन पर ही १५ मिनट ले लिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक मिनट में समाप्त कर देता हूं।

मेरा जो दूसरा कटौती का प्रस्ताव है वह यह है कि पंचायत समितियों को विकास तथा समाज कल्याण के कार्यों के लिये सम्पूर्ण राशि दी जाय। आज वहां नाना प्रकार की समितियां चल रही हैं। जो पैसा इनको मिलना चाहिए वह भिन्न भिन्न संस्थाओं को मिल जाता है और भिन्न भिन्न संस्थायें हैं, जैसे भारत सेवक समाज, समाज कल्याण विभाग, खादी बोर्ड, जल बोर्ड और नाना प्रकार की संस्थायें हैं। ये तमाम संस्थायें पंचायत समिति के अन्दर होनी चाहिए और सारा पैसा पंचायत समिति को मिलना चाहिए ताकि वहां की जनता अपने क्षेत्र का विकास, अपने ग्राम का विकास कर सके। आज वहां सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें इसलिए हैं कि भाई-भतीजावाद वहां पनप सके, रिश्तेदारों को नौकरी मिल सके, ऐसे लोगों को सरकारी जीप में बैठ कर कांग्रेस का प्रचार करने का

(श्री दयाकृष्ण विजय)

साधन मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेसी और राजनैतिक षडयन्त्र अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आप ईमानदारी से जनता को विकास की ओर बढ़ायें और इसका तरीका यह है कि जितना गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं को आप अनुदान देते हैं वह समाप्त कीजिये और सारा अनुदान पंचायत समिति को दे दीजिये ताकि वे अपना विकास कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज क्या करता है? नहरें खुदवाने के अतिरिक्त वह चम्बल समिति के अन्तर्गत क्या करता है? यह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का काम है लेकिन यह भारत सेवक समाज के पास है उनको इसके लिए एक जीप दे रखी है जिसमें एम० एल० ए० साहब बैठ कर क्योंकि सुखाड़िया साहब को मान-पत्र दिया जाय, दौरा करते हैं। आखिर यह मजाक क्या है? अगर आप इस प्रकार चाहते हैं कि विकास कार्य चलता रहे तो वह चल नहीं सकता। अगर सही मायने में विकास करना है और पंचायत समितियों को मज़बूत बनाना है तो सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थायें चलती हैं, जो विकास के नाम पर पैसा लेती हैं वह पैसा इन पंचायत समितियों को दिया जाय और भारत सेवक समाज, खादी बोर्ड, समाज कल्याण विभाग इसके अन्तर्गत आने चाहिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ से पूर्ण खर्चा हो, यह मेरी मांग है। ये मेरे दो कट मोशन्स हैं मैं आशा करता हूं कि ये मन्जूर किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(श्री मूलचन्द डागा के पुनः खड़े होने पर)

Mr. Daga, you cannot speak now.

श्री मूलचन्द डागा (पाली): पांच-सात मिनट में कह दूँ, चार मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, दो मिनट भी कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा?

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनट तो इधर उधर एडजस्ट करना आपके हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष : How can werevie a life which is lost?

श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, उनकी जगह मैं हूँ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Did you secure the Succession Certificate? All right. Mr. Dagd.

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा था, मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : तीन मिनट हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हां, बहुत थोड़े समय में।

मुझे यह जरूर मालूम हुआ कि गांवों के अन्दर विकास योजनाओं का जाल फैला

(श्री मूलचन्द डागा)

रहे हैं तो इस जाल के साथ साथ अधिकारियों का जाल भी तो नहीं फैला रहे हैं ? आज इनसे गांवों के पंच परेशान हो गये हैं । मैंने देखा कि ७०–८० गांवों के एक ब्लॉक में १५ अधिकारी हैं, वे दौरा करते रहते हैं । गवर्नमेंट ने उनको कह दिया, उनको ऑर्डर दे दिया कि १२ दिन तक दौरा करो । वे सब जाकर वहां एक ही बात करते हैं । इतने अधिकारियों की भीड़ आपने खड़ी कर दी है । अगर आपको बेकारों को काम पर लगाना था तो कहीं और काम पर लगा देते । मैं अर्ज करूं कि अजीब ढंग की बात है । एक ब्लॉक लीजिये, उसमें देखिये कि कितने अधिकारी हैं ? मैं चाहूंगा कि विकास मंत्री खास तौर से इस पर गौर करें । क्योंकि विकास का जो कारण है वह तो है ही, मैं उस रूप में नहीं कहना चाहता....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): श्री भैरवलालजी बोल रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : एक शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, उनका काम है गांवों में जाकर स्कूल देखना और बात करना । अब दूसरे अधिकारी जा रहे हैं, उसी जगह जा रहे हैं, समाज शिक्षण अधिकारी हैं । वे एक्स्टेन्शन ऑफिसर साहब क्या करते हैं ? वही की वही बात करते हैं । गांव वालों ने देखा यह कौनसी परेशानी है । एक आदमी कह गया गोबर को हटाओ, दूसरा अधिकारी भी कह गया, तो कहने से क्या ज्यादा हट जायेगा ? जितने भी अधिकारी हैं सब भाषण दे रहे हैं । मैंने कहा था कि विकास योजनाओं से एक बात हुई है कि अधिकारी हो गये हैं भाषण देने वाले और वर्कर्स हो गये हैं सुनने वाले । विकास खंड में वही के वही काम करनेवाले हैं । इसके साथ ही आप देखें कि कितनी डिस्पेरिटी है उनकी तनख्वाह में । एक सोशल एक्स्टेन्शन एजूकेशन ऑफिसर है, उसकी २२० रुपये की ग्रेड है दूसरा समाज शिक्षण प्रसार अधिकारी है, वह १४० की ग्रेड में है । एक ही काम करनेवाले हैं और एक ही जगह काम करने वाले हैं, लेकिन एक की ग्रेड है १४० तक और दूसरे की ग्रेड है २२० तक । दोनों की शिक्षा एक है, काम एक है, फिर यह क्या मखौल हो रहा है ? यह एक सवाल मैंने रखा है । अब वहां तीसरा अधिकारी जाता है, एनीमल हस्बेन्डरी का, सारी जैसे भेड़ बीमार हो गई हैं, उसके नीचे चार आदमी काम करनेवाले हैं । भेड़ के लिये कोई इन्तज़ाम नहीं है लेकिन एक डॉक्टर साहब खड़े हैं । उसके सिवाय खेती के लिये एक एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं । वे उस ब्लॉक के अन्दर डिमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जैसे काश्तकार के खेत से मोहब्बत कर ली है । फिर चलते हैं प्रोग्रेस असिस्टेन्ट, फिर फील्ड में काम करनेवाले विलेज लेवल वर्कर्स । आपने ऑफिसर्स का ढेर लगा दिया है । एक पंचायत समिति है ७०, ८० गांवों की । वहां रोज अधिकारी आता है और भाषण देता है । इकट्ठे हों भाई । भाषण में खेती का निदान करते हैं निदान कर लिया । लोग कहते हैं सुन लिया क्या बात की ? वे अपनी रिपोर्ट बना कर दे देते हैं । अब एक बात आती है कि विकास योजनाओं में इस प्रकार धन राशि के साथ, दौलत के साथ खिलवाड़ किया जाय, एक अरब इतने करोड़ रुपये का कर्जा है वह दौलत मंगा कर सामुदायिक विकास योजनाओं पर,

(श्री मूलचन्द डागा)

उन अधिकारियों पर खर्च करते हैं, जो कहते हैं काम नहीं है। वे लोग पार्टीबाजी करते हैं। छोटे छोटे अधिकारी हैं उम्र में, जब कि सामुदायिक विकास अधिकारी की उम्र ३५–४० से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे कम उम्र के आदमी का असर पड़ता नहीं है। छोटे छोटे छोकरे होते हैं, रात के कपड़े पहने आ जाते हैं जैसे कॉलेज लाइफ में रहते हों वे क्या विकास करेंगे, क्या विकास कर सकते हैं ? मैं अर्ज करता हूं कि आपको जितने विकास अधिकारी नियुक्त करने हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए वे एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए। कम से कम जो एग्रीकल्चर के स्टूडेन्ट होते हैं उनको खेती का ज्ञान होता है, इर्रिगेशन का ज्ञान होगा, एनीमल हस्बेन्डरी का ज्ञान होगा, कोऑपरेटिव का ज्ञान होगा लेकिन आपके सारे अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : You are addressing me, gentlman.

श्री मूलचन्द डागा : Right Sir. जो बहुत विचार करते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : And you will conclude within five minutes and cover up all the three cut motions.

श्री मूलचन्द डागा : वे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वे ज्यादा काम कर सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपका मतलब है कि बी. डी. ओ. के अलावा नहीं होने चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा मतलब यह है कि इनकी संख्या ११ से ५–६ कर दी जानी चाहिये। ज्यादा अधिकारी होते हैं तो क्या करते हैं काम अधिक नहीं करते, पार्टीबन्दी ज्यादा करते हैं। तो मेरा यह विचार है कि आप रेवेन्यू ऑफिसर को तो कम कर ही दें। उसका काम एग्रीकल्चर ऑफिसर कर सकता है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर कृषि के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं पाता जब तक कि उसके पास एग्रीकल्चर की कोई डिग्री न हो। यह डिग्री वाला जरूरी है क्योंकि गांवों में अधिकतर खेती करनेवाले ही ज्यादा हैं। अब इन्डस्ट्री ऑफिसर आपके क्या करने हैं ? टाइम कम है, फिर कभी मौका मिल जावेगा तो मैं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे कट मोशन के वक्त पर इन्सिस्ट करियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : फिर आप ऐसे वर्कर को रखें जिनमें देश–सेवा की भावना हो। आज जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत विकास जरूर हो रहा है और इसके अन्दर चुनाव बनते हैं। यह चुनाव की प्रणाली पर विकास करना आपको दुखदायी होगा। आपको यह आगे चल कर तकलीफ देगा। कुछ समाज के व्यक्तियों के विकास को आप इस तरह करते रहेंगे तो यह आखिर में जाकर आपको दुख देगा। इसमें परिणाम बुरे होंगे। आप विकास करें तो सही अर्थों में पूरा विकास करें।

आप सड़कें बनाते हैं। तीन दिन बाद यह आपकी सड़क गायब, हवा में गायब।

Page No.51

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : हवा में गायब हो जाती हैं सड़कें ?

श्री मूलचन्द डागा : हां हां. मैं ठीक अर्ज कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उड़ती हुई नजर आती हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं बतलाता हूं, उदाहरण देता हूं। जिस जिस का पव्वा जहां जमा होता है एम. एल. ए. हों, मिनिस्टर हों, अधिकारी हों वहां खर्चा होता है । वे चाहते हैं कि मेरे ब्लॉक में रुपया लगे और लोगों को कुछ मिले । भारत सेवक समाज के द्वारा सड़क बनाई गई ।

श्री जनार्दनराय नागर : आपके यहां भी तो ब्लॉक होंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे यहां तो ब्लॉक हैं ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : वहां नगर का जो प्रश्न रहा ।

श्री आबिदअली : From that point of view he is very fortunate.

श्री उपाध्यक्ष : That is why he feels a little bit irritated.

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस वास्ते एक्सपीरियेन्स नहीं है इनको ।

श्री उपाध्यक्ष : I think your points hare rightly been replied by the Hon'ble Member.

श्री मूलचन्द डागा : जो सवाल किया मौके का किया, उनको जवाब दे देना चाहिये । मैंने अर्ज किया कि अभी मेरे पहले वाले वक्ता ने कहा कि बी. डी. ओ. द्वारा कभी कभी कैम्प लगते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि इतने रुपये खर्च किये जावें और सड़क बनाई जावे तो वे क्या करते हैं ? सड़क के इधर उधर की धूल उठा कर सड़क बनाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : धूल कोई फिर विदेशों से लाई जावे ?

श्री मूलचन्द डागा : फिर कुछ चाक खड़िया डाल दी गई और सड़क बन गई । उद्घाटन हो गया । ऐसी सड़क की थोड़े दिनों बाद क्या हालत हो सकती है ? वही होती है । तो मेरा यह निवेदन है कि आज जनता यह चाहती है कि जो भी काम किया जाय सोलिड किया जाय । वे आप से लेक्चर नहीं सुनना चाहते । ठोस काम चाहते हैं । तो मेरा यह कहना है कि आप ५–६ ऑफिसर ही रखें और उनमें डिस्पेरिटी न रखें । दो को तो गजटेड ऑफिसर बना दिया बाकी नॉन गजटेड हैं । अब उनमें एक सा काम । एक जगह काम करने बैठते हैं बैठने के लिये एक कमरा जैसे चुंगीखाने में क्लर्क बैठते हैं । अब ३ पंच आये ; सब लोगों से उनको बात करनी है, कोई कहता है इधर आओ हमारी बात सुनो कोई अपनी तरफ बुलाता है । आपकी छोटी, सी एक गांव की इकाई है उसमें इतने सारे ऑफिसर एक साथ और सिवाय लेक्चर देने के और कुछ नहीं । तो इस पर आप को सोचना चाहिए । इनको कम कर देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है, जो निम्न है : "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३-खा- सामुदायिक विकास परियोजना आदि में १) की कटौती की जाय(सामुदायिक विकास परियोजना के एस्टेलब्शिमेंट पर होने पर वाले भारी खर्चे पर बहस करने हेतु)

इसके जरिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस खर्चे की ओर दिलाना चाहता हूं जो विकास खण्डों में या कॉम्युनिटी ब्लॉकस में एस्टेब्लिशमेंट पर होता है। विकास खण्डों की उपगोगिता हम मानते हैं। इनके जरिये ग्रामीण जनता के लिये काफी काम हुआ है और अब भी हो रहा है।

पर हम अब इस स्टेज़ पर पहुँच गये हैं कि अब हमें यह देखना आवश्यक हो गया है कि जितना खर्चा कर रहे हैं उसका हमें कितना रिटर्न मिलता है। इसमें मुख्यतया तीन प्रकार का खर्चा होता है। एक सरकारी नौकरों की तनख्वाओं पर, दूसरा डेवलपमेन्ट के वर्क पर, तीसरी खर्चा तो उसे नहीं कहना चाहिये, पर होता है, जो तकाबी के रूप में लोगों को दिया जाता है।

डेवलपमेंट पर होने वाले खर्चे से एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे की तुलना करते हैं तो बहुत अधिक पड़ता है। इतने अफसर रखे जाते हैं कि इमीजिएट अफसर भी अपने अधीन वालों के पूरे नाम नहीं गिना सकता। मैं यह भी नहीं कहता कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। पर यह कहना चाहता हूँ कि विकास कार्यों पर खर्च करने से इनका कहीं ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है। तो आप स्टाफ को कम से कम करें।

बहुत से ऐसे अफसर हैं जिनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें काम की हानि नहीं होगी। एक अफसर के जिम्मे आज जो एक एक काम है आप एक के जिम्मे तीन-चार काम आसानी से लगा सकते हैं। इससे रुपया भी बचेगा और काम भी अच्छा होगा। आज फिर वर्किंग सिस्टम भी इनका ठीक नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग टूर प्रोग्राम बनाते हैं और इससे उनको भी दिक्कत होती है और ग्रामीणों को भी। जिनको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियेन्स है वे यह जानते हैं और इसको देख कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर सब का अलग अलग टूर प्रोग्राम न बन कर सब का एक साथ प्रोग्राम बने और एक साथ मिल कर एक एरिया में जावें और अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करें तो इससे एक्सटेन्सिव वर्क होगा, एक दूसरे का सामंजस्य बैठेगा तुरन्त एक दूसरे की डिफिकल्टी समझ कर उसका हल भी उसी समय निकाल सकेंगे और इससे ग्रामीणों को भी एक ही समय में उनसे जो लाभ लेना होता है उसके लिये समय देने में सहूलियत रहती है। नहीं तो आज क्या होता है, एक अफसर जाता है और घूम घुमाकर वापिस

(श्री शिवनाथसिंह)

आ जाता है जो उन्नति का काम हम करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता। इसलिये इनके वर्किंग में भी सुधार होने की आवश्यकता है। एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा आप कम कर देंगे तो और भी ज्यादा हमें फायदा होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग के अन्दर मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहला कटौती प्रस्ताव है वह अपनी विकास सम्बन्धी नीति के बारे में है। यह कटौती प्रस्ताव है कि अपने लोकल डेवलपमेंट वर्क्स, जिन्हें स्थानीय विकास कार्य कहना चाहिये, उनके अन्दर जो धन-राशि खर्च की जाती है वह बहुत अनुपयुक्त है। वास्तव में विकास करना है गावों का, तो स्थानीय विकास कार्यों में अधिक धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी। स्थानीय विकास कार्यों पर अधिक खर्चा नहीं किया गया है, इस पर कहने से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा टार्गेट १०५.२७ करोड़ का था वहां १०१.४२ करोड़ खर्च कर सकेंगे। इस तरह हम ३.८५ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। तो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०५.२७ करोड़ का टार्गेट था वहां १०१.४२ करोड़ ही खर्च कर सकेंगे, ३.८५ करोड़ खर्च नहीं कर सकेंगे। तो एक ओर तो यह दृष्टिकोण है कि हम पूरा रुपया खर्च नहीं कर सकते....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : समितियों में खर्च नहीं कर सकते !

श्री शंकरलाल : नहीं, यह तो प्लान का बताया है। तो ३.८५ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च नहीं कर सकेंगे और दूसरी तरफ मांग की है लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिये।

दो प्रकार के कार्यों में विकास कार्य को बांटा जा सकता है, एक प्लान एक्सपेन्डीचर जिसकी भारत सरकार से प्लान आती है और राजस्थान सरकार वह पैसा उन्हीं योजनाओं के लिये देती है, जैसे एज्युकेशन के लिये वह पैसा है तो एज्युकेशन में ही खर्च किया जा सकता है, इन्डस्ट्रीज़ के लिये है तो इन्डस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर के लिये है तो एग्रीकल्चर में ही खर्च किया जा सकता है। तो जिस योजना के लिये वह पैसा दिया गया है वह पैसा उसी कार्य के लिये खर्च करना पड़ता है। इसमें पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें पाबन्द रहती हैं, वह पैसा जिस योजना के लिये अलॉट होता है उसी योजना में खर्च किया जा सकता है, उस योजना के अलावा दूसरी में खर्च नहीं कर सकते। अगर उनको उस योजना की, उस चीज़ की जरुरत नहीं है तो वे उस पैसे को सरेंडर कर सकते हैं परन्तु दूसरे किसी कार्य में खर्च नहीं कर सकते। यह बंधन विकास कार्यों के पैसे को खर्च करने के लिये है। तो एक तरफ कहते हैं कि पंचायतों की, गांवों की योजनाएं होनी चाहिये, उनकी योजना आती है तो स्थानीय विकास कार्य की योजना आती है, वे चाहते हैं कि हमारे यहां पीने के पानी के लिये कुएं नहीं खोद सकते क्योंकि कुएं खोदे जाते हैं तो पीने के लिये मीठा पानी नहीं निकलता,

(श्री शंकरलाल)

खारा पानी निकलता है, हमारे यहां मीठे पानी के कुएं नहीं हैं, इसलिये बजाय कुआ खुदवाने के तालाब को गहरा करा लें, तालाब की मरम्मत करवा कर उसे अच्छा बना लें तो अच्छा रहेगा, हमें पीने को मीठा पानी मिल जायेगा पर क्योंकि वे कुओं के लिये मिले हुए पैसों को कुए खुदवाने में ही खर्च करने के लिये पाबन्द हैं इसलिये तालाब को खुदवाने में या गहरा करवाने में वे लोग खर्च नहीं कर सकते । तो मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि यदि पंचायतों को, पंचायत समितियों को उस स्थानीय विकास कार्यों के लिये दिये गये पैसे को खर्च करने की छूट हो, उसको खर्च करने में उन पर इस प्रकार का बन्धन नहीं हो तो वे उस पैसे को तालाब के लिये खर्च कर सकती हैं और अपने लिये पीने के मीठे पानी का प्रबन्ध कर सकती हैं। तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में इस तरह के कार्यों के लिये, स्थानीय विकास के कार्यों के लिये पैसा खर्च करने में उनको छूट और स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। आपने सप्ली-मेंटरी ग्रान्ट रखी है लोकल डेवलपमेंट के लिये, तो जिस प्रकार नगरीय जल प्रदाय योजना के लिये ११.३३ लाख रखा है और उन्हें छूट है खर्च करने की इसी तरह लोकल डेवलपमेंट के लिये, स्थानीय विकास के लिये पैसा दिया जाता है उसमें छूट होनी चाहिये। वह लोकल डेवलपमेंट का पैसा पंचायत वाइज़ बांटा जाता है। यह जरूरी है कि अलग अलग हैड्स होते हैं पर उनको छूट होनी चाहिये क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो। तो जो भारत सरकार से पैसा आता है, स्थानीय विकास कार्यों में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट काम है। वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया कि १६६ लाख शहरों के लिये जल–योजना में खर्च किया, गत वर्ष हमें बताया कि ६० लाख गांवों में पानी की योजना के लिये खर्च किया जाय। वह गांवों में ६० लाख खर्च हुआ कि नहीं, इसका न बजट में हमें संकेत मिला और न कोई और जगह।

तो गांवों की जो योजनाएं हैं, सेनि-टेशन की, पानी की या किसी तरह की योजनाएं हैं, जो प्लान्स में नहीं आती हैं, उनके लिये खर्च करना चाहिये। रूरल डेवलपमेंट के लिये १,००० टोकन ग्रान्ट-इस प्रकार की ग्रान्ट रखी है। यह विकास विभाग की अदूरदर्शिता है कि हमें आंकड़े नहीं दे सका। यह टोकन ग्रान्ट क्या है? इस प्रकार की डिमान्ड देते तो पता चलता कि स्थानीय विकास कार्य के लिये योजनाबद्ध मांग है, उनके आंकड़े उपलब्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आती, इस प्रकार की मांग देते तो जनता के हित की दृष्टि से, योजना की दृष्टि से ज्यादा अच्छा रहता। इसलिये मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है कि लोकल डेवलपमेंट फंड की इएडीकेसी को ठीक करके पैसे की कमी की पूर्ति करने के लिये विभाग ध्यान दे। और मांगों के अनुसार लोकल डेवलपमेंट में भी रखना चाहिये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव जो मैंने रखा है वह है : "For early conversion of Jaitaran and Pali Shadow Blocks into First State Blocks."

(श्री शंकरलाल)

जैतारण और पाली के छाया खण्डों को पूर्ण विकास खण्डों में परिणत करने के लिये यह दूसरा कटौती प्रस्ताव रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा था कि विकास खण्डों की मांग करते हैं तो पंचायतों को, पंचायत समितियों को पूछिये, उनके कहे माफिक विकास खण्ड खोलिये, माननीय सदस्यों को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कौनसी पंचायत समिति, कौनसी जिला परिषद् कहेगी कि उनके यहां विकास खण्ड नहीं खोला जाय ? मांग नियमानुसार है, वाजिब है, इस चीज की ओर सम्बन्धित मन्त्री महोदय का सदन के माननीय सदस्य ही ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, तो यह कहना कि सदन में नहीं कहना चाहिये उचित नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था आसन की ओर से नहीं दी गई है, आप कहने में स्वतन्त्र हैं ।

श्री शंकरलाल : तो जहां तक विकास खण्ड खोलने का प्रश्न है सरकार की ओर से इस बारे में दो-तीन बार डेफिनिट नियम दिये थे, एक तो कन्टिन्युइटी होनी चाहिये ! एक जगह ब्लॉक खोला, उसके दोनों तरफ ब्लॉक आ गये । तो कन्टिन्युइटी ऑफ डेवलपमेन्ट ब्लॉक की दृष्टि से निवेदन करूं कि जैतारण का ब्लॉक है वहां बिलाड़ा का ब्लॉक और रायपुर का ब्लॉक आ गया है । दोनों जगह के ग्रामीण जानते हैं कि यहां विकास हो रहा है और बीच में जैतारण का क्षेत्र आ गया है । वहां के लोग कहते हैं कि हमारे चारों तरफ विकास हो रहा है, ब्यावर में विकास हो रहा है, रायपुर-बिलाड़ा में विकास हो रहा है, केवल यही क्षेत्र वंचित रह रहा है तो यहां पर यह कन्टिन्युइटी ऑफ ब्लॉक की कन्डीशन फुलफिल होती है । लेकिन इसमें भी एक तरफ सोजत का ब्लॉक और दूसरी तरफ देसूरी का ब्लॉक आया है यानि इसके दोनों तरफ ब्लॉक आ गये हैं । इस दृष्टि से भी जो ये कन्डीशन्स हैं फुलफिल होती हैं और विकास खण्ड खोलना चाहिये । दूसरी बात, यह पीपल्स पार्टिसिपेशन की है इसके लिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जहां तक जैतारण के क्षेत्र का सम्बन्ध है पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जैतारण की जनता ने अपने पास से वहां पर करीब ६५ हजार रुपया खर्च किया और हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाया । उनका जो यह पैसा लगा है उससे यह अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि वहां के लोग कितने उत्सुक हैं । इसलिये पीपल्स पार्टिसिपेशन की दृष्टि से लोग वहां पर कोऑपरेशन पूरी तरह से कर रहे हैं ।

अब दूसरा सवाल आता है कि जो इलाका पिछड़ा हुआ है वहां पर ये ब्लॉक खोले जा रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि पाली में चौराई का इलाका है वह ऐसा है कि वहां के लोगों को दो-दो मील तक पानी नहीं मिलता है । आपने काफी सिंचाई की योजनाएं बनाईं, मगर वहां फिर भी इस प्रकार की दिक्कत है । पीने को पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है । पाली शहर में ऐसा कुछ लगता है कि शहर है, अन्यथा आप तहसील में जावेंगे तो आपको पाली शहर में और तहसील में बड़ा भारी अन्तर मिलेगा और आप देखेंगे कि वास्तव में पाली तहसील में और

(श्री शंकरलाल)

पाली में बहुत अन्तर है । इसी प्रकार की हालत जैतारण की है । मेड़ता किसान वर्ग होने से अलग है ही और जैतारण और पाली ऐसे बीच में रह गये हैं । इसलिये मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पाली और जैतारण के छाया खंडों को विकास खंडों में परिणत करें ।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर कट मोशन है....

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन है या कटौती का प्रस्ताव है ।

एक माननीय सदस्य : Is there any difference between the two ?

श्री उपाध्यक्ष : For him there is a lot of difference.

श्री मोगजी भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव ब्लॉक खोलने के बारे में है । बांसवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ जिला है । इसमें ८ पंचायत समितियें हैं जिनमें चार जगह तो ब्लॉक हैं और चार जगह ब्लॉक नहीं हैं । घाटोल एरिया ऐसा है जहां पर पंचायत समिति कायम की है, वहां की २०-२५ हजार की आबादी है । वहां पर किसी प्रकार का सरकार की तरफ से विकास कार्य नहीं हुआ है । वह आदिवासी एरिया है और ६६ प्रतिशत इस एरिया में आदिवासी रहते हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : आप घाटोल, जिला बांसवाड़ा, की बात कह रहे हैं ?

श्री मोगजी भाई : दो को मिला कर पंचायत समिति बनाई है । इसमें २१–२२ स्कूलें हैं । इसके सिवाय कोई सड़क नहीं है, न कोई अस्पताल है न न कोई किसी प्रकार से दवाखाने का प्रबन्ध है । इस एरिया में एक सरकारी अस्पताल पिछले तीन वर्षों से बनाया है । उस अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है । वह अस्पताल तो वैसे ही नाम मात्र का पड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष : न दवा है ।

श्री मोगजी भाई : जब डॉक्टर और नर्स नहीं हैं तो फिर दवाई का तो कोई प्रश्न नहीं होता है । डॉक्टर नहीं है न कोई नर्स है, भवन बना हुआ जरूर है । लोगों के सन्तोष के लिये सरकार ने केवल भवन बना दिया । ऐसा होना चाहिये कि लोगों को वहां पर दवाइयें मिल सकें मगर वे नहीं मिलती हैं । इस इलाके में सड़कें भी नहीं हैं । यह इलाका बिल्कुल पहाड़ी इलाका है । यहां पर कोई भी तालाब नहीं हैं, न कोई कुंए हैं । अगर सरकार इस इलाके में....

श्री उपाध्यक्ष : वह इलाका "नहीं-नहीं" का है ।

श्री मोगजी भाई : चाहती है कि लोगों को राहत मिल सके तो वहां विकास होना चाहिये और इस इलाके में छोटे छोटे तट बन्धन या छोटे बांध या नाले बनाये जावें तो अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है ।

यह इलाका एक ही फसल का इलाका है । एक फसल होने से हमेशा अकाल का

(श्री मोगजी भाई)

भय रहता है और लोगों को खाने-पीने के लिये नहीं मिलता और न उनको मेहनत-मजदूरी मिलती है। अनाज जब वहां पैदा नहीं होता है और न कोई दूसरे मजदूरी करके कमाने के साधन हैं जिनके जरिये वे अपना धन्धा कर सकें, यह भी समस्या इस समिति के सामने हैं। इस इलाके को १० वर्ष होने आये सरकार ने इसकी उपेक्षा करके इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आज जो पंचायत समितियें विकेन्द्रीकरण होने से कायम हुई हैं उनके सामने आज की जनता को इतने वर्षों की समस्या हल होने की आशाएं हैं और विकास के कार्यों में उन्नति होने की आशा है जिससे कि वे लोग अच्छी तरह से अन्न का उत्पादन कर सकें और साधन-सम्पन्न बन सकें।

(घंटी)

उनके पास कोई जरिया नहीं है। पंचायत समिति हैं उनके पास पैसा नहीं और वहां की जनता गरीब हालत में है। इसलिये वह कोई पैसा दे नहीं सकती। दूसरी तरफ सरकार की ओर से कोई सहायता स्कूल खोलने में धन इकट्ठा कर सकें और सरकार से मदद ले सके, इसके लिये भी जनता के पास पैसा नहीं है और सरकार ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा प्रस्ताव है कि इस इलाके में आप विकास खंड खोलें, यदि नहीं खोलें तो भी मेरा कहना यह है और मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि छाया खंड या विकास खंड या किसी भी प्रकार का खंड 'नाम' चाहे कुछ भी हो, रखें मगर हमारे यहां उन्नति होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई न कोई खंड रख दें।

श्री मोगजी भाई : रामलीला या और कोई रख दें, हमें तो खंड से मतलब नहीं है। इस इलाके में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। उनके विकास के लिये सरकार ध्यान देकर कार्य करे और सब तरह के पैसे इनको देने चाहिये....

(घंटी)

तब जाकर पंचायत समिति वहां के लोगों की समस्या-अनाज के उत्पादन की और शिक्षा में, सड़कें वगैरह बनाने में खर्च करके इस इलाके का विकास कर सके। इसलिये यह प्रस्ताव इस पंचायत समिति के लिये मैंने रखा है।

दूसरा मेरा एक प्रस्ताव है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छाया खंड की जगह आप विकास खंड चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप कहते हैं, फिर शुरू से शुरू कर देंगे। कैसे भी खंड बनायें।

श्री मोगजी भाई : राजस्थान में सबसे बड़ा विकास खंड है उसमें शायद २५ हजार की जनसंख्या है। उसमें २७ लाख का ब्लॉक है। उसमें तीन वर्ष से दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ब्लॉक खोले हैं। उस ब्लॉक में प्रगति होनी चाहिये। जैसा अब तक कहा, वहां पर उस इलाके में जो विकास खंड है कोई पता नहीं चलता कि क्या प्रगति हुई ?

श्री उपाध्यक्ष: पहले का खंड खोलना रहा था, वह की वहीं हालत हो रही है, इसको छोड़ दीजिये ।

श्री मोगजी भाई : मैंने यह सुझाव दिया कि यदि पिछड़े इलाकों में विकास खंड खोलें, किसी प्रकार वहां के लोगों को, किसानों को राहत मिले, सहायता मिले जिससे कि अनाज, खेती बाड़ी का उत्पादन बढ़ सके । विकास खंड खोल कर केवल बंगले बना देंगे, इससे लोगों को सहायता नहीं मिलेगी । वे तो केवल दिखाने के लिए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस कटौती प्रस्ताव को समाप्त करिये ।

श्री मोगजी भाई : कुशलगढ़ में विकास खंड है । लेकिन कुशलगढ़ एरिया में कोई मुकम्मिल सड़क नहीं बन सकी है; न तो बांसवाड़ा से और न ही उदयपुर के इलाकों से इसका सम्बन्ध है । किसी प्रकार सड़कें भी नहीं बन सकीं,नये अस्पताल भी नहीं खुले । ग्राम पंचायतों में जो रकम दी जाती है उनसे तो सिर्फ स्कूलों और गांवों के कुओं वगैरह को कुछ राहत मिली है लेकिन उस इलाके में काम करने के साधन होते हुए भी वहां के ब्लॉक में जो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं उनकी ओर सरकार ध्यान देकर बतावे कि कितना काम हुआ है ? ब्लॉक के एरिया में कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी जाकर देखता नहीं है । २७ लाख रुपया इस ढंग से खर्च हुआ उससे कोई उत्पादन नहीं बढ़ा है, न ही कोई उत्थान हुआ है । तीन–चार साल में १५.१६ लाख रुपया खर्च करके कागजों पर आंकड़े तो जरूर दिखा दिये लेकिन वहां की स्थिति क्या है ? वहां की योजनाओं द्वारा जो काम होना चाहिये था वह हुआ है या नहीं, इस ओर सरकार ध्यान देकर देखे । वहां पर बहुत गरीब लोग हैं ।

(घंटी)

ऐसी घटनायें घटी हैं । गरीब लोग अस्पतालों में जा नहीं सकते, दूसरा अस्पताल भी नहीं है । वहां पर प्रसूति गृह खोलना चाहिये जिससे कि महिलाओं के बच्चे होते हैं वे बुरी तरह से मर जाते हैं वे बच सकें । ऐसी घटनायें भी घटी हैं । ऐसे ब्लॉक जहां हैं, सरकारी अधिकारी काम नहीं करते हैं,

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री मोगजी भाई : उनको मोटर और दूसरे साधन दिये हुए हैं लेकिन वे सरकारी धन का अपव्यय करते हैं । उस धन की ओर सरकार को निगाह रखनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि आप समाप्त कर चुके हैं ।

श्री मोगजी भाई : दूसरा, बागीडोरा पंचायत समिति है गढ़ी है, वहां पर ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं के लिए ब्लॉक की तरफ से भवन बने हुए हैं । सरकार नये नये भवन बना कर व्यवस्था करती है लेकिन पुराने मकानों की मरम्मत नहीं कराती है । ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं के लिए मकान बनाये हुए हैं लेकिन वे भी बर्बाद पड़े हुए हैं और नये नये मकान बना रहे हैं । विकास खंड की योजनाओं में या तो सड़कें या मकान बनाये जाते हैं, मौजूदा जो मकान हैं उनकी मरम्मत नहीं होती है इसलिए इन मकानों की मरम्मत का काम हाथ में लेना चाहिये, नहीं तो ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जावेंगे ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने ज्यादा समय ले लिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

श्री भीमसेन।

श्री मोगजी भाई : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दीजिये।

(विराम)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मांग संख्या ३२ पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, पंचायत समितियों को प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाकों में विकास खंड खोलने के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में दो तहसीलें हैं और दोनों में विकास खंड नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि सभी क्षेत्रों में विकास खंडों की आज कितनी आवश्यता है लेकिन मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है वह विकास खंड खोलने की मांग के लिए नहीं है किन्तु यह मांग स्पष्ट है कि विकास खंड तो खोलने चाहिये साथ ही मेरा प्रस्ताव है कि पंचायत समितियों को प्रशासनिक अधिकार दिये जांय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने २ अक्टूबर से राजस्थान में एक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था शुरू की है। इसको शुरू करने का प्रयोजन यह है कि विकास के कामों में जनता का सहयोग किस प्रकार से मिल सके। इसी दृष्टि से यह व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे विकास के कामों में जनता का सहयोग प्राप्त कर सके और पिछले पांच-छः वर्षों में विकास कार्यों में जो प्रगति हुई है उससे जनता का हौसला बढ़ा है और हमें ऐसी आशा है कि इसमें हमको आगे और सफलता मिलेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके कारण जन सहयोग जितना मिलना चाहिये उसमें रुकावट आती है। हमारे यहां पुलिस का महकमा है, हमारे यहां राजस्व अधिकारी हैं, ग्राम स्तर पर पटवारी लोग हैं इन अधिकारियों के कारण कभी कभी ऐसा कटु वातावरण होता है कि एक अधिकारी की मामूली गलती से जनता में विकास के कामों में जितना योग देने का साहस होता है, एक पटवारी की गलती से जनता पर कभी कभी बुरी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो मैं चाहता था कि पंचायत समिति एक समिति स्तर पर प्रशासनिक इकाई है और वह जनता का पूरा प्रतिनिधित्व करती है तो प्रत्येक मामले में चाहे पुलिस का सम्बन्ध हो, चाहे राजस्व का सम्बन्ध हो, अगर पंचायत समिति किसी अफसर, अधिकारी के बारे में कोई राय सरकार को देती है तो हमारी परम्परा यह होनी चाहिये कि हम पंचायत समिति की राय की कद्र करें और उसके अनुसार सरकारी कार्यवाही करें। लेकिन होता यह है कि पंचायत समिति को राय देने का अधिकार नहीं, यह कहा जाता है। हो सकता है कि इसके लिए कानून में कोई प्रावधान न रखा हो इसलिए पंचायत समिति को कोई अधिकार नहीं लेकिन जनता की प्रतिनिधि संस्था होने के नाते उनकी राय की कद्र होनी चाहिये।

हमारे लूणकरणसर में पंचायत समिति है और

(श्री भीमसेन)

बीकानेर में पंचायत समिति है। विलेज सेन्टर चल रहे हैं। वहां की पंचायत समिति जनता की राय के अनुसार यह मांग करती आई है कि हमारे यहां सेई बुलु ब्रीड जो आपके विभाग द्वारा एप्रूव्ड ब्रीड है वे उनको पसन्द नहीं हैं, हमारे यहां राठी ब्रीड है लोकल ब्रीड है उनके ही बुल्स हमको सप्लाई करने चाहिये। लेकिन विभाग इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं कि हमारी जो एप्रूव्ड ब्रीड है वही लेनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता के प्रतिनिध एक बात की मांग करते हैं कि उस क्षेत्र में यह ब्रीड सक्सेसफुल नहीं हो सकता है तो फिर इस पर विभाग को क्यों आपत्ति हो ?

मेरा कटौती का प्रस्ताव रखने का यह अभिप्राय था कि प्रत्येक मामले में चाहे विकास समिति का दायित्व हो या पंचायत समिति का दायित्व हो उनकी राय की कद्र करनी चाहिये। हमें इस प्रकार की परम्परा डालनी चाहिये कि पंचायत समिति की राय को हर क्षेत्र में मानें और उसी के अनुसार कार्य करें।

श्री दलीपसिंह (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या ३२ पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है उसके अनुसार मेरी यह मांग है कि इसकी जो चुनाव प्रणाली है जिससे पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव होता है वह बहुत लम्बी और खर्चीली है। जिस प्रकार से जनरल इलेक्शन में होता है उसी तरह का ढंग इस चुनाव का भी रख दिया गया है। इसको सरल और साधारण बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि समय बचे लोगों को परेशानी न उठानी पड़े और सहूलियत से चुनाव हो जाया करें। इस वक्त जनरल इलेक्शन की तरह से कई दिनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है फॉर्म भर कर देने पड़ते हैं, उसकी स्क्रुटिनी होती है, उसका विथ्ड्राल होता है फिर उसके बाद चुनाव होते हैं और उसके बाद जो नाकामयाब होते हैं वे अपील भी करते हैं। यह चुनाव पहले पहले होने की वजह से अपीलों में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, कहीं अपीलें की होंगी तो ऐसा ख्याल है उन समितियों की मयाद भी खत्म हो जायेगी उन अपीलों का फैसला नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसके चुनाव में पहले मीटिंग का नोटिस निकाल कर उसी मीटिंग के अन्दर इसका चुनाव गुप्त पर्ची डाल कर कर लें तो बहुत मुनासिब सिद्ध होगा। आगे अपील आदि का भी झगड़ा नहीं होगा और खर्चा भी बचेगा।

अर्ज करने का मतलब यह है कि जहां हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया उसमें जनता को अधिकार दिये लेकिन उसके साथ साथ हम एक ऐसी रीति-नीति कायम कर दें यानी जिसमें मिनिस्टर साहबान या डिप्टी मिनिस्टर साहबान उन चुनाव क्षेत्रों में जाकर अपना प्रभाव मतदाताओं पर न डाल सकें। कई जगह ऐसा हुआ है कि मिनिस्टर साहबान पहुँचे हैं और उन्होंने जोर डाला है कि फलां आदमी को प्रमुख बनाया जाय और उसी को बनाया गया है। चूंकि उनके पास सत्ता का प्रभाव होता है इसलिये लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं और इस तरह से गलत आदमियों का चुनाव हो जाता है। और जगहों की तो मैं नहीं कहता, मैं कोटा के लिये कह

(श्री दलीपसिंह)

सकता हूं कि कोटा में इस किस्म का प्रभाव डाला गया। किसी हद्द तक वहां चुनाव गलत हुआ जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिये हमारे लिये यह जरूरी होना चाहिये कि जिस मीटिंग में चुनाव होनेवाले हों वहां पर जो एम० एल० ए० होते हैं वे भी उन मीटिंगों में न पधारें तो बहुत अच्छा हो ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके, किसी के प्रभाव में कोई न आये और अच्छे आदमी चुनाव में आ सकें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कोटा में मंत्रीजी फिर सकते हैं।

श्री दलीपसिंह : मैंने अपना तजुर्बा बताया।

इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी को वोट देने का अधिकार न हो बल्कि कलेक्टर को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिये जो निष्पक्ष व्यक्ति हो। अभी समितियों के प्रधानों को सब कमेटीज़ के चुनाव के लिये उन लोगों को प्रधान को अधिकार दिया गया है वे रिटर्निंग ऑफिसर हो कर चुनाव करा लें। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वहां पर पक्षपात से काम लिया गया है। इस प्रकार कहीं पर गलत तरीके से समितियों के चुनाव हो जाते हैं तो उसकी अपील की भी गुंजाइश नहीं रखी गई है। जिले की सब कमेटियों के चुनाव में किसी को किसी प्रकार के ऐतराजात होते हैं तो वह सेशन जजी में जाकर अपील कर सकता है लेकिन इन सब कमेटियों में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसकी अपील के लिये कोई गुंजाइश नहीं है, मनमानी करनेवाले कर लें, उसके लिये आगे कोई रेमेडी नहीं। इसी प्रकार का मेरे सामने एक केस आया था एक सब–कमेटी के चुनाव में किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक व्यक्ति का फॉर्म इस तरह से रद्द कर दिया था, उसने तीन कमेटियों के मेम्बर बनने के लिये फार्म भरा था। इसलिये कि उसने तीन कमेटियों के लिये फॉर्म भर दिया इसलिये उसको रद्द कर दिया जाता है। वह इस चीज़ को लेकर आगे अपील में जाना चाहता है तो कोई प्रोविज़न नहीं। इस किस्म के अन्याय को दूर करने के लिये जैसा कि पहले मैंने सुझाव दिया मीटिंग के अन्दर ही गुप्त पर्ची डाल कर चुनाव करवा लिया जाना चाहिये, इससे इस प्रकार की नौबत नहीं आयेगी।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जहां इन समितियों में क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को रखने का प्रावधान रखा है उसकी जगह कानून में इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिये कि क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों को समितियों में लिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि क्षेत्र के बाहर से व्यक्ति न लिये जांय, क्षेत्र के ही काबिल व्यक्तियों को लिया जाय उनमें भी जैसे सरपंच लोग हैं वे ओहदे के लिहाज से समितियों के मेम्बर हो सकते हैं। बहुत से लायक व्यक्ति हैं जो पंचों का काम करते हैं वे सरपंच के लिये तो इसलिये खड़े नहीं हो सकते कि वे उसके लिये समय नहीं दे सकते। बाहर से न लिया जाकर पंचों से ले लिया करे ताकि उनके तजुर्बे से फायदा उठाया जा सके और उन आदमियों को लिया जाय कम से कम जिनको तीन साल का ग्राम पंचायत के पंच का तजुर्बा हो।

(श्री दलीपसिंह)

(१.५८ म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन,)

इसके अलावा मेरा अर्ज करना यह है कि अगर हम चाहते हैं कि यह काम सफलतापूर्वक चलता रहे तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिये जिसमें ज्यादा से ज्यादा सेवाभावी और योग्य व्यक्ति इसमें आ सके। इस वक्त जो आपने तीन रुपया रोजाना अलाउन्स का प्रावधान रखा है वह मैं समझता हूं इतनी थोड़ा है कि जो व्यक्ति साधन सम्पन्न नहीं हो वह नहीं आ सकेगा। वास्तव में जो सेवा—भावी है, पुराना जिसका रेकॉर्ड है अच्छा व्यक्ति है वह इस कार्य के लिये पूरा समय नहीं दे सकेगा। और कोई भी इसमें खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसमें वही शख्स आ सकेगा जो अमीर होगा, पूंजीपति होगा और वह कहेगा कि चलो सत्ता हथियाते हैं और इस तरह वह प्रधान और प्रमुख बन जाता है चाहे फिर उसमें काम करने का माद्दा हो या न हो दिलचस्पी हो या न हो, इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारा जिला तो बड़ा छोटा है इसलिये दो सो तीन सो रुपया माहवार प्रमुख के लिये रखा जावे और कम से कम १५०) रु. का अलाउन्स समितियों के प्रधान के लिये रख दिया जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह तो रख दिया।

श्री दलीपसिंह : मुझे मालूम नहीं था। रख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है। पर प्रमुख के लिये भी है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : प्रधान के लिये है।

श्री दलीपसिंह : तो प्रमुख के लिये भी हो। हम चाहते हैं कि इस नये तजुर्बे को सफल बनाने के लिये यह करें।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : सभापति महोदय.......

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु): सभापति महोदय, मेरा नम्बर भी है।

श्री सभापति : आपका नाम लिया गया। आप थे नहीं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं जरा बाहर चला गया था, अधिक नहीं बोलूंगा। सिर्फ पांच मिनिट का समय।

एक माननीय सदस्य : 'कालाबादल' की जगह गोरा बादल ने ले ली।

श्री सभापति : मैं मजबूर हूं। श्रीमती सुमित्रा देवी।

२. २ म. प.

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, जिस सद्भावना और सुखद परिणामों के लक्ष्य-प्राप्ति की कल्पना करके

Page No.63

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

इन सामुदायिक विकास खण्डों का आरम्भ किया गया था, मुझे बड़ा अफसोस है यह कहते हुए कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच सके। आप यह पूछ सकते हैं कि मैंने किस आधार पर यह बात कही ? तो मैं आपको वे आधार बताती हूं। जब मैं अपने इलाके में जाती हूं तो देखती हूं कि वहां कुछ जगह ब्लॉक्स एरिया है, कुछ जगह नहीं। पर ईमानदारी की बात यह है कि मुझे ब्लॉक एरिया और नॉन ब्लॉक एरिया में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह क्या है ? यह मैं बताना चाहती हूं। बहुत बड़ा कारण तो यह है कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसका अधिकांश एस्टेब्लिशमेंट पर हो रहा है और इस तरह विकास कामों के लिये पैसा अधिक नहीं बचता। मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र भी किया है। मैं यदि गलत नहीं कह रही होऊं तो करीब चालीस प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है। इसका मतलब यह हुआ कि चालीस और चालीस प्रतिशत दोनों प्रकार के ब्लॉक्स का मिला कर ८० प्रतिशत पैसा ऐसा है जिसका वास्तव में डेवलपमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है सिर्फ २० प्रतिशत ही रिटर्न हो रहा है।

इसके लिये उन लोगों की तरह से मैं तो थोड़ी और आगे बढ़कर यह सुझाव देना चाहूंगी कि उन्होंने तो सिर्फ एक्सटेन्शन ऑफिसर को कम करने की बात कही है, पर मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि एक जिले में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबका एक ही एक्सटेन्शन ऑफिसर हो। बारी बारी से वह जाकर सब जगह का काम देख लिया करे क्योंकि जो बातें कहने समझने की हैं वही वे कहते रहते हैं और वे तो एक ही हैं। एक बात को चाहे तीस दिन जाकर समझाइये चाहे एक दिन समझा दीजिये। वही वहीं बातें आप रिपीट करते हैं तो इससे ग्रामीणों का समय भी बर्बाद जाता है और पैसा भी व्यर्थ खर्च होता है। फिर खामख्वाह में लोगों को भी परेशानी होती है। यह प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है कि महीने में कम से कम दस, बारह दिन बाहर जाकर रहें तो इससे तो कोई लाभ नहीं है।

इस विषय में बलवन्तराय मेहता कमेटी की एक सिफारिश थी कि इस सर्विस में उन को ही एम्प्लोय किया जावे जिनको देहातों का अनुभव हो, जो देहातो से आते हों, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह बात इस आधार पर कह सकती हूं कि उनमें से जो देहात से नहीं आते उनको बहुत कम अनुभव गांवों की परिस्थितियों का और वहां की कठिनाइयों का होता है। यह बात मैं अनुभव से कह रही हूं। एक बार का किस्सा है। नवलगढ़ ब्लॉक का किस्सा है। एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर ने विलेज लेवल वर्कर से मांग की कि मैं जयपुर जा रहा हूं तुम्हें कौन कौन से पेड़ चाहिये, मुझे उनके नाम बता दो, मैं वहां से आते समय ले आऊंगा। एक विलेज लेवल वर्कर गांव से आने वाला था। उस ने उस अफसर के साथ मजाक करना चाहा और उसे नाम लिखा दिये जैसे सत्यानाशी, गोखरू और एक, दो और ऐसे ही नाम लिखा दिये। मैं आपसे कहती हूं कि वह कतई

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

इस मजाक को नहीं समझ सका। उसने अपनी डायरी में नाम लिख लिये । आखिर यहां आकर उसने इनकी बड़ी तलाश की। पर मिले नहीं।

श्री सभापति : मुझे विश्वास है कि आज तो मजाक नहीं हो रही है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सत्यानाशी तो मिल गई होगी उसको ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : वे पेड़ ऐसे नहीं होते कि लगाये जावें। वह आया और कहने लगा कि मुझे तो ये पेड़ कहीं नहीं मिले, मैंने बहुत तलाश की। तो ये जंगल में पैदा होने वाले पेड़ होते हैं। इसलिये कह रही हूं। वह वापिस आया तो परेशान था कि क्या जाकर जवाब दूंगा, वे पेड़ मुझे तो मिले ही नहीं । बाद में तो उनको पता लग गया कि मेरे साथ यह मज़ाक की गई थी। ये पेड़ लाये नहीं जाते, जंगल ही में पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि इन कामों पर जिनको भी लगाया जावे ऐसों को लगाया जावे कि जिनको देहाती क्षेत्रों का ज्ञान हो। क्योंकि कई चीजें पढ़ाई–लिखाई में आ जाती हैं पर पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी जिनको देहाती क्षेत्रों में काम करना होता है उनको यदि वहां की अन्य बातों का ज्ञान जो पढ़ाई-लिखाई में नहीं आता नहीं होता है तो वहां उनका निभना बहुत मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहती हूं और वह यह है कि बाज़ वक्त ऐसा हो जाता है कि प्रधान जो हैं ये कई एक्सटेन्शन ऑफिसर्स से मिल जाते हैं। अब ऐसा हो गया है कि बिना पंचायत समिति की आज्ञा के किसी भी कर्मचारी का ट्रान्सफर नहीं हो सकता। मैं उदाहरण के तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सरकार को ये पॉवर्स कुछ अपने पास रिज़र्व कर लेने चाहिये थे कि ऐसे मौके यदि कभी आ जावें तो उन सरकारी कर्मचारियों का तबादला किया जा सके क्योंकि इस तरह के किस्से हैं कि, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप नाम क्यों नहीं लेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : क्योंकि इससे कर्मचारी और मेरे, दोनों के लिए यह उचित नहीं होगा। तो उस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। कई बार मेरे साथ ये घटनायें हुई हैं। मैं समझती हूं कि वे और भी कई लोगों के साथ हो सकती हैं। यदि प्रधान और वहां के ऐसे कर्मचारी मिल जाते हैं और मिल कर रिश्वत खाने लगते हैं लोगों का काम इसके बिना नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनके ट्रान्सफर के पॉवर्स सरकार के पास नहीं होते हैं और उनकी शिकायत आपके पास की जावे तो उस शिकायत पर आप ऐन्क्वायरी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और इस ऐन्क्वायरी में ही साल, दो साल निकल जावेंगे तब तक लोग हैरान हो जावेंगे।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : रिश्वत के लिए हमेशा के लिए अलग से कानून बना हुआ है।

Page No.65

श्रीमती सुमित्रा देवी : दोनों मिलकर वहां के क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, मनमानी करते हैं, पैसे लेते हैं तो इसकी इन्क्वायरी होने में साल, दो साल लग जाते हैं और तब तक वहां के क्षेत्र के लोग त्राहि-त्राहि करने लग जाते हैं। इसलिए इस तरह का प्रोविज़न ऐसे मौकों के लिए रखना चाहिए था। ऐसे सर्कम्सटान्सेज़ में महीने दो महीने में ही ऐन्क्वायरी हो ताकि ऐसे आदमियों का ट्रान्सफर किया जा सके।

हां, एक और इसी तरह का मज़ाक का उदाहरण था जो पेश कर देना चाहती हूं। अभी ऐसा हो गया है कि प्रधान साहब की किसी विशेष सरपंच पर मेहरबानी है, यह उस वक्त का किस्सा है जब पंचायत समितियों का चुनाव नहीं हुआ था। एक पंच ने किसी स्कूल के लिए मन्जूर किये हुए दो हजार रुपये ले लिए। स्कूल को वे रुपये दिये नहीं। पर स्कूल वालों ने विभाग वालों के इस आश्वासन पर कि तुमको पैसा मन्जूर हो गया है और मिल जावेगा स्कूल भवन बना लिया और उसमें अपने पास से कुछ इकट्ठा किया पैसा भी लगाया और इस तरह दो हज़ार इकट्ठा करके और दो हज़ार मिलने के एश्योरेन्स पर उन्होंने इमारत बना ली। सरपंच महोदय पैसा खुद ले आये और पता नहीं अपने किसी काम में खर्च कर लिया और स्कूल में दिया नहीं। इन बातों को डेढ़ साल का अर्सा गुजर गया पर वह पैसा आज तक उनसे नहीं मिला। जब इसकी शिकायत की गई और पंचायत समिति के प्रधान को कहते हैं तो वे कुछ करते नहीं। उनका बहुमत है। आज जनतंत्र के इस युग में कहा जाता है कि गांव वाले रोते रहेंगे पर सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। इसलिए....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह तो कोर्ट में मामला लाया जा सकता है और पैसा तो मिल ही सकता है।

श्रीमती सुमित्रा देवी : वह तो बाद में आवेगा ही। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने दिन तक तो गांव वालों को हैरान करेंगे ही न।

श्री सभापति : क्या आप उस सरपंच का नाम बता सकेंगी।

श्रीमती सुमित्रा देवी : जी, नहीं बता सकूंगी। क्योंकि १७ तारीख आखिरी दी गई थी तब तक या तो वह पैसा दे देता है नहीं तो कार्यवाही की जावेगी। मैंने तो उदाहरण के लिए कहना था इसलिए कह दिया है।

श्री सभापति : पर यह एम्बेज़लमेंट तो है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: आपको नाम बताने में क्या ऐतराज है ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : वे हैं सूबेदार जोराराम जो कि मेरे क्षेत्र की तहसील चिड़ावा के केरलो ग्राम में रहते हैं। एक्स–मिलिटरी मैन हैं।

तो इस बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो एस्टेब्लिशमेंट में कम पैसा खर्च करने का सुझाव दिया था मैं भी इसका समर्थन करती

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

हूं और इसके साथ यह मांग करती हूं कि एक जिले में जितने ब्लॉक्स हैं उनके लिए एक ही एक्सटेन्शन ऑफिसर रखा जावे जो कि बारी बारी चार–पांच दिन में एक दिन इन सब इलाकों में जाकर घूम आवे और अपनी सलाह दे।

श्री सभापति : Hon'ble Minister-in-charge.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, कुछ मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : क्या निवेदन करना है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : कटमोशन के समर्थन में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : He wants to support any cut motion ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : That will be an endless debate then.

श्री सभापति : No. He will consolidate his debate within five minutes. आपको ५ का समय दिया जाता है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी केबिनेट के कई मंत्री महोदय और उप-मंत्री महोदय जबाब नहीं दे पाते हैं तो उनका जबाब भी मैं दे देता हूँ।

(हंसी)

मुझे वे माफ करेंगे कि या तो मैं भावुक हूं या फिर वे बैठे बैठे नींद निकालने लग जाते हैं और मुझे होश आ जाता है तो मैं बोलने लग जाता हूं। तो माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ३२ पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी राज्य सरकार की राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के वितरण की नीति है उस पर मेरे माननीय मित्रों ने अपने अभिभाषणों द्वारा कुछ इस सदन को मैटर दिया ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह आप किस कटमोशन का समर्थन या विरोध कर रहे हैं ?

श्री सभापति : विरोध में बोल रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य किशनगढ़ से आते हैं, वह पहले अपने मज़दूरों की समस्या को तो हल कर लें। तो....

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप विषय पर बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट के वितरण की हमारी राज्य सरकार की नीति रही है वह

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कहीं तो जनसंख्या के आधार पर मान ली गई है। और कहीं पर इन्कम के आधार पर मानली गई है। कल हमारे नागौर से आने वाले माननीय सदस्य चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर यह ब्लॉक के अलॉटमेंट किये जायें। हमारे यहां राजस्थान में दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो शैडो ब्लॉक की बीमारी है। वहां तहसीलदार को विकास अधिकारी माना है तो जहां तहसीलदार अपनी तहसील का वर्क पूरा नहीं कर पाता है वह सौ, सवा सो गांवों को अच्छी तरह से देख नहीं पाता है ऐसी हालत में तहसीलदार को दो काम हमारी राज्य सरकार ने सौंप दिए। तो वह न तो विकास का ही काम कर पाता है और न तहसील का ही काम। तहसील में जनता जनार्दन के केसेज़ आते हैं वह उनको देखे या पंचायत समिति में काम करे? तो मैं निवेदन करूं कि जहां पर भी ऐसे शैडो ब्लॉक्स हों वहां विकास अधिकारी नये लगाये जायें और जहां जहांभी शैडो ब्लॉक्स हों उनको पूरा ब्लॉक बनाया जाये। जैसे मैं मेरे क्षेत्र का उदाहरण दूं। मेरे बल्लभनगर तहसील क्षेत्र में १॥ लाख जन-संख्या है वहां पर एक ब्लॉक दिया जब कि ३०–३२ हज़ार की जनसंख्या में पूरा ब्लॉक दिया है। तो बल्लभनगर क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं वहां फूल सागर पंचायत समिति को शैडो ब्लॉक बनाना चाहिए। एक भींगर को जब इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतना बड़ा क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है जहां कि भोल, मीणे, चमार आदि रहते हैं आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वे लकड़ी के गट्ठे लाकर और मूली बेच कर अपना गुजर करते हैं। न तो उनको शिक्षा की ओर न और ही दूसरी चीजों की सहूलियत है तथा न उनको सामाजिक, आर्थिक स्थिति की ओर ही हमारी सरकार का ध्यान है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे इतने बड़े क्षेत्र में जो कि सारा पहाड़ी इलाका है, भील एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरा ब्लॉक बना दिया जाये। हमारे जो डेवलपमेंट के माननीय मंत्री महोदय हैं वे जवाब देकर नहीं रह जायें; मेरी यह मान्यता है कि मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं परन्तु वह काम नहीं होता है। तो मैं सभापति महोदय यह निवेदन करूं कि आज जो हम फैसला करने जा रहे हैं जो हमारी वितरण की नीति है उसको हम ठीक करें तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (सामुदायिक विकास मंत्री) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, कटमोशन था वह नम्बर में नहीं आ सका। मैं उस समय उपस्थित नहीं था और कट-मोशन क्योंकि सभी मूव्ड हैं तो सदस्यों को उनका समर्थन करने के लिए बाद में समय दिया जायेगा।

श्री सभापति : मैं इसके बारे में पहले व्यवस्था दे चुका हूं। एक माननीय सदस्य ने पहले भी चाहा था कि वे अपने कटमोशन रखते। I have given my observation that new cut motion cannot be moved now.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : डिप्टी स्पीकर ने टाइम दे दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यहां जरा व्यवस्था चाहूंगा कि सारे ही कटमोशन्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाउस में मूव्ड समझे गये और मैं समझता हूं कि कोई सदस्य जिसने हाउस में कटमोशन मूव किया है और वह उपस्थित नहीं था तो वह बोल सकता है ऐसी मेरी मान्यता है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति : Cutmotion is deemed to have been moved when the Chair has asked the Hon'ble Member to move it before the House, and since you did not move, it cannot be presumed that is was moved.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): When the name was called, he was not here.

श्री सभापति : When the name was called by the Chair, the Hon'ble Member did not respond. How can it be now presumed that it was moved?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करने की अनुमति मांगी थी और वह आसानी से उनको मिल गई थी, यद्यपि वे अपना कटमोशन मूव नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि उस आधार पर या फिर उस आधार पर नहीं तो जो कटौती के प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किये गये उनके संबंध में भी बोलने का अधिकार है। उस आधार पर भी मैं आपसे निदवेन कर सकता हूं।

श्री सभापति : At the proper time no Hon'ble Member rose from the chair, and I called the Hon'ble Member in charge to give reply and he has addressed the Chair. Now it is very difficult to ask the Member-in charge to resume his seat and again the matter tc resume. So I observe that the Hon'ble Member in charge should reply.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मेरे सामुदायिक विकास खण्ड की मांग के संबंध में प्रस्तुत हुए उनके बारे में सब से पहले मुझे यह निवेदन करना है कि कई कटौती प्रस्तावों की एक ही मन्शा है। मैं यह उचित समझता हूं पहले कि जिनमें कॉमन बातें कही गई हैं उनके ऊपर मैं साधारण तौर पर पहले अपने विचार और जानकारी रख दूं उसके बाद जो विशेष विशेष स्थान की, विशेष विशेष बातें हैं उनके बारे में मैं अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि अपने यहां राजस्थान में १९५२ से सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ हुई। सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ करने की मन्शा यह थी कि गावों में और गांवों में भी जहां तक बन सके एक एक परिवार की दशा पर ध्यान दिया जाये, सब तरह से उनकी हालत सुधारी जाये और उनका सर्वांगीण विकास किया जाये। इसके अनुसार राजस्थान में आज १३६ विकास खण्ड हैं। नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स भी इसमें शामिल हैं और अभी आदेश हुआ है जिसके अनुसार आगामी अप्रेल से १० ब्लोक और नये खोले जायेंगे राजस्थान में। और तजवीज यह भी है कि १–१०–६३ तक सारा राजस्थान विकास खण्डों से आच्छादित हो जायेगा। तो जिन माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि छाया

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

खण्ड की जगह विकास खण्ड खोले जायं उनसे निवेदन है कि छाया खण्ड तो हैं ही, या तो कहीं विकास खण्ड है या छाया खण्ड हैं, इस प्रकार खण्डों से राजस्थान....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान खण्ड-खण्ड हो गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान आवृत्त हो गया है। मांग यह थी कि जहां छाया खण्ड हैं वहां विकास खण्ड बनाये जायं। मैं निवेदन करूंगा कि ६३ तक सारे राजस्थान में विकास खण्ड हो जायेंगे। उसके पहले प्रति वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि होगी। तो मैंने अभी बताया कि इसी अप्रेल से १० खण्ड और आपको मिलने वाले हैं। जिन जिलों को मिलने वाले हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जिससे उन माननीय सदस्यों को पता लग जायेगा कि कहां कहां वे खुलने वाले है:

चुरू, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर, बांसवाड़ा, गंगानगर, अलवर, सिरोही और शायद कोटा है...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अजमेर का नाम नहीं है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : भरतपुर का नाम भी है क्या ?

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें जो नाम नहीं है वह नहीं है।

अब इन छाया खण्डों को विकास खण्डों में परिवर्तित करने की जो प्रणाली रखी गई है वह यह है कि ये खण्ड जिलों को अलॉट कर दिये जाते हैं और जिला परिषद् जिस स्थान को तय करती है कि यहां पर विकास खण्ड खोले जायं उसके अनुसार विकास खण्ड खोले जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से इन्टरप्शन नहीं करें तो अच्छा हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप यह चाहते हैं कि छाया खण्ड को विकास खण्ड में परिवर्तित किया जाय तो आप जिला परिषदों से सिफारिश भिजवाइये। जितना भी अलॉटमेंट प्रति वर्ष होता है जैसा कि इस साल १० खण्ड मिले हैं यदि उनके लिए जिला परिषदें सिफारिशें भेज सकेंगी तो राज्य सरकार को सुविधा होगी। उसका निर्णय करने की यही प्रणाली रखी गई है।

जो ब्लॉक या खण्ड खोले जाते हैं उनमें खास बात यह देखी जाती है कि कृषि उत्पादन की अधिक सुविधा कहां है ? यह खास कन्डीशन होती है। कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि हमारे यहां ब्लॉक (खण्ड) नहीं खोले जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि वहां पर कृषि उत्पादन की अधिक सुविधाएं नहीं हो। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, आप देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां खोले जायं तो आप जिला परिषद् को सिफारिश भेजिये।

श्री रामदान चौधरी (बाड़मेर) : बाड़मेर में बनेगा तो क्या मेरे यहां भी बनेगा ?

Page No.70

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बाड़मेर जिला परिषद् तय करेगी कि बाड़मेर जिले में कहां ब्लॉक खोला जाय। वहां से सिफारिश आ जाती है तो गवर्नमेंट को सुविधा होगी।

श्री रामदान चौधरी : जिला ब्लॉक में पक्का ब्लॉक एकाध कर रहे हैं क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की चेष्टा इस प्रकार की थी कि अगले साल तक सारे राजस्थान में खुल जायेंगे लेकिन प्लानिंग कमीशन से तय नहीं हुआ इसलिए तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। अब यदि छाया खण्ड एक-दो साल तक रहें तो छाया खण्ड विकास खण्डों से ज्यादा नुकसान में रहेंगे ऐसी बात नहीं है। इसको मैं आगे चल कर बताऊंगा कि छाया खण्ड में कितनी सुविधाएं हैं और कितना खर्चा मिलता है और विकास खण्ड में कितना है उसकी धनराशि के आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा।....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : विकास खण्ड का क्राइटेरिया आपने बताया कि कृषि उत्पादन होगा तो कृषि उत्पादन को ज्यादा प्रायरिटी दी जायेगी? कृषि उत्पादन के बारे में मन्त्री महोदय जानते हैं कि देवली में खोला जाय या उनियारा में खोला जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, इस तरह से इन्टरप्शन होते रहे तो बड़ी दिक्कत होती रहेगी। जो साहब सवाल पूछना चाहते हैं वे आखिर में पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने उस वक्त कहा कि कृषि के लिए कहां उपयुक्त स्थान है, इसका निर्णय जिला परिषद् करेगी तो आप वहां जाय और इसके बारे में अपनी बात पेश करें। जोर देने का स्थान यह नहीं है। जोर देने का स्थान जिला परिषद् है। वहां कोशिश करें।

और जो ऐसी बातें कही गईं जिनका सम्बन्ध नीति से है और विशेष प्रश्नों से नहीं है मैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया कि अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच में तालमेल नहीं है, एक तो यह बात कही गई। एक बात यह कही गई कि दोनों मिल जाते हैं तो मुश्किल। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्या ने कहा कि पंचायत का प्रधान और बी० डी० ओ० अगर दोनों मिल गये तो वहां दिक्कत पैदा होती है। दिक्कत यों भी पैदा होती है कि अगर दोनों नहीं मिलते हैं, सहयोग नहीं करते हैं तो दिक्कत। असल में जो नीति अपनानी चाहिए सही वह यह है कि ब्लॉक के अधिकारी और जनता के प्रतिनिधि, चाहे सरपंच हों, पंचायत समितियों के सदस्य हों, प्रधान हों, प्रमुख हों, उन सब को ब्लॉक में मिल कर काम करना चाहिए। ब्लॉक पार्टीबाज़ी के लिए नहीं हैं, न पार्टीबाज़ी का अखाड़ा है। हालांकि अलग अलग राजनैतिक दल हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग है। उनकी विचारधारा शहर से लेकर गांव तक फैली हुई है, लेकिन ब्लॉक इसलिए नहीं बनाये गये हैं कि उनमें राजनैतिक दंगल और अखाड़ा बनें। वह इसलिए है कि गांव सारा एक है। सब एक साथ काम करें। तो ऐसा वातावरण और ढंग हो। वास्तव में गांवों में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

यह किया जाय कि आपस में खींचातानी नहीं हो और परस्पर सहयोग से काम चले। अभी कई जिलों में सारा मन्त्रीमंडल गया था और उन लोगों से मिला। एक माननीय सदस्य ने तो यह बताया कि एट होम और चाय पार्टी में समय चला गया। ऐसी बात नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि सुबह ८ बजे से लेकर रात के १२–१ व कभी कभी २ बजे तक काम करते थे। उसमें से मुश्किल से आधा या पौन घन्टा कभी कहीं एट होम होता तो उसमें खर्च होता। बाकी १८–१६ घन्टे रोज का एवरेज काम का वहां पर हुआ है। तो खाने के घन्टे दो को छोड़ कर बाकी दिन में भी कभी सोने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इसके बावजूद भी यह कहा जाय कि एट होम और चाय पार्टियों में वक्त जाया किया तो यह ज्यादती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन जिलों में हम गये हैं उनके प्रतिनिधि यहां पर होंगे, वे इस बात की साक्षी देंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता था, सभापति महोदय, वह यह है कि जहां कहीं भी गये हैं मुश्किल से एक, दो जगह ऐसे मामले आये हैं कि जहां पर प्रधान और बी० डी० ओ० में झगड़ा है। जहां झगड़ा निगाह में आया वहां पर कोशिश की कि झगड़ा मिटाया जाय। उनमें मेल-मिलाप से काम करने की कोशिश की है। दोनों के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता है। दोनों ही मिलकर कोई अगर बुराई करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि विकेन्द्रीकरण की योजना का अर्थ यह है कि जितनी समस्याएं हों वे समस्याएं जिस स्थान पर हों वहीं सुलझाई जायं। ऐसा वातावरण पैदा किया जाय, ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाय, ऐसी स्थिति पैदा की जाय कि वे झगड़े वहीं खत्म हो जायें। गांव से आगे पंचायत समिति में खत्म हो जायं। वहां से चलें तो जिला परिषद् तक ले जायं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि विकेन्द्रीकरण का महीने भर से यह महकमा मेरे पास आया है, मैं बराबर देखता हूं कि छोटी-मोटी बातें जो गांवों में ही निपटाई जा सकती हैं वे भी मुझ तक आती हैं। अब यह सोचने की बात है कि मुझ तक लाई जाती हैं तो फिर विकेन्द्रीकरण का अर्थ क्या है? यह ठीक है कि प्रारम्भिक अवस्था क्या है? स्थिति को समझ लेते हैं और माननीय सदस्य सरकार से फैसला चाहते हैं, सरकार से सुविधा चाहते हैं तो सुविधा दी जायेगी ही क्योंकि काम तो इसके लिये किया ही गया है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि गांवों में काफी ध्यान देने की जरूरत है। गांवों में प्रधान और पंचों के बीच भी झगड़े छोटी छोटी बातों के लिये होते हैं। जब तक ऐसे वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे तब तक ऐसी कठिनाइयां चलती रहेंगी। किसी बी. डी. ओ. ने अच्छा काम नहीं किया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार का या बड़े अधिकारियों का ध्यान नहीं है, ध्यान है। फिर भी माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया उनको धन्यवाद देता हूं। विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास का जो काम करना चाहते हैं वह ऐसा किये बिना कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिये माननीय सदस्यों ने वाजिब ध्यान दिलाया है। गांवों में अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है।

विभागों की तरफ सजग रहने की बात कही गई। सभी डिपार्टमेन्ट्स मिल कर काम

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नहीं करेंगे और जनता के प्रतिनिधि भी मिल कर काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती, इस ओर ध्यान दिलाया है वह वाजिब है और मैं मानता हूं कि हमारे अधिकारी, हैड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स वगैरह हैं वे सजग हैं और विभागों में पहले से ज्यादा एक दूसरे से मिल कर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोई खास दिशा में उदाहरण सामने लाया जाय जिसमें ध्यान देने की जरूरत हो तो जरूर ध्यान दिलाया जायेगा ।

विलम्ब होता है यह बात सही है। विलम्ब केवल राजस्थान में ही नहीं होता बल्कि यह भारत भर की बीमारी हो गई है। लेकिन हम सतर्क है और चाहते हैं कि यह दूर हो। इसके लिये क्या क्या होना चाहिये उसके बारे में रचनात्मक सुझाव आने जरूरी हैं।

टैक्स की बात आ गई बीच में, इस बारे में दो माननीय सदस्यों ने कहा। एक माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया कि टैक्स के अधिकार जो दिये गये हैं वे कम हैं, राजस्व भी उनको देना चाहिये। दूसरे माननीय सदस्य ने यह बताया कि टैक्स के अधिकार वास्तव में दिये नहीं हैं, चालबाजी है । 'चालबाजी' शब्द मेरा है लेकिन भाव उनके हैं, बदनामी से बचना चाहते हैं। लेकिन यह बात नहीं है। बदनामी से डरने की बात होती तो टैक्स लगाने की प्रथा ही हट जाती। दरअसल बात यह है कि विकेन्द्रीकरण की जो व्यवस्था की गई उसके मूल में बात यह है कि जनता की रुचि और भावना बढ़े और उसको अधिक सुचारू रूप से काम करने का अवसर दिया जाय, सत्ता दी जाय और साधन दिये जाय। जो साधन राज्य सरकार स्वयं दे सकती है वे दिये जाय और अधिक साधन निर्माण करने का अधिकार दिया जाय। इसमें टैक्स वगैरह के साधन दिये गये हैं उनकी सुविधा के लिये। यदि ज्यादा अधिकार देने की मांग की जाती है या चाहे जाते हैं तो यह भी ठीक है। रेवेन्यू के अधिकार दिये जांय यह प्रश्न सिद्धान्त का नहीं है, दिये जा सकते हैं लेकिन देखना यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि ये अधिकार भी पंचायत समितियों को दिये जाय ? मेरा अपना विचार, सभापति महोदय, यह है कि २ अक्टूबर से यह काम शुरू हुआ है उत्साह की यह पहली लहर है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, लोगों ने माना है कि हमारे हाथ में सत्ता आई है, अधिकारियों और जनता के लिये एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने का मौका आया है लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो गई है कि तीन, चार महीनों बाद ही दूसरी सत्ता और दे दी जाय हालांकि गवर्नमेन्ट इस दिशा में सोच भी रही है लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह से अभी अधिकार देना समय से पहले होगा। मुझे महीना भर हुआ है इस डिपार्टमेन्ट का चार्ज लिये लेकिन चार्ज लेने के बाद जल्दी ही मुझे इतना उत्साह नहीं दिखता कि राज्य सरकार की सिफारिश करूं कि राजस्व के अधिकार भी इतने दे दिये जांय, हालांकि मैं चाहता हूँ और पक्ष में हूं कि चार पांच वर्ष में बहुत सी चीजें विकेन्द्रित करनी पड़ेंगी लेकिन जब तक लोजिकल कन्क्लयूजन तक नहीं जायेंगे तब तक सफल नहीं होंगे, यह मेरा विश्वास है, राजस्थान सरकार का विश्वास है और भारत सरकार का भी विश्वास है ।

अब यह इशारा किया गया कि मन–

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

माने रुपये खर्च करते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि काम हुआ या नहीं। जांच-पड़ताल होती है या नहीं, हिसाब मांगा जाता है या नहीं, इसका पता नहीं होता । मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कोई अधिकारी काबिल न हो, अच्छा न हो यदि नहीं है तो सामने लाया जाय, लेकिन मूल्यांकन नहीं होता ऐसी बात नहीं है ।

यह बात बहुत अच्छी नोटिस में लाई गई कि ग्राम्य मनोवृत्ति कार्यकर्त्ताओं में होनी चाहिये, यह बिल्कुल सही बात है, समितियां के हैड क्वार्टर्स जहा तक हों गांवों में हों । एक इस बात पर आपत्ति भी की गई, धौलपुर के बारे में कहा। यदि नगर में कोई ऑफिस रखते हैं तो नियम विरुद्ध नहीं है लेकिन मैं यह व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि गांवों में हो तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन नगरों में मज़बूरी में रखे जाते हैं यह नहीं कि नगरों के लिये कोई शौक हो । गांवों में भी ऐसी सुविधा पैदा करें, कर्मचारियों के रहने के लिये ऑफिस के लिये मकान आदि चाहिये यह मामूली बात नहीं है। उनके लिये सुविधाएं मकान आदि की चाहिये, डिटेल में कह कर वक्त नहीं लेना चाहता, जहां जहां पर सुविधाएं होंगी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैंने जहां के लिये सुझाव दिये थे वहां सब जगह मकान मौजूद हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खास खास जगह होगी तो देख लेंगे, मैं तो आम बात कहता हूं। सरकार इस पर ध्यान देगी, गांवों में लाना चाहिये तो लायेंगे ।

विकास कार्यों के लिये नगर योजना के अभाव के बारे में ध्यान दिलाया गया । मैंने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था और मुख्य मंत्रीजी ने भी जिक्र किया था । इसके लिये एक कमेटी बैठा दी गई है, अगले साल से कार्य शुरू करने वाले हैं । सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छा विचार रखा, उन्होंने उपयोगी सुझाव दिया है उस पर जरूर विचार किया जायेगा ।

अब कहीं कहीं यह दिक्कत जरूर आती है कि एक तहसील में दो खंड हैं, कहीं खंड है तो तहसील में गड़बड़ है, सीमा में गड़बड़ है। इस पर भी सोचा जा रहा है कि इसको किस प्रकार से हल किया जाय लेकिन तुरन्त इसे हल करने की स्थिति में नहीं हैं । लेकिन यह कठिनाई है और विचार करने लायक है ।

सत्ता का चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये, अलग अलग शब्दों में कहा गया, किसी ने कहा कांग्रेसवाले पार्टीबाज़ी करते हैं आदि। उनके शब्दों में मैं नहीं जाता लेकिन यह बात सही है कि चुनाव पर सत्ता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। मिनिस्टर वहां जावें या नहीं, आखिर मिनिस्टर भी वोटर है, एम० एल० ए० हैं। मिनिस्टर होने से उनका राइट खत्म नहीं हो जाता ....

श्री दलीपसिंह (बारां): जब पंचायतसमितियों से एम० एल० एज़० को हटाया गया है तो जिला परिषद् में मिनिस्टर क्यों दखल दें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो मूल बात है कि सत्ता का प्रभाव नहीं पड़े, यह ठीक

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

है कि मिनिस्टर जा सकते हैं लेकिन उनकी सत्ता का प्रभाव नहीं पड़े। मिनिस्टरों का वहां जाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े और हो सकता है कि घर बैठे भी प्रभाव पड़ जाय। इसलिये यह रोक कानूनी तौर पर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि हरएक नागरिक को सुविधाएं दी गई हैं तो इन सुविधाओं पर बंधन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह ठीक है कि सत्ता के साधन हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिये। यदि ऐसा उपयोग होता है तो ठीक नहीं है।

अलाउन्स की बात कही गई थी। मैंने यह निवेदन किया था कि प्रधान का अलाउन्स नियत किया गया है, जैसा कल भी कहा था, लेकिन अलाउन्स की बात विचार करने लायक है। चुने हुए जो पद हैं उन पर अलाउन्स रखना वाजिब है या नहीं, कहां तक वाजिब है, कैसा है, काफी सोचने की बात है। इस पर अभी कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता।

अच्छा, यह बात भी कही गई है कि एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं वे कई हैं। एक माननीय सदस्या ने तो यहां तक कहा कि सभी को उठा दिया जाय एक एक्स्टेन्शन ऑफिसर रहे। ऐसा मालूम होता है कि एक्सटेन्शन ऑफिसर का क्या काम है, इसके बारे में सही कल्पना नहीं है। एक्सटेन्शन ऑफिसर का काम केवल प्रचार करना नहीं होता है, मामूली मल्टी पर्पज़ व्यक्ति नहीं होता है, वह टैक्निकल आदमी होता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): उनका यह कहना नहीं था....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफिसर होता है, तो एग्रीकल्चर की जानकारी उसको होती है। यदि किसी दूसरे ऑफिसर को, बी० डी० ओ० को कहा जाय तो बी० डी० ओ० एक्सटेन्शन ऑफिसर का काम नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन का काम नहीं कर सकता, क्योंकि सभी टैक्निकल विषयों की जानकारी होनी चाहिए। हां, इसमें एक अंग प्रचार भी है, लेकिन सारे का सारा काम प्रचार का नहीं होता, सारा काम बी० डी० ओ० नहीं कर सकता, प्रधान नहीं कर सकता। इसलिये आज यह सोचना या तय करना कि इनमें से कुछ को हटा दिया जाय, मैं समझता हूं कि इससे वहां के काम में बाधा पहुंचेगी। और यह सारे भारतवर्ष में है, राजस्थान में ही हो, ऐसी बात नहीं। इसलिए अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वह ऑल इंडिया के स्तर पर हो सकती है। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि राजस्थान में तुरन्त निर्णय कर लें कि इनको खत्म कर दें। मैं इस बात को मान सकता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि फिजूल खर्ची न हो, मितव्ययता हो, इसके लिए कहीं अगर ज्यादा अधिकारी हैं तो कम कर दिये जायें। लेकिन जो टैक्निकल लोग हैं, जिनकी सलाह के बगैर काम करने में कठिनाई हो, जो रुपया लगाते हैं, वह रुपया जाया जा सकता है अगर उनकी सलाह न ली जाय तो नुकसान हो सकता है। अब कोई सड़क बनानी है, रपट बनानी है उसमें किसी टैक्निकल आदमी की सलाह न हो और बनने के बाद पता लगे कि इतना नुकसान हो गया है तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए जरूर है कि उनको वहां रखा जाय और उनकी सलाह ली जाय।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ग्राम्य मनोवृत्ति पैदा करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, यह कहा गया है। यह सही बात है लेकिन अधिकारियों के निर्वाचन में यह लाजमी शर्त आज की हालत में नहीं रखी जा सकती है जब तक कि गांव में रहने वाले सभी क्षेत्र में कार्य करने के लिए न मिलने लगें। आज चुनाव में यह बात रखी जाय तो इसका मतलब है कि शहर वालों का बहिष्कार किया जाय, लेकिन बहिष्कार करने की बात नहीं है, मैं शहर वालों को कहना चाहता हूं कि जो वहां काम करने जाते हैं उनमें ग्राम्य मनोवृत्ति बननी चाहिए यह मान कर वहां जाना चाहिए कि वहां ग्रामीण की तरह रहना है, अपने दिल में यह मनोवृत्ति पैदा करना जरूरी है।

अब कुछ अधिकारियों की व्यक्तिगत शिकायतों की झलकियां की गई। उनके बारे में मैं आज ऑफ हैंड नहीं बता सकता कि किसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन किसी मामले में तफसील से बताया जाय तो मैं कोशिश करूं कि इस बात को देखें कि कोई बात है या नहीं। जो वाजिब चीज है, जो ऐसी बातें हो सकती हैं उनके सम्बन्ध में कुछ किया जाय।

अब, सभापति महोदय, भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनमें जो खास बातें हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालना मैं उचित समझता हूं। माननीय बहादुरसिंहजी ने जो ब्लॉक की बात कही थी उसका उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि छाया खंड और विकास खंड की शुरूआत करने के लिए माननीय सदस्यों ने कहा उनका उत्तर मिल गया है इसलिए यह आवश्यक नहीं कि मैं उनको दोहराऊं....

श्री दलीपसिंह : चुनाव सिस्टम का शार्ट कट ...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो इसका मैंने समाधान कर दिया है।

एक माननीय सदस्य ने जयपुर के बारे में कहा था वे यहां हैं नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी शिकायत है और उन्होंने कुछ जिलों के नाम भी दिये थे, आंकड़े भी दिये थे कि जयपुर के कुछ घाटे में रह रहे हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वे इसलिए चले गये कि जयपुर का नाम बोला नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, वह मेरे ध्यान में है, जयपुर अपनी राजधानी है और जयपुर जिला एक अच्छा प्रगतिशील और विकासशील है....

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : तभी विकास खंड दे दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : नहीं दिया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बताना चाहता हूँ कि जो नियम है विकास खंड के चुनाव का वह है कि ४० हजार आबादी अगर पहाड़ी इलाके की हो तो वहां एक खंड खोला जाता है यह एक मापदंड रखा है, यह भारत सरकार का मापदंड है, अपना

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नहीं है और अगर वह खेती का इलाका हो, मैदान हो, प्लेन हो तो ६६ हजार, ६० हजार से लेकर ६६ हजार की आबादी पर एक ब्लॉक दिया जाता है। इस हिसाब से ब्लॉक होते हैं। अब १७ ब्लॉक जयपुर में खुले हुए हैं, उनका हिसाब लगाया जाय तो ६४ हजार की आबादी पर एक ब्लॉक है जब कि भारत सरकार ने मापदंड रखा है कि ६६ हजार की आबादी पर एक ब्लॉक होना चाहिये। आपके यहां पर ६४ हजार की आबादी पर एक ब्लॉक है। फिर भी शिकायत है कि कम दिये गये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी शिकायत नहीं है, आपकी शिकायत है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं नहीं कहता कि मुझे शिकायत है। मैं इसलिये कह रहा हूँ कि अगर यह जानकारी पहले करली गई होती तो माननीय सदस्य, सदस्यों को शिकायत करने का अवसर नहीं आता। केवल यह बात है।

अब श्रीमती गंगा बहिन का कटौती का प्रस्ताव था, वे एक खंड चाहती थीं। इस जवाब में उनका जवाब भी आ जाता है।

जयपुर की माननीय सदस्या ने कहा था कि ग्राम्य कलाओं के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा इस ओर पहले से ध्यान है और अभी जो कठपुतली का पुराना खेल है इसको पुनर्जीवित किया गया है, इसको नये रंग रूप में ढाला गया है। इससे विकास का काम लिया जा रहा है। इसका प्रमाण है कि लोक कला को विकसित करने के लिए जगह जगह सेमिनार खोले गये हैं। तो सरकार का ध्यान इस तरफ है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक सुझाव रख देना चाहता हूँ, माननीय सदस्य यदि कोशिश करें तो एक अच्छा सर्कस अच्छे राजस्थानियों के द्वारा....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सर्कस ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी। जो राजस्थानियों के ढंग से,

(हंसी)

राजस्थानियों के धन से, राजस्थानियों के साधन से, राजस्थानियों द्वारा मिल कर बनाया जाय। उस सर्कस में जितने पुराने खेल खेलने वाले नट हैं, बाजीगर हैं, नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, करतब दिखाने वाले हैं, जितनी कला की कद्र नहीं हो रही है, ह्रास हो रहा है, जितनी कला बिगड़ गई है, अब कहीं कहीं उनकी कद्र होने लगी है वे सब काम में लग सकते हैं। अब इसके विकास का जो मूल पोइन्ट है वह पंचायत और सरकार के बल बूते का नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपसे अच्छा रिंग मास्टर नहीं हो सकता।

(हंसी)

श्री चन्दलमल वैद (सरदारशहर) : मैं रिंग मास्टर तो नहीं बता सकता, लेकिन जोकर के लिए कहें तो बता सकता हूँ।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर सरकस केवल आदमियों का हो तो मैं रिंग मास्टरी कर सकता हूँ।

(हंसी)

माननीय सदस्य ने बताया था, उनको ख्याल नहीं रहा, जानकारी नहीं रही कि ब्लॉक में जो ऑफिसर काम करते हैं, बी० डी० ओ० और दूसरे ऑफिसर, उनके लिए वे समझ रहे थे कि वे स्वतंत्र हैं, उन पर पंचायत का कंट्रोल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बी० डी ओ० पर पूरा कंट्रोल है, प्रधान की इजाजत के बगैर उसका ट्रान्सफर नहीं हो सकता, उनको तनख्वाह वहां से मिलती है। जो एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं, वे डेपूटेशन पर माने गये हैं उनकी तनख्वाह भी ब्लॉक में लगती है सिर्फ बहाली और बर्खास्तीगी यानी नियुक्ति और हटाने का हक है वह पंचायत समिति को नहीं दिया गया है बाकी पूरा कंट्रोल पंचायत समिति का है। इस कारण यह समझने की जरूरत नहीं है कि पंचायत समितियां कमजोर हैं और उनका कंट्रोल नहीं हो सकता।

खादी के लिए उन्होंने कहा था कि खादी में काम होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि सामुदायिक विकास खंड में खादी का काम काफी तेजी से हुआ है। खादी और ग्राम उद्योग के मामले में जो नियम के अनुसार रुपया खर्च होना चाहिए वह हुआ ही है। इसके अलावा विकास खंड में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि ज्यादा रुपया खर्च हुआ है। इसलिए यह चिन्ता करने की जरूरत नहीं है कि वहां पैसा खर्च नहीं हुआ। हां, जहां छाया खण्ड, विकास खण्ड नहीं है उसकी चिन्ता करने की बात जरूर है पर जहां विकास खंड हैं वहां काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, विकास हो रहा है। खादी के कार्यकर्त्ताओं ने, सरकारी अधिकारियों ने, विकास खण्ड के कार्यकर्त्ताओं ने, सब ने मिल कर बातचीत की है और किस तरह से खादी ग्रामोद्योग के काम को बढ़ाया जाय, इस बारे में निर्णय भी हुआ है।

छाया खण्डों का प्रश्न छोड़ दिया था, वहां अब मैं आता हूं। अव्वल तो कहा था कि वहां तहसीलदार का रहना ठीक नहीं है। वह बात सरकार के ध्यान में आ गई है कि तहसीलदार वहां नहीं रहें और तहसीलदार की बजाय विकास अधिकारी दिया जाय। यह बात भी चल रही है कि विकास खण्डों को ओवरसियर दिये जायं ताकि वे विकास खण्ड, अपनी योजना का कार्य आसानी से कर सकें। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के दो पदों को ऊंट सवारों में परिवर्तित करने के लिये भी विचार किया गया है, महीने में ६ दिन जीप मिलने के भी आदेश दिये जा रहे हैं। छाया खण्डों में भी जो सुविधाएं नहीं हैं वे सुविधाएं देने के आदेश दिये जा रहे हैं।

जहां तक खर्चे का सवाल है वहां तक छाया खण्डों में कुल मिला कर आज ६० हज़ार रुपया एक विकास खण्ड पर विकास कार्यों के लिये खर्च हो रहा है जब कि विकास खण्डों में ७१ हज़ार रुपया एक विकास खण्ड पर खर्च हो रहा है। तो इस तरह केवल ११ हज़ार का फर्क है, तो ऐसी हालत में किसी छाया खण्ड को विकास

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

खण्ड बनाने में यदि साल भर की देर हो भी गई तो कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

टौंक के विकास खण्ड की बात माननीय सरदारसिंहजी साहब ने कही । टौंक जिले में सन् १९५९ में एक विकास खण्ड खोलने के लिये जिला समिति की सिफारिश मंगाई गई थी, वह निवाई में खोला गया और उनियारा में छाया खण्ड है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने जबाब नहीं मांगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, पर आप यह फरमायें कि जिला परिषद् की सिफारिश से लिया जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि टौंक जिले को ब्लॉक अलॉट हुआ है तो अभी मैंने लिस्ट पढ़ी मुझे याद नहीं टोंक जिले को अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, यदि टौंक जिले को अलॉटमेंट हुआ है तो आपकी जिला परिषद् की सिफ़ारिश से होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कोई बात नहीं : चाहे जिसको दें पर अपने जिले को दें ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक शिकायत नागोर की तरफ से आई कि ब्लॉक बनाने के बाद नतीजा यह हुआ कि उनकी स्कूल बिल्डिंग चली गई....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : नहीं, विकेन्द्रीकरण के बाद ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर स्कूल चला गया है तो नया स्कूल बनाया जायेगा । मद्द में रुपया है....

श्री मोतीलाल : नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार काफी रुपया है ।

श्री मोतीलाल : विकेन्द्रीकरण के पहले जनता की तरफ से प्राइमरी स्कूल बनाया गया था । वहां मिडिल स्कूल हाई स्कूल बन गया तो प्राइमरी स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं रही। पंचायत समिति के पास गये तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे जानकारी मिली है कि फंड्स हैं और आप मकान बना सकते हैं ।

भारत सेवक समाज का जिक्र किया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर राजस्थान सरकार का कन्ट्रोल है और न भारत सरकार का कन्ट्रोल है, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो डर, संदेह बताया गया है वह नहीं है ।

श्री मोतीलाल : भिन्न भिन्न संस्थाओं का नहीं रहना चाहिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्वतन्त्र रूप से काम करें या न करें, पर जितने पंचायत क्षेत्र के काम हैं सब पंचायत समितियों द्वारा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ही होते हैं, कोई संस्था स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकती ।

श्री मोतीलाल : हम यही चाहते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो यह तो होता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : ग्रामोद्योग ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी होगा । २५ हज़ार तक का काम भारत सेवक समाज के सुपुर्द निर्माण का कार्य किया गया थां वह भी पंचायत समितियों द्वारा होगा । वह भी करेगा तो इसके तत्वावधान में रहेगा भारत सेवक समाज केन्द्रीय सरकार से पैसा लेकर हमारे क्षेत्र में लगाता है तो इसमें नाराजगी की क्या बात है, इसमें बुराई की बात क्या हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : जनसंघ वाले नाराज होते है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : विकास के लिये कोई नाराज नहीं होता ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बताया गया था कि ग्रेड्स में डिस्पेरिटी है । तो इसका कारण यह है कि जो टेक्निकल अधिकारी हैं उनके लिये टेक्निकल योग्यताएं रखी गई हैं, खास पे रखी गई है, उनके लिये तो यह बात है, बाकी सबके ग्रेड्स बराबर हैं । कृषि प्रसार अधिकारी और पशु-पालन अधिकारी के ग्रेड़ अलग हैं बाकी सबके समान हैं । तो इसमें किसी तरह की डिस्पेरिटी हो, ऐसी बात नहीं है । विशेष कारणों से विशेष योग्यता वालों को विशेष ग्रेड दिया गया है ।

एक यह कहा गया कि १० करोड़ का खर्चा किया, उसका हिसाब नहीं भेजा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५२ से ५६ तक १० करोड़ के लगभग तैयार हुआ है और केन्द्रीय सरकार को मार्च तक का सारा हिसाब भेज दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): कौनसी साल में दिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछले मार्च तक का हिसाब भेज दिया गया है पिछले मार्च में ।

कई माननीय सदस्यों ने सामुदायिक योजना पर किये जाने वाले खर्चे के बारे में यह बताने की कोशिश की कि स्वीकृत धन राशि का ६०–७० पर्सेन्ट एस्टेब्लिशमेंट पर ही खर्च कर दिया जाता है । उन्होंने आंकड़े देकर यह साबित करने की कोशिश की कि सामुदायिक योजना के असली कामों पर २०–३० प्रतिशत ही खर्च होता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े पेश किये गये वे सही नहीं हैं । मेरे आंकड़ों के अनुसार कुल खर्चा मार्च, ५६ तक १० करोड़, ४० लाख रुपया सामुदायिक योजना में खर्च किया गया । उसमें से १,२८,००,००० रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हुआ, जिसमें से १ करोड़, ६८ लाख एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हुआ । यह कुल खर्चे का १६.२ प्रतिशत है । १६.२ आता है और सामुदायिक विकास पर ।

श्री सभापति : २१.६ है या १६.२ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १३.२ है।

३ म० प०

श्री मुरलीधर व्यास : यह बताने की कृपा करें कि पहले पुराने ब्लॉक कम थे और अब इन दो वर्षों में कितना पर्सेन्टेज बढ़ा है ? पहले का क्या है और इन दो वर्षों में बढ़ा है वह क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ब्लॉक्स बढ़ेंगे तो ऑफिसर तो बढ़ेंगे ही। ब्लॉक के पर्सेन्ट में ज्यादा फर्क नहीं आता। एस्टेब्लिशमेंट में पैसा बढ़ेगा। और जगह के मुकाबले में खर्च कम हुआ है। २१ पर्सेन्ट तक इसमें खर्चा किया जा सकता है। इसके बजाय हमारे यहां पर १६.२ पर्सेन्ट हुआ है, यह कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। इस अन्दाज़ को थोड़ा बहुत फर्क भी मान कर चलें तो ४० पर्सेन्ट तो नहीं हुआ है।

अब यह कहा गया कि कुशलगढ़ ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के काम का नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें (खर्च में) टी. ए. और डी. ए. भी आ जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सब आ जाता है।

कुशलगढ़ में २८३ नये पक्के कुंए बनाये गये।

३४१ नये कच्चे कुंए बनाये गये।

(अश्रव्य)

४६ हज़ार के करीब फलों के पेड़ लगाये और कई जगह मकान बनाये गये। वहां पर शिक्षा का कार्य भी अच्छा हो रहा है।

यह कहा गया कि वहां पर कोई अधिकारी देखने को नहीं जाते हैं। मैं यह कहूँगा कि बांसवाड़े के अधिकारी हैं वे वहां पर देखने के लिए जाते रहते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर, जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एक एक बार कम से कम वहां होकर आये हैं। इसलिये यह मानना कि विकास नहीं हो रहा है, मैं यह कहूंगा कि वहां कार्य तो हो रहा है मगर माननीय सदस्य जितना काम चाहते हैं उतना तेजी से नहीं होता हो, यह बात हो सकती है।

निर्माण कार्यों के बारे में यह कहा गया कि पंचायत समिति के विचारों और भावनाओं की कद्र की जानी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यह एक बात समझने की है कि टैक्निकल सलाह कोई देते हैं और उसमें पंचायत समिति उसकी राय को नहीं माने तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। टैक्निकल राय को अवश्य वजन देना चाहिए। दूसरी बात है इसमें सरकारी अधिकारियों को, पंचायत समिति या प्रधान के आदेशों को ज्यादा वजन दें, इस बात को मैं मानता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : तहसीलदार विकास अधिकारी न होने चाहिये, इसके लिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चुनावों की तरफ ध्यान दिलाया गया है और यह

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कहा गया है कि चुनावों का तरीका सरल बनाया जावे। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि इसके लिये कमेटी बनाई है। इसमें योग्यता का प्रश्न है। जहां तक योग्यता का प्रश्न है यह बड़ा व्यापक प्रश्न है इसलिये इस पर ध्यान दिया जावेगा और यह तो हो नहीं सकता कि इस पर आज ही निर्णय लिया जावे। इसके लिये कमेटी बनाई है और सरकार का ध्यान इस तरफ है। दो–तीन महीनों में वह कमेटी सिफारिश करेगी।

मैं समझता हूं कि मैंने मोटीमोटी बातों पर करीब करीब उत्तर दे दिया है....

एक माननीय सदस्य : चुनाव सिस्टम के लिये....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यह निवेदन कर दिया है। इसके लिये कमेटी बनाई गई है कि किस प्रकार से इसे सरल बनाया जावे। वह कमेटी दो–तीन महीनों में अपनी राय दे देगी।

श्री मूलचन्द डागा : डिस्पेरिटी का क्या कारण है?

हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने डिस्पेरिटी की लिस्ट रखी है। मैंने बताया कि दो अधिकारी हैं जो टैक्निकल अधिकारी हैं और टैक्निकल अधिकारियों को ज्यादा तनख्वाह मिलनी वाजिब है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु): सभापति महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा....

श्री सभापति : मैं देखता हूं कि काफी जानकारी दे दी गई है। जो कुछ कहा जाता है उसको ध्यान से सुना नहीं जाता है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि हाउस के डिकोरम को मानने में पूरा सहयोग दें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह चाहता हूं कि....

श्री सभापति : Order please! order!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें जो मोटी मोटी बातें थी जिनमें कुछ व्यक्तिगत भी थीं उन व्यक्तिगत बातों को छोड़ कर मैंने करीब करीब सभी बातों का अपनी ओर से समाधान कर दिया है और व्यक्तिगत जो शिकायत थी उसके लिये मैं आशा करता हूं कि आज वे मुझसे उसके उत्तर की उम्मीद नहीं करेंगे। इसके बाद मौका मिलेगा तो जानकारी बाद में मिल कर ले सकते हैं और जरूरी कार्यवाही करनी हो, कर सकेंगे। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : चुनावों के सिस्टम के लिये....

श्री सभापति : इसके लिये कहा जा चुका है कि कमेटी बैठा दी गई है।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): On a point of order Sir, अभी आपने कहा कि जानकारी बाद में ले सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि विकास खंडों के लिये समिति बनाई गई है वह ऑफिशियल्स की है या

Page No.82

(श्री पी० के० चौधरी)

नॉन ऑफिशियल्स की, अगर आपके पास इसकी सूचना हो तो बता दें ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बलभ नगर-सु) : मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ स्पष्टीकरण कराना है ।

श्री सभापति : जहां तक आपके स्पष्टीकरण का संबन्ध है आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण करा सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशनों को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ॰ बहादुरसिंह ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : मेरा कटमोशन तो कोटपुतली को छोड़ कर जयपुर जिले में सब जगह विकास खंड हैं । कोटपुतली को आप विकास खंड नहीं दे रहे हैं इसलिये वापिस नहीं लेता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखे हैं वे स्वीकृत किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्रीमती गंगादेवी डाटा ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि डॉ०चन्द्रकला ने जो चार कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

प्रस्ताव गिर गये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय वित्त मंत्री महोदय ने टौंक जिले मे एक विकास खंड खोलने की मंजूरी दे दी है और आइन्दा खोलने का आश्वासन दिला दिया है इसलिये मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदासिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वह सूचना आ गई हो तो बता दें।

(विराम)

मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री चन्दनमल वैद ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्री मोतीलाल

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मोतीलाल ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोतीलाल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हू।

(विराम)

श्री सभापति : श्री अनोपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, हालांकि वह गोलमाल है लेकिन चूंकि आश्वासन दिया है इसलिए मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री अनूपसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अनूपसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेनेकी आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा एक कटौती प्रस्ताव तो यह था कि सम्पूर्ण भू-राजस्व पंचायत समितियों को देना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है इसलिए मैं इसको वापिस नहीं लेना चाहता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(सदन द्वारा हां-नां के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : You want division ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is very important पंचायत समितियों को भू राजस्व दिया जाय, यह एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री सभापति : I think by rising the Hon'ble Members can...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने किसान इसके फेवर में आते हैं वह पता लग जावेगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी दूं कि भू-राजस्व

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

से भी अधिक आमदनी का पैदा उनको दिया जा रहा है। भू–राजस्व से तो वे घाटे में रहेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप घाटे में रहेंगे।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किये जायं ?

(सदन द्वारा 'हा–ना' के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोड़ दिया, साहब।

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता।

(विराम)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री शिवनाथसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवनाथसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : चेयरमैन महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : पंचायत समिति के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मोगजी भाई ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भीमसेन ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्री दलीपसिंह।

श्री दलीपसिंह (बारां) : मै अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दलीपसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दलीपसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्रीमती सुमित्रा देवी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती सुमित्रा देवी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३ खा-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्यपाल महोदय को किये जाने वाले व्यय के निमित्त १,५६,५१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल ध्वनि)

मांग संख्या १-भू राजस्व

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्यपाल महोदय को किये जाने वाले व्यय के निमित्त १,६५,१६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री भीमसेन।

[उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) प्रस्ताव करेंगे :—

(१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय [तहसील लूणकरणसर एवं बीकानेर के प्रत्येक गांव (खासतौर से कपूरीसर, मलसीसर, रिड़मलसर आदि) में चरागाह कायम करने पर बहस करने हेतु]

(२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति की ओर ध्यान आकर्षित करने पर बहस हेतु)

(३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया के काश्तकारों के हकों के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)

(४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (स्टेशन धीरेरा, मसलीसर, कुजटी त० लूणकरणसर व कालासर, रामसर, त० बीकानेर की आबादी भूमि के विकास पर बहस करने हेतु)

(५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा उपनिवेशन की कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने पर बहस हेतु)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) प्रस्ताव करेंगे :—

(६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (अवशेष धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण में विलम्ब किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)

(७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भू-राजस्व की बकाया की रकम को वसूल करने में विभागीय ढिलाई पर विचार करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) प्रस्ताव करेंगे:-

(१३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय

(श्री मूलचन्द डागा)

(अनावश्यक ऑफिसरों के पदों को कम करने पर बहस करने हेतु)

(१४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में घासमारी की दरों की वसूली में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

(१५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पटवारी लोगों की गिरदावरी सम्बन्धी अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)

(१६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (काश्त करने के लिए जमीन के अलॉटमेंट सम्बन्धी जो अनियमितताएं हैं उन पर बहस करने हेतु)

(१७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सरदार समंद पाली के बांध से जमीन को आबपाशी न होने पर भी नहरी लगान वसूल करने पर बहस हेतु)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) प्रस्ताव करेंगे:—

(१८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूतपूर्व धौलपुर राज्य का सैटलमेन्ट न होने पर बहस करने हेतु)

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) प्रस्ताव करेंगे :—

(१९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (लगान की दरों में अधिक अन्तर है, पर वाद-विवाद करने हेतु)

(२०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भू-राजस्व वसूल करने में कर्मचारियों द्वारा किसानों को तंग किये जाने पर वाद-विवाद करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) प्रस्ताव करेंगे :—

(२१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी जिले में किसानों से सुधार कर लेने पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (उनियारा तहसील के जागीरदार द्वारा बेदखल किये गये किसानों को उनसे जमीन दिलाने के विलम्ब पर प्रकाश डालने के लिए)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) प्रस्ताव करेंगे :—

(22) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to confer Khatedari rights on sub-tenants under Amended Section 19 of the Tenancy Act.)

(35) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-(To discuss the question of handing over to Panchayat Samitis the work of Land Revenue collection.)]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : There can be no point of order in vacuum. How can there be a point of order ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनिये ज़रा बैठकर तसल्ली से।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल १४५ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 'कट मोशन्स'। इस रूल के तहत मेरी आपत्ति है कि यह जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है इसके अनुसार यह कटौती का प्रस्ताव एडमिसिबल नहीं है। रूल १४५ के अन्तर्गत यह है:

"A motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following ways :—

(a) "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/-' representing disapproval of the policy underlying the demand. Such a motion shall be known as' Disapproval of Policy Cut. A member giving notice of such a motion shall indicate in precise terms the particulars of the policy which he proposes to discuss." So the cut motions moved by the Hon'ble. Member don't come under this clause. Then comes clause (b):—

"(b) 'that the amount of the demand be reduced by a specified amount' representing the economy that can be effected. Such specified amount may be either a lumpsum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. The motion shall be known as' Economy Cut'. The notice shall indicate briefly and precisely the particular matter on which discussion is sought to be raised and speeches shall be confined to the discussion as to how economy can be effected;"

My submission is that there is no economy which has been suggested in these cut motions. So the cut motions are not covered by this. Now remains the clause (c): —

" (c) 'that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- in order to ventilate a specific grievence which is within the sphere of the responsibility of the Government. Such a motion shall be known as 'Token Cut' and the discussion thereon shall be confined to the particular grievance specified in the motion."

The motion which the Hon'ble Member has moved is with regard to a particular grievance. So in that case the language of the cut motion should have been "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100" and not "by Rs. 1/-" as he has moved. It may be a technical error or an oversight, but the cut motions suffer from that defect and I would respectfully submit that this

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

is not in order and cannot be allowed. That is also the fate of other cut motions moved by Hon'ble Shri Bhim Sen.

केवल सर्कुलेशन हो गया, इस बिना पर एडमिसिबल नहीं हो सकता। इसकी एडमिसिबिलिटी को चैलेन्ज किया जा सकता है, चेयर को इस पर डिसीज़न देना होगा।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : माननीय सदस्य ने जो रूल १४५ का क्लॉज़ ए "that the demand be reduced to Rs. 1/–" representing the policy underlying the demand.........

यहां शब्द जो प्रयोग किया गया है वह स्पेसिफिकली शब्द प्रयोग किया गया है जो उचित नहीं है जहां तक डिमान्ड का सम्बन्ध है उसके आगे आदि शब्द है इसलिए पॉलिसी ऑफ दि गवर्नमेंट क्लॉज ए के अन्दर आती है। चूंकि इसमें 'आदि' शब्द है इसलिए स्पेसिफिकली नहीं माना जा सकता। यह कट मोशन पॉलिसी मेटर के सम्बन्ध में आया है।

जितने भी कट मोशन आते हैं उनकी एडमिसिबिलिटी का सवाल है उनके लिए सब कट मोशन्स स्पीकर महोदय के सामने जाते हैं और उस पर काफी विचार होकर हाउस के सामने जाते हैं। मैं इस कट मोशन को अलाउ करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कट मोशन्स हम मूव करते हैं और वे सर्कुलेट होजाते हैं, तो क्या यह माना जाय कि वे सब एडमिट कर लिए गये ?

श्री सभापति : पहला मेरा ऑब्ज़र्वेशन यह है कि उनके कट मोशन में 'आदि' शब्द है इसलिए स्पेसिफिकली किसी खास जगह के लिए कट मोशन नहीं है जनरल पॉलिसी के सम्बन्ध में कट मोशन है।

जहां तक कट मोशन्स की एडमिसिबिलिटी का सवाल है हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत जिस प्रकार का प्रोसीजर चला आ रहा है कि स्पीकर महोदय के सामने कट मोशन्स रखे जाते हैं, वहां विचार होता है उसके बाद मूव करने की आज्ञा मिलती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जो कट मोशन्स सर्कुलेट होकर हमारे पास आ जाते हैं उनकी एडमिसिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं किया जा सकता ?

श्री सभापति : चूंकि यह पहलू इसमें इन्वोल्व्ड नहीं है, मैं अपना ऑब्ज़र्वेशन रिज़र्व करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यानि स्पीकर महोदय के पास से आने के बाद इनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में आपत्ति रेज़ नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : रूल्स ऑफ प्रोसीज़र एन्ड कण्डक्ट ऑफ बिज़नेस से सम्बन्ध है मैंने अपना ऑब्ज़र्वेशन रिज़र्व कर लिया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : Sir, I want to say that Rule 147 is very clear.

Page No.91

श्री सभापति : Now there remains no question, since I have allowed the Hon'ble Member to move his cut motions. He will speak now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (ए) और (बी) में था।

(ए) में यूज़ हुआ है "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/-" the words "to Re. 1/-" have specifically been used and not the words "by Re. 1/-" whereas in the cut motions he has used the words "by Re. 1/-"

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक रुपये तक की कटौती का शब्द होता तो इसमें आ सकता था। सभापति महोदय, मेरा भी इसी तरह का एक कट मोशन था जिसमें एक रुपये की कटौती की बात लिखी थी और 'ए' के अनुसार होना चाहिए, एक रुपये तक की। मैंने उसमें 'तक' शब्द बढ़ाया तब यह एडमिट किया गया इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जहां प्रोवीजो ए एप्लाई करना चाहते हैं वहां "एक रुपये तक" के शब्द होने चाहिये। "एक रुपये की कटौती" का प्रस्ताव है इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : That I have already allowed and I have specifically given my observations. Now it cannot be discussed.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १ में मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं। सब से पहले मैं जो राजस्थान नहर के क्षेत्र के काश्तकारों के सम्बन्ध में है वह प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित १९५५ में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू किया गया। १५ अक्टूबर, १९५५ से हमने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू किया। राजस्थान के समस्त काश्तकारों को १५ अक्टूबर, १९५५ को जिसका जिस जमीन पर कब्जा था उसको उसके खातेदारी हक प्राप्त हो गये। उस कानून के मुताबिक हमारे बीकानेर जिले में भी खातेदारी हक प्राप्त हो गये। इसके बाद १९५७ में एक संशोधित कानून हमने पास किया कि राजस्थान नहरी क्षेत्र में जो काश्तकार हैं उनको धारा १५ के अन्तर्गत खातेदारी हक प्राप्त नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मुझे निवेदन करना है कि सन् ५५ और ५७ के बीच में जिन काश्तकारों की लैन्ड रेकॉर्ड्स में खातेदारी दर्ज कर दी गई उसके बाद उनको खातेदारी हकूकों से महरूम रखने की प्रेक्टिस अपनायी जा रही है जो कानून के मुताबिक सही नहीं है। सन् ५७ के बाद राजस्थान नहर का जो क्षेत्र घोषित किया गया उसके अन्दर खातेदारी हक न दें। ५५ से ५७ तक जिनको काश्तकारी हक मिल चुके थे उनको मान्यता देनी चाहिये थी लेकिन नहीं दी गई और उनसे ४ से ६ गुना तक लगान वसूल हो रहा है जो बिल्कुल अनुचित है। राजस्व मन्त्री कहेंगे कि बीकानेर स्टेट के समय में वहां के काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं थे। बीकानेर स्टेट टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक जो काश्तकार बीस साल से काबिज थे उनको उसके अनुसार खातेदारी काश्त-

(श्री भीमसेन)

कार मान लिया जाता है। संवत् २००० में जब वहां पैमाइश हुई थी वहां के हजारों काश्तकारों को खातेदारी में दर्ज किया था। शायद आप यह कह सकते हैं कि स्टेट के टाइम में काश्तकारों को खातेदारी हक प्राप्त नहीं थे इसलिये हमने किसानों के किसी हक को वापिस नहीं लिया है, यह कहना सही नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न सामने आता है १४ मई, १९५९ को हमारे बीकानेर जिले के काफी हिस्से को राजस्थान केनाल के लिफ्ट एरिया में घोषित किया गया। इन तहसीलों को लिफ्ट एरिया में लेने की वजह से कानून के मुताबिक यह असर हुआ कि वे काश्तकार जिनको १५ अक्टूबर, १९५५ से १३ मई, १९५९ तक राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज किये थे उनको कॉलोनी एरिया में डिक्लेअर करने से वे भी खातेदारी हकों से महरूम कर दिये गये। तो राजस्व मन्त्रीजी यह कहेंगे कि हमने ५७ में एक्ट को तरमीम करके राजस्थान कैनाल एरिया में काश्तकार के खातेदारी हक वापिस ले लिये थे और ५९ में नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक सरकार को हक है कि हम वे हक वापिस ले सकते हैं। मैं सूचना के तौर पर निवेदन कर दूं कि ४-९-५९ को मैंने इस बारे में सदन में प्रश्न भी पूछा था जिसके जबाब में यह कहा गया : मेरा प्रश्न यह था "क्या लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम राजस्थान कैनाल एरिया में बनाई जा रही है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितना खर्चा होगा और कितने वर्षों में लिफ्ट इर्रिगेशन से एरिया को पानी मिल सकेगा ?" इसके जबाब में साफ उत्तर मिला कि "राजस्थान कैनाल एरिया की लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम नहीं बनी है।" फिर यह समझ में नहीं आया कि हमारे बीकानेर जिले के अधिकांश एरिया को जो कॉलोनी एरिया डिक्लेअर कर दिया गया वह किस कारण से किया ?

मैं निवेदन करना चाहता था कि १५ अक्टूबर, ५५ से १३ मई ५९ तक जो काश्तकार अपनी जमीन पर काबिज थे उनको खातेदार मान लिया जाय। पर इस नोटिफिकेशन से वे हक वापिस लिये जा रहे हैं।

अब प्रश्न यह आता है कि जो काश्तकार १५ अक्टूबर, ५५ से ५९ तक खातेदार रहे उनको अब ट्रैस पासर्स कैसे डिक्लेअर कर दिया गया जिस जमीन पर उनका जायज़ कब्जा था ? यह माना जा सकता है कि उनके खातेदारी अधिकार न हों। यह कानून के अनुसार कॉलोनी एरिया डिक्लेअर करने पर आप अधिक से अधिक कर सकते हैं कि उन्हें खातेदारी हक न दें पर मेरा यह निवेदन है कि उनको कम से कम आप गैर खातेदार तो मानें और इस मकसद से गैर खातेदार मानें कि उनको अपनी जमीन के नवीनीकरण के लिये दुबारा दरख्वास्त देने की आवश्यकता न हो, नहीं तो इसके लिये उनको काफी हैरानी होगी यहां से वहां आने जाने में। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सन् ५९ तक १५ अक्टूबर, ५५ से लेकर जो काश्तकार जिस जमीन पर काबिज़ थे उनको कम से कम और खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। इससे यह समस्या दूर हो जावेगी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता था

(श्री भीमसेन)

कि जब आपकी लिफ्ट इर्रिगेशन को स्कीम नहीं बनी तो यह अलॉटमेन्ट आफ लैंड की पॉलिसी बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। इस बारे में वहां के काश्तकारों ने राजस्व मन्त्री के सामने अपनी दिक्कतें भी रूबरू जब वे उधर पधारे तो पेश भी कीं। वे सभाओं और प्रस्तावों द्वारा अपनी इस मांग को राजस्व मन्त्रीजी के सामने पेश भी कर चुके और राजस्व मन्त्री महोदय ने भी बहुत आश्वासन दिये थे कि हम इस पॉलिसी के बारे में विचार कर रहे हैं। इस लिफ्ट इर्रिगेशन में टेम्पोरेरी जो जमीन अलॉट की जाती है उस पर एक रुपया प्रति बीघा मालिकाना अधिक लेना सरकार ने तय किया था। तो इस बारे में प्रतिनिधित्व किया और उस पर राजस्व मन्त्री महोदय ने यह निर्णय कर लिया कि जब तक यह स्कीम चालू न हो जावे और सिंचाई पानी लोगों को न मिल जावे तब तक यह १) रु० प्रति बीघा वसूल न किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I think this is not within the cut motion moved by the Hon'ble Member. This 'Malkana' and all these charges, they are outside the scope of his cut motion. This is not a 'Haq'. 'Malkana' is not a 'haq'. It is a levy charged by the State.

श्री सभापति : आप विषय पर बोलिये।

श्री भीमसेन : सेक्शन १५ में खातेदारी राइट्स हो गये हैं उनके बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : But this is not a right. As a matter of fact this is a liability. Similarly, the rules of allotment are not within the scope of the cut motion.

श्री सभापति : What the Hon'ble Minister wants to emphasise is that you may please differentiate between the rights and liabilities. You can speak on rights.

श्री भीमसेन : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा ३४ के मुताबिक यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी काश्तकार से लैंड रेवेन्यू (लगान) के अलावा और कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता। तो इसके अनुसार १) रुपया प्रति बीघा लेना गलत था और व्यावहारिक नहीं था। इस बिना पर राजस्व मन्त्रीजी ने हमारी की गई शिकायत को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उस ऑर्डर को वापिस ले लिया यह खुशी की बात है।

पर माननीय सभापति महोदय, जो वहां नीति अपनाई जा रही है अलॉटमेंट के संबंध में, वह वाज़िब नहीं है और उसके लिये मेरा कहना है। हम चाहते हैं कि जिस काश्तकार के पास में ६० एकड़ से कम जमीन है उसको भी जमीन उतनी तक लेने का हक मिले क्योंकि वहां २० लाख बीघा ऐसी जमीन है जो बेकार पड़ी है। ऐसा करने से सरकार को आमदनी होगी। सरकार इस पर गौर करे।

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि तीन साल के लिये ५० बीघा जमीन दी जाती है उसके बजाय चार साल के लिये २००

Page No.94

(श्री भीमसेन)

बीघा जमीन दी जावे तो सुविधा मिलेगी। इस तरह से राजस्थान नहरी क्षेत्र में जो इस समय अलॉटमेंट को लेकर और खाते-दारी अधिकारों की बात को लेकर संघर्ष चल रहा है या जो असन्तोष की स्थिति है उसको मैंने अपने इस कट मोशन के द्वारा व्यक्त किया है।

मेरा यह दूसरा कटौती का प्रस्ताव राजस्थान लैंड कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति की ओर ध्यान दिलाने के सम्बन्ध में है। सभापति महोदय, यह रिपोर्ट दिसम्बर, ५९ में विधान सभा में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में काश्तकारों के कई हकों के बारे में और काश्तकारों के लिये काफी सिफारिशें की गई हैं। खास तौर से प्रत्येक गांव में एक चरागाह होना चाहिये क्योंकि उस इलाके में और खास तौर से रेगिस्तानी इलाके में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशु पालन है।

आबादी की भूमि के बारे में भी सिफारिश की है।

टिनेन्सी एक्ट के तहत मिनरल राइट्स हैं या जो उनके रेज़ीडेन्शियल लैंड्स के राइट्स हैं उनके बारे में भी सिफारिशें हैं कि उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरफ मेरा ध्यान दिलाने का इरादा है।

इसके साथ जो बड़ी सिफारिश की है वह यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से लैंड रिफार्म्स सम्बन्धी काफी कानून लागू किये गये हैं पर उन कानूनों की पूरी जानकारी काश्तकारों को नहीं मिली और न उसका पूरा लाभ मिला।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में चार साल के दौरान में १३ बार संशोधन किये हैं। तो काश्तकारों को एक ओर तो बराबर हक दिये जा रहे हैं पर दूसरी तरफ काश्तकारों को उनका पूरा लाभ नहीं उठाने दिया जा रहा है। इसके बारे में सरकार को पूरी तौर से छानबीन करनी चाहिये और काश्तकारों को जो हक दिये जावें या दिये गये हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी मिल पावे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी तरह से सीलिंग के बारे में सिफारिश की गई है जिसके लिये कानून बन चुका है। इसी तरह कई सिफारिशें हैं जो क्रियान्वित नहीं की गई हैं उनको क्रियान्वित करने के लिये मैंने सरकार का ध्यान इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा दिलाने की कोशिश की है।

तीसरा प्रस्ताव था भाखरा उपनिवेशन की कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने हेतु। माननीय सभापति महोदय, भाखरा कॉलोनाइजेशन के लिए हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से कई बार अलॉटमेन्ट के रूल्स बनाये गये। सबसे पहले २५ बीघा एक भूमिहीन काश्तकार के परिवार को देने के लिए सरकार ने तय किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एप्लीकेशन्स बहुत ज्यादा आ रही हैं तो सरकार ने बिना जांच किये कि २५ बीघा जमीन जो एक भूमिहीन काश्तकार के परिवार के लिए दे रहे हैं उससे एक काश्तकार अपनी आजीविका पूरी तरह से पालन कर सकता है या नहीं इस बात को बिना सोचे उन्होंने २५ बीघा के बजाय यह

(श्री भीमसेन)

तय कर दिया कि भूमिहीन काश्तकार के परिवार को सिर्फ १५ बीघा जमीन देंगे। माननीय सभापति महोदय, १५ बीघा जमीन से क्या एक काश्तकार का परिवार आसानी से अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है ? यह सोचने की बात है और वहां हालत यह हो रही है कि इस पॉलिसी से कि वहां के जो भूमिहीन काश्तकार जो कि खास कर हरिजन थे वह भूमि दूसरों को सबलैट करके मजदूरी पर चले गए। तो सरकार की जो नीति भूमिहीनों को जमीन देकर उनको आबाद करने की थी उस नीति में सरकार को पूरी तरह से सफलता इसलिए नहीं मिली कि जो १५ बीघा जमीन दी जा रही है वह इतनी नहीं है कि इकोनोमिकली एक परिवार अपनी आजीविका पालन कर सके और इसके साथ ही साथ सरकार की यह नीति थी कि भूमिहीन काश्तकारों को आबाद करें। तो माननीय सभापति महोदय, इसमें राजस्थान सरकार ने एक मुरब्बा की कीमत उस एरिया में १० हजार से १२॥ हजार कायम की और इसके ऊपर ही यह जमीन का अलॉटमेन्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अलॉटमेन्ट करने से पहले १,००० रुपया पहली किश्त का देना पड़ता है। तो जो भूमिहीन काश्तकार होता है वह १,००० कहां से लायेगा ? तो इसको रखने की मन्शा कटौती प्रस्ताव की यह थी कि असली मायने में आप भूमिहीन को आबाद करना चाहते हैं तो आप दो, तीन वष तक काश्तकार से किसी भी प्रीमियम के तौर पर कोई अमाउन्ट न लें क्योंकि वह दो तीन साल में उस जमीन पर काश्त करके अपनी हालत को अच्छी बनायें और फिर उनसे पैसे लिये जायें तो काश्तकार आबाद हो सकेंगे वर्ना वह जमीन लेने के लिए दूसरों से उधार लेते हैं और इस तरह से जो जमीन उसको मिली है वह उसको दूसरों को दूसरे तरीकों से गिरवी रखनी पड़ती है या फिर उसको ऐसे टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं जिससे जमीन की आमदनी उसको न मिल कर उस आदमी को मिले जिससे उसने पैसे उधार लिए हैं। इसलिए जो नीति सरकार की भूमिहीन को आबाद करने की है उसका इन कठिनाइयों के कारण पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। इसलिए इन कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इसके साथ ही साथ मेरे दो प्रस्ताव और हैं। एक तो चरागाह कायम करने के बारे में और दूसरा आबादी भूमि के विकास के बारे में।....

श्री सभापति : You please conclude the debate within three-minutes. You have already spoken for 15 minutes.

श्री भीमसेन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चरागाह और आबादी भूमि के विकास के बारे में सरकार के कानून बने हुए हैं। एक तरफ तो पंचायतों को भी अधिकार दिये हैं चरागाहों के बारे में कि उनको सीमित करें, उनको मेन्टेन करें और उनको डेवलप करें लेकिन जहां पंचायतें सरकार से मांग करती हैं या अधिकारियों से मांग करती हैं कि फलां गांव में चरागाह कायम होना चाहिए उस पर राजस्थान के अधिकारी पूरी तरह से गौर नहीं करते। तो इस तरह से कानून की अव-

(श्री भीमसेन)

हेलना होती है और काश्तकारों को परेशानी होती है। इसी तरह से आबादी भूमि के संबंध में दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसलिए दोनों प्रस्तावों द्वारा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने नियम बना रखे हैं पूरी तरह से उनका पालन नहीं होता। इसलिए आपको इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए और मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी डेट निश्चित कर दें ताकि उस तारीख तक सारे इलाके में आबादी भूमि की जो मांग है वह पूरी हो जाये और जो चरागाहों की मांग है वह पूरी हो जाये, उस निश्चित तारीख तक। अगर यह होगा तब ही मैं समझूंगा कि आपने पूरे कदम उठाये हैं। इन शब्दों के साथ मैंने ये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करूं मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा कि जो कटौती के प्रस्ताव आगे आने वाले हैं दूसरे माननीय सदस्यों के उनके समर्थन में मैं अभी बोलूं या वह सदन के सामने आ जाये, उसके बाद में उनके समर्थन में बोलने के लिए समय दिया जायेगा ?

श्री सभापति : इसके संबंध में जितने भी प्रस्ताव हैं सब पर बोल दिया जाये, यह व्यवस्था पहले से ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी के जितने भी प्रस्ताव कटौती के हैं बिना फॉर्मली मूव किए हुए मूव्ड समझे जायेंगे ?

श्री सभापति : आप सब प्रस्तावों पर एक साथ बोल दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं, उन पर तो मैं बोलूंगा ही पर और बाकी जो कटौती के प्रस्ताव दूसरे माननीय सदस्यों के आगे आने वाले हैं उनके ऊपर बोलने का समय कब दिया जायेगा ?

श्री सभापति : इसकी स्टेज़ तो अभी नहीं है। अगर आप समर्थन के लिए बोलना चाहते हैं तो आपको रूल्स के मुताबिक मौका मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाद में समय दिया जायेगा ?

श्री सभापति : जी हां। किसी कटमोशन का अगर आप समर्थन करना चाहते हैं जो कि किसी दूसरे मेम्बर का होगा, अब क्योंकि आप एक मर्तबा बोल चुके हैं और जब समर्थन का मौका आयेगा तो उस समय समर्थन कर सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, one member cannot be allowed to speak twice either on the same grant or on the same motion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There has been a ruling from the Chair, and you cannot challenge it.

Page No.97

श्री सभापति : (श्री पी. के. चौधरी से) Under what rules ?

श्री पी० के० चौधरी : It is the convention here, Sir, that one member is not allowed to speak twice on the same grant.

श्री सभापति : I want the specific rule.

श्री पी० के० चौधरी : The rule I will have to consult, but this is the tradition in this House.

श्री सभापति : You please consult the rule and satisfy me and then I will re-consider the matter.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : There is one more point. The Hon'ble speaker has fixed five minutes for every cut motion. So you will observe the same time limit in relation to the members who speak in support of some cutmotion or they will be given as much time as they like ?

श्री पी. के. चौधरी : The Speaker only requested the members that they try to finish their speeches within five minutes, but he has allowed longer time. He has not given any ruling. He has simply said that members may try to do it within five minutes.

श्री सभापति : The Speaker has just given an indication that the Hon'ble Members shall conclude their debates within five minutes; so the Hon'ble Members must take it that the time limit has been fixed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; So on a point of indication, there cannot be any point of order.

श्री सभापति : Yes, please carry on.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि राजस्थान में जो रिलीजियस ग्रान्ट्स हैं वैसे तो राजस्व मन्त्री महोदय ने समाचारपत्रों में कई बार लेख लिख कर और भाषण देकर इस बात का प्रचार किया है कि राजस्थान में बिचौलिये बिल्कुल समाप्त कर दिये गये हैं। जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी, खेवटदारी सब खत्म हो गई हैं लेकिन मैं इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान में अभी भी बहुत सी ऐसी और रिलीजियस ग्रान्ट्स हैं जिनको रिज्यम नहीं किया गया है और सरकार या तो निश्चित रूप से इस बात की घोषणा कर दे कि रिलोजियस ग्रान्ट्स को रिज्यूम करने वाली नहीं है, क्योंकि वे छोटी डिनामर्निशन्स के सम्बन्ध में हैं और यदि रिलीजियस ग्रान्टस को रिज्यूम कराने का कोई सवाल नहीं है तो यह ऐलान कर दें कि रिलीजियस ग्रान्ट्स को रिज्यूम नहीं किया जाता है और रिज़म्पशन का चेपटर है उसको हमेशा के लिए हर दृष्टि से क्यों नहीं बन्द कर दिया जाय ? इसलिये कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि रिलीजियस ग्रान्ट्स को रिज्यूम नहीं किया गया उसके क्या कारण थे, और उनको कब तक रिज्यूम कर लिया जायेगा ? एक बात ।

दूसरे कटौती के प्रस्ताव के द्वारा, सभापति महोदय, मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा की है कि लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं, हमारे यहां कलेक्टोरेट हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट है और उसके नीचे के पटवारियान हैं, एस. डी. ओ., गिरदावर या तहसीलदार है, यह सारी व्यवस्था इस लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है और इन सब के जवाब में मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या कारण है कि इस विभाग में....

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): On a point of order, Sir, about the rule which you asked, it is Rule 277 (2).

श्री सभापति ; Yes let him complete his debate and then you may please refer to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ६,७४ ८ ११, ८७३) रू० का लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बकाया है । यह कोई अच्छी बात नहीं है । मै राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उसको शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध मे कदम उठाना चाहिए । गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतना बकाया है वहां वे कह सकते हैं कि विभाग की आमदनी ज्यादा है और खर्चा इतना कम है। रेवेन्यू में एड करते हैं वहां इतनी बड़ी रकम कोई ज्यादा बकाया नहीं है । मैं इस संबंध में जानकारी चाहूंगा कि यह सारा बकाया किस किस प्रकार का है और कब तक इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? वह क्यों नहीं वसूल किया गया है ? कब तक वसूल हो जायेगा ? इतना बड़ा बकाया है, साढ़े नौ करोड के लगभग वह होता है । माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि वह बड़े खेद की बात है कि यह बकाया वसूल हमारा विभाग नहीं कर पाया है । मैं राजस्व मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में प्रकाश डलवाना चाहूंगा । इसी विचार से मैंने दो कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किये है ।

श्री सभापति : Shri Lachhu Ram Yes, Mr. Chaudhary.

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): The motion is by the Hon'ble Minister that this grant be passed and as such on this motion a member can speak only once. Under Rule 277 (2), which reads, "(2) except in the exercise of a right of reply or as therwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker." So nobody can speak twice on the same motion. The motion before the House is for passing the grant as moved by the Hon'ble Minister.

श्री सभापति : Mr Satish Chandra.

(श्री सभापति)

do you want to say any thing about it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : No, Sir, I want your ruling.

श्री सभापति : No, that can be re considered. The ruling was given only for the adjustment of the House. It can be reconsidered if rules are brought to my notice. So if you want to say anything in the matter, you may.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I want your ruling only.

श्री पी०के० चौधरी : He has no reply, Sir. and as such, my contention should be taken as correct.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is no question of reply. The Chair has given a ruling and until and unless something contrary to it comes in the House, I will not say anything.

श्री सभापति : मैंने पहले जो इस संबंध में व्यवस्था दी थी कि कोई भी अन्य ऑनरेबल मेम्बर किसी कट मोशन पर बोलें उसके समर्थन में या उसके विरोध में तो कोई भी ऑनरेबल मेम्बर बोल सकते थे। यह तो जनरल बात थी कि उसमें बोला जा सकता है लेकिन रूल २७७ के सब रूल (२) में यह स्पष्ट दर्ज है कि एक मेम्बर एक दफा बोल चुके हैं तो दुबारा स्पीकर की पर्मीशन के बगैर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इन तमाम सर्कम्स्टान्सेज़ को देख कर जो ऑनरेबल मेम्बर बोल चुके हैं उनके लिए यदि स्पीकर मुनासिब समझते हैं किसी के समर्थन में बुलवाना या पसन्द नहीं करें तो स्पीकर पर्मीशन दे सकते हैं। यह इस संबंध में मेरा रूलिंग है।

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैंने ४ कटौती प्रस्ताव मूव किये हैं। मैं इनमें से मेरे कटौती प्रस्ताव जो नंबर ३ का है उस पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो पहले के ४ कटौती प्रस्ताव हैं उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

(राजस्व मंत्री के बाहर चले जाने पर)

लेकिन एक बात और आश्चर्य की है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब चले गये। लेकिन मेरी बात किसी तरह से उन तक पहुंच जाएगी और मैं चाहता हूं कि वे इस बात पर गौर फरमायें।

राजस्थान के अन्दर भूमि संबंधी काफी कानून बन चुके हैं और जो भूमि संबंधी कानून बने हैं उनसे कास्तकारों को राहत पहुंची है। लेकिन अभी तक विलेज का जो प्लानिंग होना चाहिए, एक गांव की जो समस्या है वह हल नहीं हो सकी है। हमारे कुछ हिस्से के गांव हैं जिन पर राजस्थान इस बात का गर्व करता है कि हमारे

(श्री मूलचन्द डागा)

पशुधन की हम तरक्की करना चाहते हैं, और इस बात पर मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, और कई बार जब कि मंत्री मंडल ने दौरा किया उस समय भी कह चुका हूं, लेकिन अभी तक उसका संतोष-जनक उत्तर नहीं मिला है। आप पशुधन की संख्या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप विलेज के अन्दर घासमारी यानी चराने का प्रबन्ध करना चाहते हैं या नहीं ? इसका मुझे उत्तर दिया जाय। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको ऐसा बुचड़खाना खोल देना चाहिये जहां कि सारे पशुओं को खत्म कर देना चाहिए। एक बार तो यह निर्णय हो जायगा कि राजस्थान में पशु हैं ही नहीं। दूसरी ओर आप यह नहीं कहें कि राजस्थान में ऊन का व्यापार होता है। यहां से ऊन एक्सपोर्ट होती है। उस पर हम गर्व करते हैं कि हमारे यहां पर शीप का बहुत बड़ा काम चलता है और ऊन बाहर भेजते हैं और जगह २ यह एलान करते हैं कि राजस्थान में अच्छी अच्छी भेड़े पाली जाती हैं। यहां पर शीप ब्रीडिंग होता है। आपने उन लोगों के लिए चराई का क्या प्रबन्ध किया है ? क्या आप उनके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं ? अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक बात कह दीजिये कि नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे कह दें कि तुम्हारे लिए राजस्थान में स्थान नहीं है। यह बात सोचिये कि आज भेड़ पालने वाले के लिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत कोई धारा नहीं है कि उनके लिए कोई जमीन मुकर्रर की जायगी। उनके लिए कोई जमीन नहीं है। आपने गायों के लिए जमीन रखी है, आपने और जानवरों के लिए भूमि रखी है, लेकिन आपने उनके गोचर के लिए, उनके लिए चराई की कोई ज़मीन नहीं रखी। नहीं रखने पर भी अनऑक्युपाइड जो लैण्ड है, जिसको आप कहते हैं कि ऑक्युपाइड नहीं है उसको आपने नीलाम करने की कोशिश की है। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट नीलाम करता है, पटवारी नीलाम करके पैसा वसूल करता है और घासमारी का जो कानून बनाना है वह अभी तक नहीं बना है ताकि चराई की दरें मुकर्रर हों ; मेरे अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या प्रजातन्त्र में जो लोग बोल सकते हैं, जिनका बहुमत है, जिन लोगों का कुछ दबदबा है उन्हीं के लिए कानून बनते हैं, लेकिन उन भेड़ पालने वालों के लिये जिनकी बहुत बड़ी वकालत की जाती है, उसका उत्तर आज तक इस रूप में नहीं मिल सका है। अतः आप घासमारी की दरों के बारे में अपना निर्णय दें, एक बात।

मैं आपको अर्ज करूं कि पाली जिले की बात है कि वहां जगह जगह जो भेड़ पालने वाले हैं उनसे जागीरदारों के जमाने में घास चराई ली जाती थी। कई जागीरदार उनसे चराई के रूप में भेड़ ले लेते थे, कभी कोई बकरा पकड़ लेता था या और कुछ ले लेता था, लेकिन उसके बाद में जब से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ १९५५ से उसके बाद यह लागू किया कि कोई भेड़ चराने वाला उनकी ज़मीन पर नहीं जा सकता है। वह नहीं जायगा लेकिन उसके बाद उसको आप जमीन नहीं देते हैं, अनऑक्युपाइड लैण्ड को नीलाम करते हैं, उसके बाद में उन लोगों से उस जमीन की किस आधार पर आप घासमारी वसूल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं बाकायदा

(श्री मूलचन्द डागा)

उन गांवों की संख्या दे सकता हूं जहां इस तरह से लोगों के पास चराने की जमीन नहीं है, लेकिन आप घासमारी वसूल कर रहे हैं, और यही नहीं ३, ४ साल की रिकवरी उनसे करना चाहते हैं। वह भी किस आधार पर, उस आधार पर जो कि जागीरदार वसूल किया करता था। वे लोग परेशान हैं। जागीरदार क्या वसूल करता था इसका कोई उत्तर नहीं है। जागीरदार के पास आंकड़े नहीं हैं और चराने वाले के पास रसीद है। आपका कोई पर्सेन्टेज नही है। न आप सवा छः पर्सेन्ट लेते हैं। एक एरिया में, एक क्षेत्र में ६ गांव हैं तो एक जगह १।) रु वसूल किया जायगा, दूसरी जगह ४) रु० वसूल किया जायगा, तीसरी जगह ३ रु० ६ आ० वसूल किया जायगा और चौथी जगह ५) रु० वसूल किया जायगा। तीन तीन चार चार साल का।

(४ म० प०)

उत्तर क्या है ? आप उनसे कहिये कि हम ६।) रु. लेना चाहते हैं, एक तहसील में जमीन लेना चाहते है, जमीन न छोड़ कर नीलाम करने की बात करते हैं और साथ ही चराने की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ? क्योंकि उनकी परवाह करनेवाला कोई नहीं है। भेड़ पालते हैं, शीपब्रिडिंग भी कोई नहीं करता है। आपका डिपार्टमेन्ट क्या सुविधा उन भेड़ चरानेवालों को देना चाहते हैं ? आप कह दीजिये कुछ हिस्सा जमीन का रखना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं घासमारी के बारे में गवर्नमेन्ट को निर्णय लेना चाहिये और डेफिनिट कदम उठाना चाहिये। तीन-तीन, चार–चार साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कहा हम घासमारी बंद करना चाहते हैं, स्टे ऑर्डर निकाल दिया और वापिस ऑर्डर किया कि जब से बंद किया तभी से वसूल कर लिया जाय। आपके दिमाग में भी होगा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब। आप इसका किस रूप में हल निकालना चाहते हैं।

अब मैं अपने दूसरे कट मोशन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में जो जमीन का सवाल हैं, लगान वसूल करने का तरीका है, मैंने बतलाया मारवाड़ या भूतपूर्व जोधपुर स्टेट में सरदारसमन्द बांध पाली तहसील में है, उसका पानी अक्सर पहले हिज़ हाईनेस के फार्म को दिया जाता है और उस फार्म में कोई ज्यादा लोग काश्त नहीं करते हैं और वर्षों तक जमीन पड़ी रहती है।

सभापति महोदय, या तो मंत्री महोदय पहले बातें ही कर लें, हम कट मोशन्स कल मूव कर लेंगे या हम जो कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनें। दोनों बाते एक साथ नहीं चल सकतीं। मैं यह कह रहा था कि सरदारसमन्द में काबूत करनेवाले....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं यह पूछ रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं ? क्या आप सभापति महोदय से कुछ पूछना चाहते हैं ....

श्री मूलचन्द डागा : यह उत्तर नहीं है। अपनी गलती को छिपाने का सवाल है। आपने बात कही उस पर मुझे दुःख होता है। कटौती प्रस्तव या तो आप सुनें या हम बंद कर दें ....

Page No.102

श्री सभापति (श्री अबिद्अली) : I am sure that hon'ble Members will observe silence and you will please consolidate the debate. Now you come to the point.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) मैं कहना यह चाहता था कि जोधपुर स्टेट में जब पानी दिया जाता था तब २ आने वसूल किये जाते थे नाम मात्र के लिये, लेकिन जब बर्षों तक पानी नहीं मिला काश्तकारों ने वहां पर एक दाना अन्न नहीं उपजाया और आप फिर भी लगान वसूल करना चाहते हैं....

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : फिर वही।

श्री सभापति : No interruptions please. Let him speak.

श्री मूलचन्द डागा : यह बात बड़ी जरूरी है। उन काश्तकारों से आप पूरा लगान वसूल करना चाहते हैं। हम जब कहते है कि पानी बांध में नहीं है, नहर से पहले फार्म पीता है उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं और आप वसूल करना चाहते हैं लगान। जब लिखा-पढ़ी करते हैं तो कुछ दिन तक सेक्रेटेरियट लेवल पर कागज चलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप निर्णय दीजिये। जिनको पानी नहीं देते उनको रेमिशन देना चाहिये और यदि पूरा वसूल करना चाहते हैं तो किस आधार पर ? हेमावास का जो बांध है उसका पानी नहर से नहीं मिलता है....

श्री दामोदरलाल व्यास: कौन से बांध की बात करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : हेमावास बांध से नहर बनाई है, उसमें पानी नहीं दिया जाता है। आप क्या करते हैं कि बारानी जमीन ज्यादा बोते हैं उस एरिया से पानी....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): This concerns more with irrigation than land revenue. It is not the subject matter of this cutmotion atleast. हेमावास का कट मोशन नहीं है। हेमावास वाले किसको पानी देते हैं, यह सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस मोशन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा तीसरा कट मोशन लैंड अलॉटमेंट के बारे में है। अभी नया कानून बनने के बाद भूमिहीन लोगों को तहसील में पटवारी से भूमि अलॉटमेंट के लिये पर्मीशन लेनी पड़ती है। अब गांवों में इसका प्रोसीज़र क्या है, अब तक पंचायत समितियां बनने के बाद भी वे कहते हैं कि जमीन काश्तकारों को या भूमिहीनों को देना चाहते हैं तो कुछ सालों के लिये, ५ या १० के लिये देना चाहिये, पर होता क्या है कि हर वर्ष पटवारी के पास जाना पड़ता है, उनसे रिपोर्ट लेते हैं, फिर अलॉटमेंट करते हैं। आप एक वर्ष के लिये भूमि देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है....

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to inform that there is no such rule. It is a permanent allotment not a temporary one. एक साल के लिये अलॉट न होकर भूमि पर्मानेन्टली अलॉट होती है, नॉन प्रोजेक्ट एरिया में कोई टेम्प्रेरी अलॉटमेंट नहीं है। १० साल में राइट एक्र्यू न हो, यह दूसरी बात है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली तहसील नॉन प्रोजेक्ट एरिया है। वहां आज से पिछले

(श्री मूलचन्द डागा)

चार साल तक का नक्शा मंगाकर देख लें, जांच कर लें। वहां प्रतिवर्ष काश्तकारों को पर्मीशन के लिये तहसील में आना पड़ता है। आप जांच करवा लें कि भूमिहीनों को जमीन किस तरह से मिलती है क्योंकि आपके नियम और कानून नहीं चलते हैं। एम० एल० एज़० भी कमेटी में बैठते हैं और वे बार बार कहते हैं कि यह क्या नियम है कि प्रति वर्ष पटवारी से रिपोर्ट मांगनी पड़ती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक कट मोशन के लिये ५ मिनिट का समय है या सारे कट मोशन्स के लिये पांच मिनिट्स हैं ?

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : For all.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : That will be too rigorous on an Hon'ble Member for finishing his cutmotions within 5 minutes only.

श्री दामोदरलाल व्यास : Don't plead his cause.

श्री सभापति : Now finish it early please.

श्री मूलचन्द डागा : रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी के ऊपर निर्भर रहता है और पटवारी कहता है कि हमें तो तीन 'पी' चाहिये, एक पटवारी का पी., दूसरा प्रधान मंत्री का पी. और तीसरा प्रधान का पी.। आप मेहरबानी करके गिरदावरी के सभी पेजों पर ऑफिसर के दस्तखत होने चाहिये, ऐसा ऑर्डर दे दीजिये या रजिस्टर्स प्रोवाइड करने चाहिये। मैं ज्यादा बातें नहीं कह सकता क्योंकि २ मिनिट का समय है। लेकिन यह कह सकता हूं कि आज पटवारी राज्य करते हैं। पटवारियों की अनियमितताओं को देखने के लिये उनके रेकॉर्ड का इन्स्पेक्शन करना चाहिये। रेवेन्यू इन्स्पेक्टर अलग है, तहसीलदार अलग है, नायब तहसीलदार अलग है, एस० डी० ओ० साहब अलग हैं और मौका मिल जाय तो कलेक्टर साहब भी चले जायं, तो वे देख लें लेकिन वह पटवारी किसी को निकाल कर न दिखाये। यह जो चाहता है, वह गिरदावरी करता है। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये इतना कहना चाहता हूं कि पटवारी की जो खास चीजें हैं, उसकी कारगुजारी की जांच होनी चाहिए। पटवारी जो अनियमितता कर रहा है, गिरदावरी के मामले में, स्लिप देने के मामले में जो कुछ कर रहा है, जैसा वह चाहता है वैसा कर सकता है, रेमीशन करना चाहे, तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है, उसकी मेहरबानी पर काश्तकार जीता है। इस मामले से मालूम होता है कि प्रजातन्त्र के आने के बाद काश्तकार की भावना से मालूम होता है कि अभी प्रजातन्त्र नहीं आया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी की मेहरबानी पर किसी आदमी को जिन्दा रखना चाहें, तो यह नहीं हो सकता है। इसलिए पटवारी की जो अनियमितता है, उसकी जो कमजोरी है और गांव में रहने वालों को जो तकलीफ है, उसको मिटाने की कोशिश की जाय।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मेरा सिर्फ एक कटौती का प्रस्ताव

(डॉ० बहादुरसिंह)

है, जिसे मैं प्रस्तुत करता हूं। यह इस सम्बन्ध में है कि धौलपुर के अन्दर जो लगान की दरें हैं, वे न तो, चारों तहसीलों में, सब-डिविजन जो भूतपूर्व धौलपुर राज्य की है, उसके अन्दर एक दरें हैं और राजस्थान के दूसरे इलाके की दरों से मिलान करता हूं तो उससे पृथक है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर राज्य के अन्दर जिस वक्त धौलपुर के राजा का शासन था, उस वक्त कभी सैटिलमेंट हुआ होगा लेकिन चूंकि वह छोटा राज्य था, उसका खर्च अधिक था, इसलिए स्टेट की मन्शा रहती थी कि लगान की दर अधिक से अधिक रखी जाय। उसके कारण अधिक से अधिक लगान की दरें रखी गईं। लेकिन जब जमींदारी समाप्त हुई तो किसानों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। उसका कारण यह है कि कुछ तो परिस्थिति इस प्रकार की बनी कि जिन जमींदारों की जमींदारी थी, वे ३५ रु० ३५ रु० लगान देते थे, वे सारे खेत का ३५ रु० सरकार को लगान देते थे, उस खेत को किसान को २० रुपये में दे दिया यानि १५ रुपये के लोस में उसको जुतवाते थे। लेकिन जब जमींदारी समाप्त हो गई और लगान की दर दुगुनी हो गई तो किसान को ७० रुपये देना पड़ा। इस प्रकार से, जिस किसान को २० रुपये जमींदार के टाइम में देने पड़ते थे अब उसको ७० रुपये देने पड़ते हैं। इस तरह से किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो २० रुपये देता था, उसका लगान ७० रुपये कैसे हो गया?

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : ऐसा है कि जब जमींदारी समाप्त की तो दुगुना लगान वसूल करने के आदेश हुए और उसके बाद दुगुना लगान वसूल किया गया....

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा नहीं है।

डॉ बहादुरसिंह : जो अन्सेटल्ड एरिया है, वहां से दुगुना लगान लिया जा रहा है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्सेटल्ड कौनसा है ?

श्री सभापति : यह पोइन्ट पहले भी रखा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, Sir, that is very important, if he says, Sir. २० रुपये देता था, ७० रुपये हो गये। It is very serious for the Government to consider. So I want to know who is exploiting this situation.

डॉ. बहादुरसिंह : ये आपके जो पटवारी लोग हैं, उनके द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया कि जो लगान देते हों, वह करीब करीब निश्चित् तौर पर दुगुना है ही। एक स्थिति और है, वह इस प्रकार की है कि जमींदार आपको पहले ३० रुपये लगान देता था और चूंकि पुराने टाइम में जोतने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, इसलिए १५ रुपये का लोस उठा कर २० रुपये पर देते थे। तो जो जोतता था, वह २० रुपये देता था और जमींदार ३५ रुपये आपको देता

(डॉ० बहादुरसिंह)

था। अब वह दुगुना होने के कारण ७० रुपये वसूल किये जा रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है....

श्री सभापति : Then you quote the halka of the area or the Tehsil of the district, if possible.

डॉ. बहादुरसिंह : धौलपुर सब डिवीजन भर में यह स्थिति है, करीब करीब सारी जगह लगान की यह स्थिति बनी है। किसानों को स्वतन्त्रता के बाद यह आश्वासन दिलाया था कि जमींदारी समाप्त होने वाली है और किसानों को राहत मिलने वाली है। अब लैंड रेवेन्यू की रेट्स बढ़ने से उनमें एक प्रकार का असंतोष है। जो राजस्व के संबंध में विशेषज्ञ हैं, उनका कथन है कि धौलपुर में सैटलमेंट जो स्टेट के टाइम में होना था, वह अधूरा रह गया, न जाने किस कारण से हुआ, वह अधूरा रह गया और अधूरा होने के कारण जो वहां के लोग लगान दे रहे हैं, वह स्टेट के टाइम में ज्यादा था, ज्यादा करना पड़ता था, अगर नहीं करते, स्टेट की आर्थिक हालत खराब हो जाती क्योंकि स्टेट छोटी थीऔर खर्चा ज्यादा था,इसलिए लगान अधिक रखते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे धौलपुर में लगान बढ़े या घटे, अगर धौलपुर में सैटलमेंट कर देते हैं और लगान की दरें करीब करीब एकसी हो जाती हैं तो उचित होगा। दूसरे समथूरा में एक दूसरी हालत आती है, वहां जागीरदारी और जमींदारी इलाका भी है, इस प्रकार दो तीन स्टेप बाई स्टेप स्टेजेज़ हैं, उसकी वजह से किसान की लगान की दरों में गड़बड़ी पड़ती है। डांग एरिया के अन्दर ऐसा है कि लगान की दर अधिक है उसके अनुसार एरिया उस प्रकार का नहीं है कि वह लगान की दर दुगुनी पड़े। बाड़ी इलाके में लगान के साथ साथ इर्रिगेशन रेट्स भी थीं, उसकी वजह से परेशानी है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार इर्रिगेशन चार्जेज़ हैं, वे अलग हो जायं लगान से दूसरी बात यह है कि सैटलमेंट हो जाता है चारों तहसीलों का, और उससे अगर राजस्थान सरकार को फायदा होता है तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं है लेकिन जो किसानों के अन्दर असंतोष है, वह दूर हो जायगा, दूसरे जो लगान की दर दुगुनी हो गई है, उन पर असर पड़ेगा। इन शब्दो के साथ मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें कि किस प्रकार लगान की दरें दुगुनी की जा रही हैं। इसके साथ ही जो पटवारियों का व्यवहार है, उसके सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि उनके हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होगी और शायद उसमें समय लगेगा। इन शब्दों के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : सभापति महोदय, मेरे दो कट मोशन हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करता हूं। पहला कट मोशन मैंने रखा है कि तहसील कोटपुतली ठिकाने का एरिया है, इस ठिकाने के एरिया में जो लगान है वह इतना अधिक है क्योंकि जिस समय ठिकाना अपना प्रबन्ध खुद करता था उस समय खर्चा भी उतना ही करता था। ठिकाने

(श्री रामकरणसिंह)

के टाइम का जो खर्चा है मेडीकल पर, उसमें राजस्थान बनने के बाद कटौती की गई है, तीन चार जगह डिस्पेन्सरी बन्द की गई हैं, जो ए क्लास की डिस्पेन्सरी है, उसको बी क्लास की डिस्पेन्सरी बनाया गया है। ठिकाने के टाइम की रोड्स बनी हुई हैं, वे नष्ट हो गई हैं, उनकी देख रेख नहीं की गई। जिस प्रकार काश्तकारों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट कुछ सुविधा देने जा रही है, ठिकाने के टाइम में तहसील कोटपुतली में पहले से योजना बनाई थी, जो सुविधायें ब्लॉक एरिया में होती हैं, इनसे भी कहीं अधिक सुविधा ठिकाने में देते थे। यही हाल एजुकेशन का था। ठिकाने के टाइम में अगर लगान अधिक लेते थे तो एजुकेशन, मेडीकल, रोड्स, एग्रीकल्चर, इनके ऊपर ठिकाना बहुत कुछ खर्च भी करते थे। अब ज्योंही राजस्थान बना, ठिकाने से तहसील कोटपुतली राजस्थान में आया, उसके आने के बाद लगान वही का वही है, लेकिन जो सहूलियत दी जाती थी, वह आज भी उतनी ही नहीं है। अगर वे ही फेसिलिटीज दी जातीं तो शायद काश्तकार उस लगान को नहीं देखता लेकिन जो फेसिलिटीज थीं वे छीन ली गई, जो सुविधायें दी जाती थीं, वे नहीं दी जाती हैं और लगान वही का वही है। दूसरी एक बात यह आती है कि ठिकाने के टाइम में जो सेटलमेंट हुआ, तो मुआवजे का सवाल सामने था, इसलिए भी जो लगान है, वह अधिक है। मैंने इसके बारे में आपसे डेढ़ वर्ष पूर्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी चाही और लिखा तो मुझे बड़े सुन्दर ढंग से जवाब मिला कि लगान की दर अधिक नहीं है। इसके बाद में मैंने एक सवाल पूछा और पड़ौसी तहसीलें हैं, बागसोर, बेरा, नीम का थाना, बहरोड़, उनकी रेट्स का मुकाबला करते हुए जानना चाहा तो आंकड़ों के आधार पर मजबूर होकर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा कि तहसील कोटपुतली में अधिक लगान है और जिस समय सेटलमेंट होगा उस समय विचार किया जायगा। आज एक दूसरी प्रोब्लम हमारे सामने आई है जो सरचार्ज की है। वह सेटलमेंट रेट से अधिक है और जिसको मंत्री महोदय ने माना है और इस आधार पर सरचार्ज चार्ज किया जावेगा तो दूसरी नौबत उनके सामने आती है। इसलिये मैं इन सब चीजों को माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि जल्दी से जल्दी सैटलमेंट हो और जिस प्रकार से नीम के थाने में और बैराठ में पहले से लगान था उसमें संशोधन हुआ है और कोटपुतली में अधिक लगान है इसमें संशोधन किया जावे।

इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि इस समय तहसील कोटपुतली में १० रुपये बीघा तक के लगान की जमीन है। ऐसी जमीनें हैं जिनसे १०) १२) रु० बीघा चार्ज किया जाता है और ५) रु० या ४॥) रु० या ४) रु० तक बारानी से चार्ज वसूल किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़े को ध्यान में लाये जावें तो सरचार्ज गवर्नमेंट जो चार्ज करेगी उस समय वह १०, १५ या २० बीघा पर होने लगेगा और उन लोगों को यह सरचार्ज देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक कुटुम्ब थोड़ी सी जमीन में किस मेहनत से पैदा करता है और उसके सामने कई तरह के फेक्टर्स भी होते हैं इसके अलावा यहां पर थोड़ी ही जमीन के लिये काश्तकार

(श्री रामकरणसिंह)

के पास जो होता है उसको अपने बाल-बच्चों के गुज़ारे की परवाह न करते हुए, अपने ऐश और आराम की परवाह न करते हुए, कपड़े लत्ते और अन्य साधनों की परवाह न करते हुए, वह किसान हर तरह की जोखम उठा कर खेत में एक कुआं बनाता है जो बारानी जमीन होती है। उसके बाद में खुद तकलीफ उठा कर अपने बाल-बच्चों का मुंह बन्द करके कुआं तैयार करता है उससे जो बारानी जमीन थी खुद की मेहनत से, खुद की दौड़-धूप से, खुद की भूख से पैसों की परेशानी से वह कुआं बनाता है। उस जमीन को चाही जमीन घोषित कर देते हैं और कानून के अनुसार उसे चाही का लगान देना पड़ता है और इसके साथ यह सरचार्ज इस लगान रेट से आवेगा वह आवेगा। इस तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ठिकाने के समय में सैटलमेंट हुआ उसमें संशोधन किया जावे और ठीक लगान, जो उचित हो आंका जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): On a point of information Sir, मैं यह बता देना चाहूंगा कि जिस बारानी जमीन पर कुआं आदि बनाया जाता है उससे २० वर्ष तक वही लगान लिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : मैं अर्ज कर रहा था, उस समय माननीय मंत्री महोदय बाहर चले गये थे। मैं यह कह रहा था कि ठिकाने के समय में हुआ वह थोड़े समय पहले हुआ। वह बारानी जमीन थी, वहां पर कुआं बनाया गया और लोगों से चाही का लगान वसूल किया गया। इसलिये उनको २० वर्ष का समय नहीं मिला। आपके समय में उनको २० वर्ष का समय मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है मगर यह जो चीज कही गई है वह इस तरह से कही गई है। वहां पर सैटलमेंट होते ही चाही घोषित हो गई और अब चाही रेट उनको देनी पड़ती है। अगर अब आप इस पर रीकन्सीडर करें तो खुशी की बात होगी।

दूसरा कटमोशन है जिसके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें बताई थीं, मैं भी वही बात....

(घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट और हैं।

श्री रामकरणसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि एक गोनेडा ग्राम में एक पटवारी रामजीलाल था उसका इतना हौसला हुआ कि उसने अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों के नाम से लोगों से रुपया जमीन अलॉट कराने के लिये ले लिया और यह कहा कि वहां के अधिकारियों को रुपया देना है। इस प्रकार की पटवारी बात करें और अधिकारियों के नाम से रुपये खाये जावें और जब उसकी शिकायत हो और पंचायत समिति और तहसीलदार से इन्क्वायरी हो जाने के बाद भी उसको यही सज़ा दी जावे कि उसको वहां से बदल दिया जावे। पंचायत समिति और तहसीलदार ने यह अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा पटवारी है जो इस हलके में नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार के पटवारी के ख़िलाफ़ इतनी सी कार्यवाही की जावे। यह उचित नहीं है। जो इस प्रकार की हिम्मत कर सकता है कि किसी के नाम से रुपये खा जाए और उसको एक जगह से दूसरी जगह

(श्री रामकरणसिंह)

ही बदला जावे। क्या उसको एक जगह से दूसरी जगह बदलना काफी सज़ा है मैं तो इस सजा को काफी नहीं मानता हूं। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामलों में सजा न देने से दूसरे कर्मचारियों की हिम्मत बढ़ेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पटवारी के खिलाफ जब कि तहसीलदार और पंचायत समिति ने इन्क्वायरी कर ली है तो उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जावे कि न केवल वही बल्कि उसके अन्य साथी भी आयन्दा इस प्रकार की हिम्मत न करें। बस यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह खास करके बूंदी जिले में किसानों के बेटरमेंट लेवी के संबन्ध में रखा है। वह यह है कि बूंदी जिले में गुड़ा बांध जो बंधा है और उसके बनने से जो क्षेत्र नहरी क्षेत्र घोषित हुआ है वहां की वस्तु स्थिति क्या है? उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां तक गुड़ा बांध के आस पास के नहरी क्षेत्र की स्थिति है और वहां के किसानों की जहां तक माली हालत का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनकी माली हालत दयनीय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके पास जो लोग अधिकांश किसान हैं उनमें से किसी के पास दो बीघा, किसी के पास तीन और किसी के पास ४ या ५ बीघा जमीन है। इस प्रकार से उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है और उन्होंने यह जमीन बड़ी मुश्किल से ठीक की तो अब आपने उनसे बेटरमेंट लेवी वसूल करने की नीति निर्धारित की। वहां जो इलाका है उसमें यह देखा जावे कि ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास कितनी कितनी जमीन है और उसके साथ साथ आपने जो नहर निकाली है उसका पानी किस किस प्रकार से उन लोगों को मिलेगा और जो मिला है वह किस तरह से मिला है, उनको जो पानी मिला है उससे उन लोगों को किसी तरह से फायदा हुआ है या नहीं या उनको पानी देने से नाले टूट जाने से उनकी फसल को नुकसान तो नहीं हुआ है। आया आपके पानी देने से उनकी फसल खराब हुई या कोई फायदा हुआ, यह देखने की बात है। क्योंकि यह पहला ही मौका था पानी देने का। मैं यह कहूंगा कि स्थिति वहां की इस तरह की हुई कि इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा लोगों को तकलीफ हुई। जिस समय यह बेटरमेंट लेवी को लेने का प्रश्न आया तो लोगों ने इसका विरोध किया और मांग की कि वस्तु-स्थिति जो है उसकी जांच की जावे और देखा जावे कि किन किन लोगों को पानी मिला और यह भी उसके साथ देखा जावे कि उनको पानी मिलने से कोई लाभ हुआ या नुकसान। इसके अलावा यह भी देखा जावे कि कहां पर इस प्रकार के नाले टूट जाने से कितने खेतों को नुकसान हुआ। यह पानी देने का पहला ही मौका था। इसलिये यह स्थिति हुई। इसके अलावा दूसरी चीज यह भी देखी जावे कि उनकी माली हालत क्या है? वास्तव में देखा जावे तो उनके पास दो तीन बीघा जमीन है जिससे वे अपना और अपने कुटुम्ब का निर्वाह करते हैं। अब चूंकि आपने उनको पानी देने की सुविधा दी है उनसे बेटरमेंट लेवी के नाम से लेवी चाहते हैं, मगर इससे पहले यह देखना है कि आपने उनको जो यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

सुविधा दी है उससे उनको फायदा हुआ है या नहीं और उनको यह जीवन पर्यन्त मिलेगी या नहीं ? तो आपको जांच करके यह तय करना होगा कि किन किन लोगों से बेटरमेंट लेवी लेनी चाहिये। अगर वाकई में उन लोगों की हालत अच्छी है तो उनसे बेटरमेंट लेवी ली जानी चाहिये और अगर उनकी हालत अच्छी नहीं है तो उनसे लेना कोई न्याय नहीं होगा। मगर आपने यह सोचा कि यह तो जनरल है, सबसे लेनी है, चाहे किसी को नुकसान हुआ हो, चाहे उसके कारण उस किसान के खेत में कुछ भी पैदा न हुआ हो। चूंकि हमने नहर निकाली है इसलिये सब लोगों से उसी प्रकार से बेटरमेंट लेवी लेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों को बड़ा दुःख होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री विचार करेंगे और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जिनको जमीन का अलॉटमेंट हुआ है उसमें कितनी अनियमितताएं हुई हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका कट मोशन बेटरमेंट लेवी पर है, अलॉटमेंट पर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक पोइन्ट इस क्षेत्र के अन्तर्गत अलाटमेंट में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां अलॉटमेंट जमीन का नहीं हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्योंकि मेरे पास प्रार्थनापत्र आये हैं। वहां पर काफी इस सिलसिले में अनियमितताएं हुई हैं। जमीनें अपने रिश्तेदारों और घरवालों को दी गई हैं और वास्तव में किसानों को नहीं दी गई हैं। इस सिलसिले में आप थोड़ी सी इन्क्वायरी कर सकेंगे, इसके लिये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह रखा है। दूसरा मैंने....

श्री सभापति : आपका एक ही कट मोशन था।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने अपना कट मोशन दिया था। मेरा यह मंजूर हो गया....

श्री दामोदरलाल व्यास : It has not been circulated.

श्री सभापति : Yes it has not been circulated.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not prepared...

श्री सभापति : It is not with me.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But if the Hon'ble Member has submitted his cutmotion yesterday and if it has not been accepted, then it is not for him...

श्री दामोदरलाल व्यास : That is for you, he can go to the Hon'ble Speaker.

श्री पी० के० चौधरी : But you know, it is not the question of ones going to the Speaker. If it has not

(श्री पी० के० चौधरी)

been circulated, it is the fault of the office and the Hon'ble Member should not suffer...

श्री सभापति : Order ! Order !!

(घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास : It was not submitted within time.

श्री पी० के० चौधरी : He had submitted yesterday, he says.

श्री दामोरलाल व्यास : No. It was not...

श्री सभापित : ऐसा है कि कटमोशन टेबल पर नहीं है, न सदस्यों को वह सरकूलेट हुआ है। हम कैसे समझ लें कि आपका कट मोशन है ? कई कारणों से वह नहीं आया हो-स्पीकर द्वारा डिस अलाउड किया जा सकता है या विथ होल्ड किया जा सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप अपना समय जाया न करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of Order, Sir, I will quote a rule from the Rules of Procedure. Notice for cutmotion is to be given one day earlier.

डॉ० बहादुरसिंह : जब चेअर का रूलिंग हो गया तो कोई बात अब नहीं होनी चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : According to the Rules of Procedure a notice for the cutmotion was required to be given one day earlier. It is now for the Chair to see.

श्री दामोदरलाल व्यास : But my information is that that cutmotion has been rejected.

श्री पी. के. चौधरी : How this information has come to you ?

श्री सभापति : Listen to me. At present there is no record with me under which it may be presumed that it has been accepted. Because it is not with me....

(घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने पहले कटमोशन के संबन्ध में ही कहता हूं। मैं अपनी बात उस मद के संबन्ध में कम्प्लीट कर दूं।

श्री पी. के. चौधरी : About Cutmotions, a reference to Rule 148 is invited.

"If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be moved"

श्री दामोदरलाल व्यास : It has been rejected.

Page No.111

श्री पी. के. चौधरी : When the members are not objecting and the Hon'ble Minister is taking objection it is very...

श्री सभापति : Which Rule did you want to quote ?

श्री पी. के. चौधरी : Rule 148, Sir.

श्री सभापति : So what is there ?

श्री पी. के चौधरी : My point is, Sir, that suppose there is another grant, if I submit my cutmotion today between 11 and 3 but it cannot be rejected because the time was there. You may say that it is not acceptable because it does not come within the purview of the grant.

डॉ० बहादुरसिंह : On a point of order, Sir. जब चेअर निर्णय कर चुकी है....

श्री सभापति : Yes, मैंने फोलो कर लिया है I think the rule quoted by Shri P. K. Chaudhary is not applicable here. Because if a notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object and since that cut motion is not with me here on the table, I disallow it.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापतिजी खास करके अपने पुराने पोइन्ट्स को सपोर्ट करने के लिए मैं इस प्रश्न को लाया था कि इस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं भूमि के मुतल्लिक ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उनियारा की बात कहना चाहते हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : रावराजा साहब यहां पर हैं नहीं।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member is still speaking.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी इतनी प्रार्थना है कि मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव मैंने दो दिन पहले दिया था, उसमें कमी रह गई थी। मैंने उसको दूर करके, क्योंकि समय कम था, स्पीकर साहब के पास जाकर रखा, उन्होंने सेक्रेटरी साहब को दे दिया। मैं एक सदस्य हूं, मैंने दोनों के पास रखा है, उसे मान लिया गया तो मैं समझता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण कटमोशन है तो बोलने दिया जाय, क्योंकि आज-कल माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हैं।

श्री सभापति : कटमोशन के लिए मैंने यह कहा था कि टेबल पर कटमोशन नहीं है। अब मेरे सामने आया है। क्योंकि आपने अमेंडमेंट बहुत देर से दिया, न उस पर माननीय सदस्य बोल सकते थे और न माननीय मेम्बर ही जवाब दे सकते थे, क्योंकि देर से आने की वजह से सर्कुलेट

(श्री सभापति)

नहीं हो सका । अब आप इस पर बोल सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सभापति महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव था उस पर आपने इजाजत दी उसके लिए धन्यवाद । खास करके राजस्थान में जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद में और इसके साथ साथ राजस्थान में जो भूमि सुधार हुए, बड़े महत्वपूर्ण हुए, जो लोग भूमिहीन हैं और सही माने में भूमि के हकदार हैं, वे जमीन के सच्चे हकदार बन सकें इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने मौके बे मौके समय समय पर ऑर्डिनेन्स कानून जारी किये । खास करके किसानों के संरक्षण के लिए, क्योंकि सरकार यह जानती थी कि नये भूमि के सुधार हो रहे हैं, इससे बहुतों की जमीनें जायेंगी, तो वे किसानों को बेदखल न कर सकें इसके लिये १९४९ में, संरक्षण का कानून बनाया और संरक्षण करते हैं, किसी न किसी प्रकार से जो जमीन जोतता है उसके हाथ से ज़मीन न जाये । उसके उपरान्त भी परिस्थितियां हुई कि जागीरदारों ने कानून का, दबाव का और अन्य परिस्थितियों का लाभ उठाकर किसानों को बेदखल करके जो किसानों को लाभ मिलना चाहिये था वह उनको नहीं मिल सका । कहीं पर किसानों को कुछ लाभ मिला और कहीं पर कुछ नहीं मिला । मैं आपके समक्ष उनियारे इलाके की ही बात करता हूं । इस इलाके में कितने किसान थे जो बेदखल हुए, किस प्रकार से उनके हाथ से उनकी जमीनें छीनी गईं और किस प्रकार की आज वे स्थिति में हैं । इसी सम्बन्ध में मेरे पास वहां के किसानों का एक डेपुटेशन आया था कुछ लोग आकर मुझ से मिले और उन्होंने उन परिस्थितियों के मुझे चित्रण

४.४० म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

दिये । तो मैंने सोचा कि जब किसान इस प्रकार से बेदखल हुए हैं तो जरूर इस मुद्दे को यहां रखना चाहिये । इसी दृष्टिकोण से मैं यह मुद्दा रख रहा हूं । किसान मंत्रीजी से भी मिले । मेरा ख्याल है कि राजस्व मंत्रीजी से किसानों का एक डेपुटेशन मिला था, शायद उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था । वहां के किसान सन् ५२ से बेदखल पड़े हुए हैं । उनको कोई जमीन नहीं मिली है । या तो कानून की खामियां हैं, क्यों नहीं मिलती उनको जमीन, इसके लिए मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि पहले उनियारा में जो जागीरदार थे वे कभी खुदकाश्त जमीन नहीं करते थे, न उनके परिवार में कोई जमीन जोतता होगा, कोई शायद हाथ से नहीं जोतता था । किसानों को हर प्रकार से राहत देने के लिए यह कानून निकाला गया कि किसानों को इससे कोई न कोई राहत मिले लेकिन किसान आज जमीन से बेदखल हो गये हैं । जब ५२ में जागीरदार के परिवार में कोई भी जमीन जोतने वाला नहीं था । भूमि सुधार के बाद भी आज हम देखते हैं कि एक एक जागीरदार के पास १७, १७ हजार बीघा जमीन है । उनके पास उनके घर के काश्त में है । वह समझा जा सकता है कि यह जमीन वही है जो कि सन् ५२ में किसान जोतते थे तो उनसे किसी प्रकार से जमीन ले ली गई क्योंकि उससे पहले उनके परिवार का कोई भी खुद काश्त नहीं करता था । आज १६,

(श्री मुरलीधर व्यास)

१७ हजार बीघा जागीरदार के परिवार के नाम से जमीन है । यह एक सिद्धान्त का सवाल है, जब सन् ५२ में उनके पास जमीन थी और परिवार और जागीरदार के पास पहले खुद काश्त में जमीन नहीं थी तो उनके पास आज किस प्रकार से आ गयी ? उन किसानों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था कि जिससे वे बेदखल न हो सके, उनको संरक्षण मिलना चाहिये, हक मिलना चाहिये लेकिन वे बेदखल हो गये, उनको जमीन नहीं मिली । वे बेदखल हो गये । इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किये । उन्होंने कोशिश की । अपनी तरफ से लड़े । आखिर इतने हैरान हो गये कि वे दिल्ली के दरवाजों तक भी गये । किसानों के तार को जब मैंने देखा तो उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रीजी को भी तार दिये....

श्री पी. के. चौधरी : It is not the wire.

श्री मुरलीधर व्यास : तार की रसीद मेरे पास है । यह ७८) रु० ४४ नये पैसे की रसीद है ।

डॉ० बहादुरसिंह : यह प्रमाणित नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रमाणित है ।

श्री सभापति : This is the original.

श्री मुरलीधर व्यास: ७८) रु० ४४ नये पैसे की यह एक है और दूसरी १८)रु० की है। किसान हैरान हो गये, डेपुटेशन मिले । आपको आश्चर्य होगा कि इतने दुखी हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति को तार दिये, प्रधान मंत्री को तार दिये और तारों के ८०) १००)रु. खर्च कर दिये । वे इसके साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी मिले, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को भी दरख्वास्तें दीं । रेवेन्यू सेक्रेटरी ने लिखा कि उनकी कम्प्लेन्ट के बारे में विचार कर रहे हैं । यह चिट्ठी २६ फरवरी ५६ की है । रेवेन्यू सेक्रेटरी का लेटर है लादूराम सन ऑफ भूरा, जागीरदार ने बेदखल किया है उसके बारे में इन्क्वायरी कर रहे हैं और विचाराधीन है । दूसरा पत्र फिर लिखा उसके अन्दर जागीरदार को नोटिस दिया कि क्यों इस प्रकार से बेदखल किया ? उसके बाद तीसरा पत्र मेरे पास है वह है २१.८.५६ का । कलेक्टर ने उनको बुलाया भी कि तुम जवाब दो । वह पार्टी जिसने मांग की थी वह तो वहां गयी लेकिन दूसरी पार्टी वहां नहीं गयी । रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कलेक्टर को लिखा कि जवाब दें । जहां तक मैं समझता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि वे काश्तकारों के हक में उनको मदद के लिए कहना चाहते हैं, उनका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैं उनसे यह कहूँगा कि वे उनको सही सलाह बतावें । राष्ट्रपति के पास आवेदन करने से और गवर्नमेंट के पास आने से कानूनन जो संरक्षण है उसके विपरीत नहीं होने वाला है । यदि इजेक्टमेन्ट हुआ है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जावें, यह सलाह देवें तो अच्छा होगा । आप जो डिटेल्स दे रहे हैं उससे अधिक तो मैं दे सकता हूँ । आप उनको सही रास्ता बतावें । वैसे ८०) रु० तार के खर्च कर देने से तो कोई फायदा नहीं, इस तरह के प्रोत्साहन देंगे तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसानों को कोई मदद नहीं होगी, बल्कि उनका तो इससे नुक्सान ही होगा और जमीन भी छूट जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने सुझाव दिया वह महत्वपूर्ण है। जो बातें आपने कहीं कि इतने तार दिये, राष्ट्रपति को तार दिये, प्रधान मन्त्री को तार दिये रुपया बिगाड़ा, नहीं देते तो अच्छा होता। लेकिन दूसरी बातों से मतभेद है। हजारों किसान बेदखल हो गये, आज इस परिस्थिति में हैं, उन लोगों के पास प्रमाण मौजूद हैं सारी चीजों के। सन् ५२ की रसीदें उनके पास हैं, उसी जमीन का उन्होंने लगान दिया था, उनके पास प्रमाण हैं, पट्टे हैं, वे ही उन जमीनों पर काश्त करते थे। एक नहीं, सैकड़ों किसान हैं। पहले मैंने सोचा कि यह गलत हो। लेकिन मैंने इसकी कैफियत मालूम की तो पता चला कि उनके पास प्रमाण मौजूद हैं, पर उनकी हालत यह है कि वे ऊपर तक नहीं पहुंच सकते।

श्री सभापति : Do they all belong to Scheduled Caste ? What can the Government do in this particular case, Can you suggest something?

श्री मुरलीधर व्यास : सब लोग इसमें हैं।

श्री सभापति : Can the Government restore it ?

श्री मुरलीधर व्यास : सारे काश्तकारों का सवाल है। शिड्युल्ड कास्ट के भी होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि........

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी टाइम ले लिया। I will give more details.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको सारी जानकारी अवश्य है। आपके पास लोग पहुंचे हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि लम्बे अर्से से जिन लोगों को जमीन दिलवाना चाहते थे और काश्तकार हैं जमीन जोतने के जिनके पास प्रमाण मौजूद हैं, प्रमाण होते हुए भी खेद की बात तो यह है कि जिस इलाके के ये किसान हैं उसी इलाके के रहने वाले हमारे राजस्व मंत्री हैं और उनके पास उस इलाके के किसान अर्जी करें, आप कानून बनायें यह होते हुए भी जो उस जमीन में काश्तकार थे वे वहां से बेदखल हो जायं उनको जमीन नहीं दिला सके, यहां पर आपकी नजर नहीं जाती तो फिर राजस्थान के दूसरे हिस्सों में यदि ऐसा हुआ है तो कहां से नजर जावेगी क्योंकि नजदीक में ही नजर नहीं जा सकी। मैं यह नहीं कहता कि जागीरदार और आपका कोई सम्बन्ध हो सकता है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप यदि इस मामले में चाहते और जैसी सारी परिस्थितियां हुई हैं, आज किसान जो वाकई बेदखल हुए हैं, जो उस जमीन को जोतते थे, उनको आप जमीन दिला सकते थे और बहुत कुछ काम उनके लिए कर सकते थे। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय प्रमाण और तथ्यों पर जाकर जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे। १६-१७ हजार बीघा जमीन जागीरदारों के पास है, जो कभी काश्तकार नहीं थे, जमीन के हकदार नहीं हो सकते, उनको जागीरों का मुआवजा ५॥ हजार रुपया दे रहे हैं और इतनी जमीन भी उनको दे देते हैं। उनको ५॥ हजार

(श्री मुरलीधर व्यास)

रुपया मिलता है और जमीन दे देते हैं इतनी और फिर कह देते हैं कि हमने जागीरदारी हटा दी, भूमि सुधार कर दिये लेकिन उन किसानों के लिए यह कुछ नहीं हुआ ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू था तो जमीन कैसे दी गई ?

श्री सभापति : I hope you will conclude within 10 minutes.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरे इस मांग पर दो कट मोशन्स हैं जिनके नम्बर २२ और ३५ हैं ।

सभापति महोदय, मेरा २२ नम्बर का कट मोशन है, "to diccuss the failure of the Government to confer Khatedari rights on sub-tenants under amended Sec. 19 of the Tenancy Act......" सभापति महोदय, सेक्शन १६ में यह कहा गया था

" Every person who, at the commencement of this Act was entered in the annual registers than current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land or was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land, other than grove land, shall, as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to, the other provisions contained in this Chapter, the Khatedar tenant of such part of the land held by him...." A part of it says further, that a person who claiming that he is a tenant or a sub-tenant, but his name was not entered in the annnal register, will have to apply to the Assistant Collector having jurisdiction.

सभापति महोदय, इन्टरमीजियरीज़ के एबोलिशन के लिये कभी से एजीटेट करते हैं । उसके बाद सब टिनेन्सी चलती है । जो लोग जमीन पर काश्त करते हैं उनको टिनेन्सी राइट देना चाहते हैं इस इरादे से यह जो एक्ट था टिनेन्सी एक्ट में हमने दिसम्बर में अमेन्डमेंट किया था । यह जो सब टिनेन्सी का सवाल है, खातेदारी का सवाल है वह केवल राजस्थान का ही इश्यू हो, यह बात नहीं, सारे हिन्दुस्तान का इश्यू है । इस पर कांग्रेस ने भी काफी जोर दिया है, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था, हम १६५५ के अन्त तक इस पर अमल कर लें । इसी आधार पर हमने इस कानून को पास किया । एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ५ अप्रेल, १६५६ को एन्फोर्स किया, उसके एन्फोर्स करने के बाद आज हालांकि यह जो कानून है इसके जो वर्डिंग्ज हैं इनसे ओटोमेटिकली जो काश्तकार है शिकमी काश्तकार है उनको खातेदारी राइट्स कन्फर हो जाते हैं । उससे किसी को कम्पेन्सेशन लेना है तो जो टिनेन्ट है उनको खुद को जाकर कम्पेन्सेशन का क्लेम करना चाहिये । सब टिनेन्ट जो है उसको दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, जब तक एन्युअल रजिस्टर में उसके अन्दर उनका नाम दर्ज हो । १६५५ के रजिस्टर में दर्ज है तो उनको दरख्वास्त देने की जरूरत

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं, उनको ५ अप्रेल, १६५६ से खातेदारी मिल जानी चाहिये। अफसोस है कि वह चीज मिली नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने एक दफा आश्वासन दिया था मार्च के आखिर या अप्रेल १६६० तक हम कर देंगे, बेदखली की कार्यवाही उसी के साथ चल रही है। जो दूसरे लोग थे उन शिकमी काश्तकारों को बेदखल करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी का एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा। बपौतीदार कुछ लोग थे जिनको पिछली साल जब हमने जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन कानून पास किया तो उनको भी टिनेन्ट इन चीफ करार देकर सांभर शामलात एरियाज़ में जो सब टिनेन्ट थे उन सबको शिकमी काश्तकार कर दिया और बपौतीदार को खातेदार करार दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ये शिकमी काश्तकार हैं उनको पुलिस के जरिये से उन पर ट्रेसपास का चार्ज लगाया जाता है। बपौतीदार जमीन पर काश्त कर लेते हैं और उनको ट्रेस पास करार देकर पुलिस के छापे बैठा देते हैं शिकमी काश्तकार को कानून पास करने से प्रोटेक्शन न मिलकर इनफोर्समेन्ट में डिले हो रही है उनको इजेक्टमेन्ट में ज्यादा डेन्जर पैदा हुआ है। जहां जहां भी टिनेन्ट्स लोग हैं पुलिस का सहारा लेकर दूसरे लोगों को इजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यह कानून हमने पास किया है, इसमें हमने लिखा है एन्युअल राइट्स रजिस्टर में १६५५ के शिकमी काश्तकार का नाम दर्ज हो तभी उनका राइट्स क्लेम है वहां शिकमी काश्तकार नहीं लिखा हुआ उसमें इतना लिखा है कि काश्त फलां की है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसी को तो शिकमी काश्तकार कहते हैं।

That is not necessary to mention that he is a Shikmi kashtkar.

श्री पी. के. चौधरी : It is not necessary to mention that. आपने इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये हैं लेकिन आपके ऑफिसर्स का सवाल उठता है, वे इस तरह का सवाल उठाते हैं कि इसमें तो केवल काश्त फलांने का लिखा हुआ इसमें शिकमी काश्तकार कहां लिखा है। इसमें तो सिर्फ काश्त लिखा है, इसलिये उनको ट्रेसपासर कहते हैं। आप जितना आसान बताते हैं उतना आसान नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has taken ten minutes, while only five minutes should only be allowed. He has another cut motion still to move. I think that time should not be extended.

श्री पी० के० चौधरी : आप तो मुझे पांच मिनिट बोलने के बाद ही टोकने लग गये, मेरे पूर्व वक्ता लोग २५ मिनिट तक बोले हैं। I have counted on my watch.

श्री दामोदरलाल व्यास : He has taken more of that time in giving arguments etc., for time.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Probably your speech will intervene him more.

श्री पी० के० चौधरी : सही बात बता रहा हूं। शिकमी काश्तकार के बारे में इस तरह के झगड़े पैदा हो रहे हैं। वे तो कहते

Page No.117

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं, ये तो जबरदस्ती काश्त करने के लिये आ गये ये शिकमी काश्तकार में नहीं आते हैं लीगली, वे ये बातें उठा रहे हैं। जितनी देर इस कानून को अमल में लाने में हुई उतने ही ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स पैदा किये जाते हैं। आप काश्त को शिकमी काश्त मानते हैं तो आप इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू करिये। एन्युअल राइट्स की जो किताब है उसमें शिकमी काश्त न लिखा हुआ हो और केवल काश्त ही लिखा हुआ है तो उसको शिकमी काश्तकार मान लेना चाहिये। आपका उस किताब में नाम हो या गिरदावरी स्लिप भी है उसी बेसिस पर आपको वे हक दे देने चाहिये। १९५५ से सब जगहों के लिये एन्युअल रजिस्टर मेन्टेन है भी या नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से इस तरह से डिफिकल्टी नज़र आयगी। मान लीजिये कहीं रजिस्टर नहीं मिला और गायब हो गया तो क्या होगा? अब तो ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर गायब करने की तरकीब चलेगी इसलिये मेरा यह भी निवेदन है कि जिनके पास गिरदावरी की स्लिप है उसमें जिनकी काश्त बतायी गई है, उसी को मान लिया जाना चाहिये और यह इमीजियेटली एन्फोर्स करनी चाहिये।

श्री सभापति : What do you suggest ?...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : पटवारी से मिल कर गिरदावरी की स्लिप भी इश्यू करवा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : १९५५ की गिरदावरी स्लिप १९६० में नहीं मिल सकती। सभापति महोदय, मैं कल कन्टिन्यू करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has taken 10 minutes, otherwise every member will demand that time. I am not going to oppose giving time but that time should not be extended to others.

श्री सभापति : दो-तीन मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : दो-तीन मिनिट में तो नहीं होगा। मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव और भी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : You may not finish, but time has been fixed. If this consideration is allowed to one, it should be allowed to everyone.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने १५ मिनिट से ज्यादा समय लिया है। स्पीकर ने तो केवल विश एक्सप्रेस की थी।

श्री सभापति : इसको तो आप छोड़िये।

(घंटी)

सदन की कार्यवाही दिनांक १९ मार्च, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजकर २ मिनिट पर शनिवार, दिनांक १९ मार्च, १९६०, के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३३८५

महाराजा जयपुर की व्यक्तिगत जायदाद।

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील में हरिजनों के कल्याणार्थ कार्य।

मैसर्स भगवानसहाय नारायण-सहाय, ठेकेदार किशनगढ़ रेनवाल, द्वारा लिए गये अनाज तुलाई के ठेके की बकाया की अदायगी।

धोबलाई (सींगोद) पंचायत के सरपंच द्वारा चार्ज दिलवाना।

टोंक जिले की हाई स्कूलों की दसवीं कक्षा का मालपुरा में रखा गया परीक्षा केन्द्र।

पाली तहसील के समाज कल्याण केन्द्र।

अजमेर शहर में नई खुली माध्य-मिक शाला।

रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ज़ द्वारा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बीकानेर के दो डाइरेक्टरों को हटाया जाना।

मंत्रीगणों द्वारा प्रवास काल में

स्कम्भ

हरिजन बस्तियों में ठहरना।

भीम में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिये आवास-व्यवस्था

वर्तमान एवं भूतपूर्व राजस्थान के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

सांडों की खरीद।

पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के सदस्यों के भत्ता नियम।

एम. पीज़. का विकास योजना सम्बन्धी जयसमंद में आयोजित कैम्प।

महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा तथा किशनगढ़ और विजयनगर की कपड़ा मिलों में सरकार की बकाया रकम की वसूली।

केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., बीकानेर को जिला उद्योग अधिकारी द्वारा प्राप्त सहयोग।

नवयुग द्वारा प्रकाशित 'लोकतां-त्रिक विशेषांक' की खरीद।

पी. एस. सी. द्वारा चयन किए गये हाथ करघा निरीक्षकों की

योग्यताओं के नियम में रिलेक्सेशन।

उच्च तथा उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के मुख्य अध्यापकों के पदों के लिए आमंत्रित आवेदन-पत्र व परिपत्र।

जिला पुस्तकालय, पाली।

जयपुर शहर में शक्कर के राशन कार्ड जारी करना।

पलाना की कोयला खान।

कैटल ब्रीडिंग फार्म, बस्सी में दाने की खरीद।

राजस्थान जन-सेवा आयोग के लिये स्थायी चेयरमैन।

हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जयपुर जिले की पंचायत समितियों को प्रदत्त धन-राशि।

राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम।

संगरिया विद्यापीठ को सरकारी सहायता।

देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्य हेतु प्रदत्त धन-राशि

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक-६३-ख-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि ३४४८

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा १५ और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

वित्त मंत्री के उत्तर के पश्चात् १६ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व ३५५७

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर आज १६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

शनिवार, दिनांक १९ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

मांगों पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ का उत्तर देखिये)

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलवार जन संख्या और उसमें हरिजनों का अनुपात

क्रम संख्या	तहसील का नाम	जन संख्या	हरिजन	अनुपात
(१)	बैंगू	४४,६८४	३,५७६	१०००:८०
(२)	भैंसरोड़गढ़	२७,६२५	३,१४४	१०००:११२
(३)	चित्तौड़गढ़	६०,४४४	६,६०२	१०००:१६३
(४)	गंगराल	४६,८७४	७,०६२	१०००:१५०
(५)	कपासीन	४६,१७५	६,७०८	१०००:१४५
(६)	राश्मी	३८,४५०	७,३५८	१०००:१९०
(७)	बड़ी सादड़ी	४२,७०२	६,५८७	१०००:१५४
(८)	भदेसर	४६,६६७	७,७५३	१०००:१६५
(९)	छोटी सादड़ी	३८,७६२	४,७६८	१०००:१२३
(१०)	डूंगला	४१,८८४	७,६२३	१०००:१८२
(११)	कनेरा	७,१५२	४६८	१०००:६६
(१२)	निम्बाहेड़ा	४४,३३६	७,०८६	१०००:१६०
(१३)	अचनेरा	३१,३१०	३,८१८	१०००:१२१
(१४)	प्रतापगढ़	६६,४४५	७,५१६	१०००:१०८
		५,८७,१४३	८३,४०२	

————

(सूची ब)

समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के लिये जिला चित्तौड़गढ़ में अब तक जो कार्य किये गयें उनका विवरण :

वर्ष	छात्रवृत्ति	हरिजन मोहल्ले में जल व रोशनी की व्यवस्था हेतु सहायता	कुए के लिये सहायता
१९५७–५८	५,४०१	२,८५०	—
१९५८–५९	६,३१६	—	—
१९५९–६०	५,४१७	३,६०४	१,५००

चित्तौड़गढ जिले में इस विभाग से अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत निम्न केन्द्र चल रहे हैं :

क्रम संख्या	नाम प्रवृत्ति	तहसील का नाम	आरम्भ की तिथि
(१)	अँश कालिन संस्कार केन्द्र (पुरुष व महिलाओं के लिये)	चित्तौड़गढ़	१०–१२–५५
(२)	समाज शिक्षण केन्द्र	बैंगू	१५–१–५६
(३)	समाज शिक्षण केन्द्र	कपासन	१–८–५६

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये)

RESERVE LIST OF HEADMASTERS.

	Name	Present posting.
1.	Shri Sardar Singh.	H. M. Bhawani Niketan H. S., Jaipur (On deputation).
2.	,, Jagdish Prasad.	A. T. H. S. S., Ajmer.
3.	,, Dharmdass Sunderdass.	A. T. M. P. S., Saradhana.
4.	,, Yashpal.	A. T. H. S., Bhilwara.
5.	,, Vithal Dass.	A. T. H. S., Rajnagar.
6.	,, Madan Mohan Mathur.	Hindi Teacher, Central Govt.
7.	,, Suraj Prasad.	Oswal Jain H. S., Ajmer.
8.	,, Ramkrishna Dass.	S. T. M. P. S., Dholpur.
9.	,, Ganeshi Lal.	S. T. M. P. S., Ganganagar.
10.	,, N. R. Daniel.	H. M. H.S., Makrana.
11.	,, Kanhaiya Lal.	City H. S. S., Bikaner.
12.	,, Nagendra Bhushan.	A. T. S. T. C., Pratapur.
13.	,, Kanak Mal.	A. T. H. S. S., Vallabhnagar.
14.	,, Hari Singh.	A. T. H. S. S., Mandar.
15.	,, Jaideo Prasad.	A. T. H. S., Beawar.
16.	,, Gopinath Dave.	A. T. Fateh H. S., Udaipur.
17.	,, Sohan Lal.	A. T. S. P. S., Bikaner.
18.	,, S. S. Jaisinghani.	A. T. Rajendra H. S., Ajmer.
19.	,, Tejsingh Dangi.	A. T.H. S., Sirohi.
20.	,, Radha Krishan.	A. T. S. T. C., Udaipur,
21.	,, Upendra Nath.	A. T. S. T. C., Bharatpur.

1	2
22. Shri NihalSingh.	A. T. S. T. C., Khetri
23. " Laxmi Narain.	A. T. S. T. C., Tonk.
24. " Suraj Narain Rao.	A. T. D. H. S, Jaipur.
25. " Suraj Singh.	A. T. Pratap H. S., Jaipur.
26. " Mod Singh.	A. T. S. T. C., Keshoraipatan.
27. " Nand Lal.	A. T. S. T. C., Parasramdwara.
28. " Shriniwas.	A. T. S. T. C., Indragarh.
29. " Brijraj Sharma.	A. T. now H. S., Kota.
30. " Radha Krishna.	A. T. H. S., Gangapur.
31. " Ladu Shankar.	A. T. H. S., Pali.
32. " Nand Nath Yogi.	A. T. H. S., Kapasin.

LIST OF HEADMASTERS APPOINTED FROM THE RESERVE LIST.

Name		Present Posting
(1)	Shri Sardar Singh	H. M. Bhawani Niketan H. S., Jaipur (on deputation).
(2)	,, jagdish prasad	Assistant Teacher, Higher Secondary School, Ajmer.
(3)	,, Dharamdass Sunder dass	A. T. M. P. S., Sardhana.
(4)	,, Yashpal	Assistant Teacher, High School, Bhilwara.
(5)	,, Vithal Dass	—do —do— Rajnagar.
(6)	,, Madan Mohan Mathur	Hindi Teacher, Central Govt.
(7)	,, Suraj prasad	Oswal Jain High School, Ajmer.
(8)	,, Ramkrishna Dass	Senior Teacher, M. P. S. Dholpur.
(9)	,, Ganeshi Lal	—do— Ganganagar.
(10)	,, N. R. Daniel	H. M. H. S., Makrana.
(11)	,, Kanhaiya Lal	City Higher Secondary School, Bikaner.
(12)	,, Nagendra Bhushan	Asstt. Teacher, S. T. C. Partapur.
(13)	,, Kanakmal	S. T. H. S. S., Vallabhnagar.
(14)	,, Hari Singh	A. T. H. S. S., Mandar.
(15)	,, Jaideo Prasad	A. T. H. S. Beawar.
(16)	,, Gopinath Dave	A. T. Fateh High School, Udaipur.
(17)	,, Sohan Lal	A. T. S. P. S., Bikaner.
(18)	,, S. S. Jaisinghani.	A. T. Rajendra High School, Ajmer.
(19)	,, Tej Singh Dangi.	A. T. H. S., Sirohi.
(20)	,, Radha Krishan.	A. T. S. T. C., Udaipur.
(21)	,, Upendra Nath	S. T. C. Bharatpur.
(22)	,, Nihal Singh	A. T. S. T. C. Khetri.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ का उत्तर देखिये)

OFFICE OF THE COLLECTOR (SUPPLY), JAIPUR.

No......................../Sup. Dated :—

Revised list of all allotment of Sugar to all the Fair Price Shops in Jaipur City dealing with the retail Sugar Business.

S. No.	Name of the dealer.	Shop No.	Ration Card No.	Total of persons.	Ordinary quota in bags.	Special quota in bags.	Total quota in bags.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	M/S Ram Pratap Shri Narain.	1	692	3,956	35	—	35
2.	„ Gayan Chand Rajendra Kumar...	2 & 3	1,140	6,319	57	3	60
3.	„ Kalyan Vaid.	4	702	3,946	35	2	37
4.	„ Dasu Mal Kapoor Chand.	5 & 6	1,137	6,182	56	—	56

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	M/S Alladeen Kasim.	7	625	3,240	29	—	29
6.	„ Sawami Pd. Rood Mal	8	885	5,332	48	2	50
7.	„ Gendilal Agarwal.	9	582	3,101	27	1	28
8.	„ Thakur Das Poumal.	10	724	4,177	37	—	37
9.	„ Motilal Khendelwal.	11	749	4,284	38	—	38
10.	„ Chand Behari Nand Kishore.	12	597	3,366	30	—	30
11.	„ Rampal Damodar.	13	526	2,876	26	—	26
12.	„ Hanuman Sahai.	14	715	3,768	34	—	34
13.	„ Mangilal Laduram.	15	890	4,582	41	—	41
14.	„ Madan Lal Rameshwer.	16	686	4,140	37	—	37
15.	„ Sujimal Prahladrai.	17	383	2,046	18	—	18
16.	„ Sukhlal Ramawatar.	18	442	2,564	23	3	26
17.	„ Mithulal Ramniwas.	19	886	3,710	33	—	33
18.	„ Maliram Gordhandas.	20	793	4,459	40	—	40
19.	„ Chirinjilal Sethi.	21	775	4,750	43	—	43

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	M/S Mohanlal Bhonrilal.	22	700	3,900	35	—	35
21.	,, Sujilal Lallulal.	23 & 33	719 & 82	3,922 & 461	39	—	39
22.	,, Ratan Lal Agarwal.	24	780	4,151	37	—	37
23.	,, Radhakishan Agarwal.	25	799	4,268	38	—	38
24.	,, Sitaram Vishwanath.	26	678	3,875	35	—	35
25.	,, Beenjraj Beharilal.	27	478	2,485	22	—	22
26.	,, Ramkishore Khendelwal.	28	650	3,933	35	—	35
27.	,, Johrilal Chhitermal.	29	459	2,536	23	—	23
28.	,, Damodar Jagdish.	30	721	3,884	35	—	35
29.	,, Jaipur Kriya Vikriya Samiti.	31	729	4,016	36	—	36
30.	,, Nandkumar Katta.	32	678	3,673	33	—	33
31.	,, Peerulal Modi.	34	446	2,289	20	—	20
32.	,, Bhonri Singh.	35	561	3,275	29	—	29
33.	,, Munna Lal Garg.	36 & 37	1,252	6,760	61	1	62
34.	,, Mehar Chand Shital Das.	38	1,145	6,629	60	—	60

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	M/S Narain Das Manniram.	39	1,015	5,734	52	1	52
36.	,, Abdul Ganni Kaboo.	40	993	5,681	51	—	51
37.	,, Bhanwar Lal Dhankumar.	41	867	4,855	44	3	47
38.	,, Krya Vikrya.	42	811	4,693	42	—	42
39.	,, Khandelwal Brothers.	43	969	5,294	48	—	48
40.	,, Bhagwan Sahai Chhiter Mal.	44	868	5,256	47	—	47
41.	,, Jhuntalal Ramgopal.	45	1,090	6,922	62	4	63
42.	,, Chunnilal Lachmandas.	46	693	3,748	34	—	34
43.	,, Govindnarain Kamla Pd.	47	549	3,131	28	1	29
44.	,, Bala Bux Govind Ram.	48	823	4,687	42	—	42
45.	,, Mool Chand Sharma.	49	613	3,797	34	—	34
46.	,, Gramodyog Nawjeewen.	50	723	4,006	36	—	36
47.	,, Pokhraj Rathi.	51	1,052	5,448	49	1	50
48.	,, Bassi Sitarampura.	52 & 53	1,042	6,739	61	2	63
			1,140	6,696	60	—	60

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	M/S Matadeen Agrwal.	54	783	4,322	39	—	39
50.	,, Shrinarain Shyamsunder.	55	903	5,327	48	1	49
51.	,, Ramgopal Nandkishore.	56	750	3,873	35	2	37
52.	,, Abdul Gafoor.	57	550	3,430	31	3	34
53.	,, Kesri Lal Yadav.	58	748	5,475	49	2	51
54.	,, Ghassi Lal Bhonrilal.	59	1,030	6,034	54	1	55
55.	,, Hanuman Sahai Khendelwal.	60	937	5,712	51	—	51
56.	,, Jaipur Spinning & Weeving Mill.	61	587	2,421	22	—	22
57.	,, Mangilal Maganlal.	62	833	4,721	42	—	42
58.	,, Gangaram Kanhiyalal.	63	1,098	5,538	50	—	50
59.	,, Madho Pd. Ghassilal.	64	944	4,592	41	—	41
60.	,, Kray Vikray Samiti.	65	549	3,935	35	—	35
61.	,, Sunder Lal Damodar.	66	949	5,630	51	—	51
62.	,, Hola Ram Vaid.	67	718	3,894	35	—	35
63.	,, Ramjeewan Jhawar.	68	978	6,028	54	5	59

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	M/S Kishanlal Ratanlal.	69	716	4,079	37	—	37
65.	„ Mangilal Nathulal.	70	486	3,055	27	—	27
66.	„ Shrichand Mehta.	71	545	3,012	27	—	27
67.	„ Harinarain Sitaram.	72	695	3,800	34	—	34
68.	„ Lekumal Moolchand	73	741	4,557	41	—	41
69.	„ Rameshwarlal Ramlal.	74	719	4,344	39	—	39
70.	„ Milap chand.	75	765	4,594	41	—	41
71.	„ Kimatrai Chothram.	76	904	4,556	41	—	41
72.	„ Prahladrai Pamandas.	77	745	4,513	41	—	41
73.	„ Mola Patel.	78	940	5,026	45	—	45
74.	„ Alladeen.	79 & 80	1,417	8,105	73	1	74
75.	„ Gangalal Ramgopal.	81	1,062	5,811	52	—	52
76.	„ Rampal Kanhaiya lal.	82	601	2,863	26	2	28
77.	„ Udha Ram Nichaldas.	83	1,183	6,768	61	—	61
78.	„ Azib Mohd.	84	506	2,693	24	—	24

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	M/S Heeralal Kalyan Sahai.	85	539	2,701	24	—	24
80.	„ Rameshwar lal Shriniwas.	86	578	2,991	27	—	27
81.	„ Radheyshyam Nandkishore.	87	552	2,828	25	—	25
82.	„ Harinarain Joshi.	88	474	2,583	23	1	24
83.	„ Niyaz Mohd.	89	512	2,812	25	—	25
84.	„ Bhagwandas Khodaram.	90	458	3,066	27	—	27
85.	„ Ramgopal Asswani Pd.	91	780	4,281	38	—	38
86.	„ Shitaldas Hansraj.	92	440	2,578	23	—	23
87.	„ Bajranglal Maheshwari.	93	458	2,745	24	—	24
88.	„ Shri Narain Bhonrilal.	94	630	4,111	37	—	37
89.	„ Krya Vikrya Samiti.	95	354	1,993	18	5	23
90.	„ Aurajbhan.	96	539	3,928	35	—	35
91.	„ Tikamdas Kotumal.	97	677	4,243	38	—	38
92.	„ Asanand Punjabi.	98	591	3,481	31	2	33
93.	„ Narayandas Shaymlal.	99	945	4,805	44	—	44

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	M/S Nasir Ahmed.	100	625	4,067	36	—	36
95.	,, Bhonri lal Moolchand.	101	655	3,439	31	—	31
96.	,, Omprakash & Co.	102 & 103	1,060	5,991	54	—	54
97.	,, Rochiram.	104	724	4,114	37	—	37
98.	,, Aboo Kallu.	105 & 107	320 451	2,006 3,128	18 28	— —	18 28
99.	,, Bhikalal Gendilal.	106	515	2,800	25	—	25
100.	,, Bhagwan Sahai Shyam sunder.	108 & 109	609 & 566	3,352 & 3,202	58	—	58
101.	,, Sedhmal Nathulal.	110	515	2,800	25	—	25
102.	,, Mohd. Zhoor.	111	534	3,413	31	—	31
103.	,, Nawal Kishore Dhannalal.	112	715	5,905	50	—	50
104.	,, Gangabux Madholal.	114	610	3,222	29	—	29
105.	,, Ramgopal Bhonrilal.	115	580	3,223	29	—	29
106.	,, Charan Das Babu.	116	794	4,263	38	5	43
107.	,, Krya Vikrya Samiti.	117	835	4,784	43	—	43

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	M/S Tarachand Joshi.	118	651	3,258	29	—	29
109.	,, Radhey Shayam Kailash Pd.	119	648	3,448	31	—	31
110.	,, Govind Narain Mishra.	120	878	4,874	44	—	44
111.	,, Vasdeo Kalyan Das.	121	560	3.063	27	—	27
112.	,, Jethanand Mohandas.	122	486	2,675	24	—	24
113.	,, Bholaram Asandas.	123	610	3,520	32	—	32
114.	,, Rampratap Kanhaiyalal.	124	645	3,762	34	—	34
115.	,, Moni Grain.	125	653	3,637	33	—	33
116.	,, Damodar Jagdish.	126 & 127	790	4,883	44	—	44
117.	,, Lal Mohd. Nisar.	128	438	2,625	23	—	23
118.	,, Jaipur Kray Vikray.	129	299	1,764	16	2	18 On 26.2.60.
119.	,, Jyoti Pd. Harinarain.	130	507	2,948	26	—	26
120.	,, Sunder Lal Gokulnarain.	131	437	2,427	22	—	22
121.	,, Ganga Bux Rambaboo.	132	761	4,597	41	—	41
122.	,, Shabodin.	133	266	2,141	19	—	19
123.	,, Rajasthan Secretariate.	136	447	2,895	26	—	26

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	M/S, Moolchand Sharma.	137	789	4,242	38	—	38
125.	,, Chiman lal Pareek.	139	1,305	2,075	18	—	18
126.	,, Bansidhar Pareek.	142	563	1,990	18	—	18
127.	,, Gordhan Lal.	143	265	2,390	21	—	21
128.	,, Bapu Nagar Sahkari Samiti.	Special	80	579	5	—	5
	Total.		8,1918	5,21,528	4,684	37	4,721

Sd/-
Collector, (Supply),
Jaipur.

D. S./.
No..............

Dated :— 4686—54—4735

Copy to :—

[1] The Chairman Jaipur Sugar Dealers Association Jaipur.

[2] All Fair Price Shops Owners,
for information and necessary action.

Sd/-
Collector, (Supply),
Jaipur.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिये)

		Anokla 9,000 mds.	wheat brain 1,440 mds.		Sait onk-c 780 mds.		Gur 80 mds.		Gramchari 720 mds.		Total amt. of the foods.	
	Name of party.	Rate per md.	Cost of feed.	Rate per md.	Cost of feed.	Rate per md.	Cost of feed.	Rate per md.	Cost of feed.	Cost of feed.	Rate per md.	Cost of feed.
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	M/S. Abdul Karim & Bros. Jaipur.	4.25.	33,250.00	9.50.	13,680.00	19.12.	15,766.40	25.00.	500.00.	10.62	76,46.40.	74,842.80
2.	M/S. Ramsahai Ramgopal, Jaipur.	3.37.	30,330.00	9.25.	13,320.00	11.50.	8,280.00	23.25.	465.00	9.87	7,105.40.	5,9501.40.
3.	M/S. Harialdas P.Khan-Chandani Jaipur.	3.00.	27,000.00	9.75	14,040.00	12.00.	8,640.00	22.00.	440.00	10.50	7,560.00	57,680.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	M/S. Khandelwal & Co, Alwar.	3.74	33,660.00	8.72.	12,556.80	13.81.	9,943.20	25.87.	517.40	10.02	7,214.40.	63,891.80.
5.	M/S. Radhey shyam Dalwala, Jaipur.	4.00.	36,000.00	10.00	14,400.00	13.00.	9,360.00	23.00.	460.00	11.00	7,920.00	68,140.00
6.	M/S. Bijai lal Bhawansahai Babai.	4.75.	42,750.00	10.25	15,120.00	13.75.	9,900.00	25.00.	500.00	12.50	9,000.00	77,270.00
7.	M/S.Bachumal Pamandas, Jaipur.	4.00.	36,000.00	8.94	12,873.60	11.50.	8,280.00	25.00.	500.00	9.75	7,020.00	64,673.60.

Sd. Superintendent.
Govt. Cattle Breeding Farm, Bassi.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ का उत्तर देखिये)

जयपुर नगरपालिका क्षेत्र की कोलोनियों को जो सहायता दी गई उसकी सूची

क्र. सं.	कोलोनी का नाम	परिवार संख्या	दर
१.	फतहटीबा कोलोनी	३५	६५० रु०
२.	,,	३	७५० रु०
३.	,,	४	३०० रु०
४.	कोली कोलोनी	३३	७५० रु०
५.	अमृतपुरी कोलोनी	अभी सहायता नहीं दी गई	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिये)

विशेष लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

१. श्री किशनप्रसाद भटनागर, करौली, जिला भरतपुर ।	४० रुपये मासिक से ५० रुपये मासिक पेंशन की गई ।
२. श्रीमती शान्ता देवी बेवा श्री सुग्यानचन्द भंडारी, जोधपुर.	अलावा २६ रुपये मासिक पेंशन जो भूतपूर्व जोधपुर राज्य के आदेशानुसार मिल रही थी, २१ रुपये मासिक पेंशन और दी गई ।
३. श्रीमती केवल कंवर बेवा श्री अभयमल जैन, जोधपुर.	अलावा २६ रुपये मासिक पेंशन जो भूतपूर्व जोधपुर राज्य के आदेशानुसार मिल रही थी १७ रुपये मासिक पेंशन और दी गई ।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६० का उत्तर देखिये)

GRANT-IN-AID FOR 1959-60.

Name of the Institution:— Multipurpose and Higher Secondary School Gramothan Vidyapeeth, Sangaria (Rajasthan).

Name of Expenditure	Expenditure shown by the institution (58-59)	Unapproved expenditure	Approved expenditure	Explanation for the amount disallowed.
(a) Salaries & P. F. contribution in respect of teaching staff.	41280.00	136.24	41143.76	Paid wi thout approval.
(b) Salaries and P. F. in respect of Ministerial staff.	3867.24	—	3867.24	
(c) Salaries & P. F. in respect of subordinate staff.	1670.25	—	1667.25	
(d) Dearness allowance.	10790.67	—	10790.67	
(e) Stationery & Printing charges.	433.88	33.88	400.00	More than maximum.
(f) Water & Light charges.	81.61	—	81.61	
(g) Recurring expt. on equipment apparatus.	18.97	—	18.97	
(h) Ordinary repairs.				
(a) Building	47.75	—	47.75	
(b) Furniture.	67.12	—	67.12	

1	2	3	4	5
(i)	Building rent	—	—	—
(j)	Recurring expenditure on books etc.	187.04	—	187.04
(k)	Recurring net exp. on Games Extra Curricular activities.	1530.15	—	1530.15
(l)	Recurring exp. on craft.	1014.74	—	1014.74
(m)	Exp. on Travelling.	—	—	—
(n)	Unapproved items.	7.44	7.44	—
	Total —	60996.86	177.56	60819.30

Total approved exp.	60819.30
Less Income from fee etc.	11911.69
Tution fees	6945.23
Reading Room fees.	864.95
Admission fees.	209.00
Re-admission fees.	56.00
Late fees and Fines.	435.60
Games fees.	1595.52
Income from Craft.	1805.39
Total	11911.69
Net Approved exp.	48907.61

GRANT-IN-AND FOR 1959-60.

Name of the Institution:- Mahila Ashram, Gramothan Vidyapeeth, Sangaria District : Ganganagar.

Item of Expenditure	Expenditure shown by the institution (58-59)	Unapproved expenditure.	Approved expenditure	Explanation for the amount disallowed
(a) Salaries & P.F. & contribution in respect of teaching staff.	10,425.78	—	10425.78	
(b) Salaries and P. F. in repsct of Ministrial staff.	143.55	—	143.55	
(c) Salaries & P. F. in respect of subordinate staff.	1,331.09	—	1331.09	
(d) Dearness allowance.	4,068.22	—	4,068.22	
(e) Stationery & Printing charges.	189.07	22.96	166.11	Cost of advertisment & locks eto
(f) Water & light Charges	18.84	—	18.84	
(g) Recurring expt. on equipment apparatus	4.89	4.89	—	Disallowed Flag etc.
(h) Ordinary repairs.				
(a) Building	2.50	—	2.50	
(b) Furniture.	—	—		
(i)-(k)	—	—		
(1) Recurring net exp. on craft	40.70	22.44	18.26	Adjusted from income.
Total	16,224.64	50.29	16,174.35	

Page No.142

1	2	3	4	5
Total approved exp.	16,174.35			
Less income from fees etc.	244.00			
1. Admission fees	160.00			
2. Readmission fee	78.00			
	244.00			
Net approved expenditure	15930.35			

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिए)

प्रतिलिपि रिपोर्ट दिनांक १४. ६. ५६ श्रीमती गौरी पूनिया, एम. एल. ए., सदस्या, राज्य बोर्ड की ओर से.

मैं दिनांक १४.५.५६ को पाली समाज कल्याण योजना का निरीक्षण करने गई। इस योजना की अध्यक्षा श्रीमती शान्ता शर्मा हैं जिनकी देखरेख में योजना का कार्य ठीक चल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत चार केन्द्र चलाये जा रहे हैं। केन्द्रों का निरीक्षण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धनाभाव के कारण इन केन्द्रों पर उचित मात्रा में सामान आदि की खरीद नहीं की जा सकती। अतः आपसे निवेदन है कि आप योजना हेतु धन शीघ्र भिजवायें जिससे उद्योग, बालवाड़ी, प्रसूति संबंधी दवाइयां आदि की खरीद कर केन्द्रों को इन सामानों से सुसज्जित किया जा सके। योजना कार्यालय का कार्य भी ठीक ढंग से किया जा रहा है।

———

परिशिष्ट ६

तारांकित प्रश्नोत्तर ४६२

प्रश्न

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

१. संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर, के कार्यालय में कुल कितने क्लर्क्स हैं ? उनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने हैं ?

२. गत तीन वर्षों में कुल कितने क्लर्कों की नियुक्तियां हुई हैं ? इनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की क्या संख्या है ?

३. क्या सुरक्षित सम्पूर्ण स्थानों की पूर्ति कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर के कार्यालय में कुल ६१ क्लर्क हैं उनमें से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के क्लर्कों की संख्या ५ है ।

गत तीनों वर्षों में इस कार्यालय में ४१ क्लर्कों की नियुक्तियां की गईं इनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के ३ हैं ।

सुरक्षित सम्पूर्ण स्थानों की पूर्ति नहीं की जा सकी है क्योंकि इस विभाग को सीधे नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं है । नियुक्तियां कामदिलाऊ विभाग के मार्फत होती हैं ।

———

Page No.145

शुद्धि-पत्र
(शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३३८५	१२	रसद खनिज	रसद, खनिज
३३८६	अन्तिम से ७	[(श्री माधोपुर	[(श्री माधोपुर)
३४०२	१२	श्री नाथूराम धिर्मा	श्री नाथूराम मिर्धा
३४०५	१२	की एजुकेश्न	की एजुकेशन
३४११	११	पहुँची ?	पहुँचीं ?
३४२२	६	same post.	same post ?
,,	७	Visulise the	visualise the
३४२४	१६	many sagar	many sugar.
३४२५	५	5 lakhh	5 lakhs
,,	२१	किये येग ?	किये गये ?
३४४०	२०	को किसी किसी	को किस किस
३४४५	६	धारी बाल)	धारीवाल)
३४४८	अन्तिम से ६	परियोजनाएं	परियोजनायें आदि
३४५०	१०	होने काले	होने वाले
,,	१६	Develpoment works"	Development works"
३४५५	अन्तिम से ३	ये डिपार्टमेन्टस	ये डिपार्ट मेंट्स
३४६०	११	है वे	हैं वे
३४६८	२०	कहता चाहना	कहना चाहता
३४७२	अन्तिम	समिमियों के	समितियों के
३४७५	६	दंगे तो।	देंगे तो ?
३४७८	७	मोशन्य पर	मोशन्स पर
३४८०	११	Can wereie	Can we revive
३४८०	१६	Mr. Dagd	Mr. Daga.
३४८३	२०	gentlman	gentleman
३४८४	१४	क्या करने	क्या करते
३४८५	अन्तिम से २	hare rightly	have rightly
३४८७	शीर्ष	संख्या २३	संख्या ३२
३४९२	२६	फंड की इएडीकेसी	फंड की इनएडीकेसी
३५००	१६	समिति है गढ़ी	समिति है, गढ़ी
३५०७	१०	इतनी थोड़ा	इतना थोड़ा

(२)

१	२	३	४
३५१६	११	is was	it was
,,	अन्तिमसे ५	आपसे निद्वेन	आपसे निवेदन
३५२०	५	te resume.	to resume.
३५२७	१४	सतर्क है	सतर्क हैं
३५४७–४८	शीर्ष	१८ माच	१८ मार्च
३५६६	८	कर चुके	कर चुके हैं
,,	२४ व २७	'Malkana'	'Malikana'
३५७२	११	ये उनको	में उनको
३५७३	७	है कि इस	है इस
,,	अन्तिमसे ६	तीन वष	तीन वर्ष
३५७८	२३	रिज्यम	रिज्यूम
३५८०	२५	a s therwise	as otherwise
३६०६	शीर्ष	१–भूराजस्व	१–भू-राजस्व
३६०८	,,	१–भ-राजस्व	,, ,,
३६३४	सीरियल ६० के सामने	Aurajbhan	Suraj Bhan.
३६३६	सीरियल ६ के सामने	Bhawani Sahai Babai	Bhawanisahai Basai
३६४६	५	दिनांक १४–५–५६	दिनांक १४–६–५६